लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४२, १९६०/१८८२ (शक)

[४ से १६ अप्रैल १९६०/१५ से २७ चैत्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४२ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीयमाला, खण्ड ४२–अंक ४१ से ५०–४ से १६ अप्रैल १९६०/१५ से २७ चैत्र १८८२ (शक)

अंक ४१—सोमवार, ४ अप्रैल, १९६०/१५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ से १२७१, १२७४, १२७६ से १२७८, १२८१ से १२८५ और १२८९ से १२९१ ४४०७–३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . ४४३४–३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७२, १२७३, १२७५, १२७९, १२८०, १२८६, १२८७, १२८८ और १२९२ से १२९६ ४४३७–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१७ से १७५९ ४४४३–६१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

वायुक्षेत्र के उल्लंघन के बारे में प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्यों में कथित विरोधाभास . ४४६२–६३

सभा पटल पर रखा गया पत्र ४४६३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नौसेना के प्रशिक्षण विमान की दुर्घटना . . . ४४६३–६४

अनुपस्थिति की अनुमति . ४४६४

समवाय (संशोधन) विधेयक . ४४६५

लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति ४४६५

अनुदानों की मांगें ४४६६–४५१३

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ४४६६–४५११

स्वास्थ्य मंत्रालय . ४५११–१३

दैनिक संक्षेपिका . . . ४५१४–१७

अंक ४२— बुधवार, ६ अप्रैल, १९६०/१७ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९८, १२९९, १३०१ से १३०६, १३०८ से १३११, १३१५ और १३१७ से १३२१ ४५१९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर —	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या १२९७, १३००, १३०७, १३१२ से १३१४, १३१६, १३२२ और १३२३ . . .	४५४८–५२
अतारांकित प्रश्न संख्या १७६० से १८३१ .	४५५२–८७
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में . . .	४५८७
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	४५८७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४५८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
बासठवां प्रतिवेदन .	४५८९
प्राक्कलन समिति	
अस्सीवां प्रतिवेदन . . .	४५९०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पाकिस्तान को पानी का दिया जाना . . .	४५९०–९१
अमृत बाजार पत्रिका में लेख के बारे में . . .	४५९१
सदस्य को सजा	४५९१
अनुदानों की मांगें	
स्वास्थ्य मंत्रालय	४५९२–४६५८
कल्याण विस्तार परियोजनाओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	४६५९–६२
दैनिक संक्षेपिका	४६६३–६८
अंक ४३—गुरुवार, ७ अप्रैल, १९६०/१८ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२४ से १३३४ और १०९१ . .	४६६९–९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ से १३४५	४६९१–९६
अतारांकित प्रश्न संख्या १८३२ से १८६४ . . .	४६९६–४७०८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७०८
प्राक्कलन समिति	
तिरासीवां प्रतिवेदन	४७०९
अनुदानों की मांगें	
खान, इस्पात और ईंधन मंत्रालय	४७०९–५६
चीनी के मूल्य में वृद्धि के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	४७५६–६१
दैनिक संक्षेपिका . . .	४७६२–६५

अंक ४४—शुक्रवार, ८ अप्रैल, १९६०/१९ चैत्र, १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४६, १३४७, १३५०, १३५२, १३५६ से १३५८, १३६३ से १३६५, १३६७, १३६९ से १३७५, १३५३, १३६२ और १३६६ . . . . . ४७६७—९२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ४७९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३४८, १३४९, १३५१, १३५४, १३५५, १३५९ से १३६१ और १३६६ . . . . . ४७९५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६५ से १९१२ . . . . ४७९८—४८२३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४८२३—२५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४८२५—२६

राज्य सभा से सन्देश . . ४८२६—२७

अनुदानों की मांगें . . . ४८२७—६४

इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय . . ४८२७—४९

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . . ४८४९—६४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी—

बासठवां प्रतिवेदन ४८६५

तीसरी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के बारे में संकल्प . ४८६५—८६

विभिन्न प्रतिरक्षा परिषदों की स्थापना के बारे में संकल्प . . ४८८६—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . ४८८९—९३

अंक ४५—शनिवार, ९ अप्रैल, १९६०/२० चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७६, १३७७, १३८० से १३८८, १३९१ और १३९४ से १३९८ . . . . . ४८९५–४९२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७८, १३७९, १३८९, १३९०, १३९२, १३९३ और १२३० . . . . ४९२२—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १९१३ से १९५३ . . ४९२४—४२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४९८२
प्राक्कलन समिति—	
बयासीवां प्रतिवेदन	४९८२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
जबलपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों की बेदखली . . .	४९४३–४४
सभा का कार्य	४९४४–४५
कांडला पत्तन के बारे में वक्तव्य	४९४५–४६
अनुदानों की मांगें—	
प्रतिरक्षा मंत्रालय	४९४६—९४
दैनिक संक्षेपिका	४९८२—९४
अंक ४६—सोमवार, ११ अप्रैल, १९६०।२२ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १३९९, १४०१ से १४०४, १४०६, १४०८, १४१०, १४११ और १४१४ से १४१८	४९९९—५०२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४००, १४०५, १४०७, १४०९, १४१२, १४१३, और १४१९ से १४२२ . . .	५०२२—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या १९५४ से १९८९ और १९९१ से १९९३	५०२६—४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५०४२–४३
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही—सारांश	५०४३
याचिकाओं का उपस्थापन	५०४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की पूर्व सूचना के बारे में . .	५०४३
अनुदानों की मांगें . .	५०४४—५११४
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय .	५०४४—९७
पुनर्वास मंत्रालय . . .	५०९७—५११४
दैनिक संक्षेपिका	५११५—१८

विषय	पृष्ठ
अंक ४७—मंगलवार, १२ अप्रैल, १९६०।२३ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४२३ से १४३६ .	५११९—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४३७ से १४५४ .	५१४५—५३
अतारांकित प्रश्न संख्या १९९४ से २०३३ और २०३५ से २०४१	५१५४—७६
स्थगन प्रस्ताव के बारे में .	५१७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	५१७७
सदस्य द्वारा पद त्याग . .	५१७८
समिति के लिये निर्वाचन	५१७८
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	५१७८
अनुदानों की मांगें .	५१७८—५२३६
पुनर्वास मंत्रालय . .	५१७८—५२१२
सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय . .	५२१२—३६
दैनिक संक्षेपिका .	५२३७—४१
अंक ४८—बुधवार, १३ अप्रैल, १९६०।२४ चैत्र, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४५५–१४५८, १४६०, १४६१, १४६३–६६, १४६८, १४७० और १४७१ . .	५२४३—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १४५९, १४६२, १४६७, १४६९ और १४७२ से १४८०	५२६६—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या २०४२ से २०८०	५२७२—९१
प्रश्न की शुद्धि	५२९१
राज्य-सभा से सन्देश	५२९१
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक—सभा पटल पर रखा गया	५२९१
अनुदानों की मांगें	५२९१—५३५२
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय	५२९१—५३३६

पृष्ठ

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय : . . . ५३३६—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५३५३—५६

अंक ४६—गुरुवार, १४ अप्रैल, १९६०।२५ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८१ से १४८४, १४८६, १४८७, १४९० से १४९४, १४९६, १४९७, १५००, १५०१ और १५०५ . . . ५३५७—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८५, १४८८, १४८९, १४९५, १४९८, १४९९, १५०२ से १५०४ और १५०६ से १५१४ . . . ५३८२—९२

अतारांकित प्रश्न संख्या २०८१ से २१४७ . ५३९२—५४२०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . ५४२०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही—सारांश ५४२०

प्राक्कलन समिति—

नवासीवां प्रतिवेदन ५४२०

बम्बई पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ५४२१

अनुदानों की मांगें . . . . . ५४२१—७६

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ५४२१—६४

वित्त मंत्रालय . . . . . ५४६४—७६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५४७७—८१

अंक ५०—शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०।२७ चैत्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१५ से १५१८, १५२१, १५२२, १५२६, १५२९, १५३०, १५३३ से १५३६, १५४० और १५४१ . . ५४८३—५५०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१९, १५२०, १५२३ से १५२५, १५२७, १५२८, १५३१, १५३२, १५३७, १५३८ और १५३९ . . . ५५०६—११

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४८ से २१९८ . . . . ५५११—३२

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

आसाम के मिज़ो हिल्स ज़िलों में अकाल की स्थिति ५५३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५३४

राज्य-सभा से सन्देश ५५३५

प्राक्कलन समिति--

चौरासीवां प्रतिवेदन ५५३६

तारांकित प्रश्न संख्या १४३० और ९१९ के उत्तरों की शुद्धि ५५३६-३७

सभा का कार्य ५५३७

अनुदानों की मांगें--

वित्त मंत्रालय ५५३७--५४

वेतन की अधिकतम सीमा (ग़ैर-सरकारी क्षेत्रों में) विधेयक--श्री अ० मु० तारिक द्वारा पुरस्थापित ५५५४-५५

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबंध) विधेयक--श्री नागी रेड्डी का विचार करने के लिये प्रस्ताव--अस्वीकृत ५५५५--७२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नये खंड ७क का रखा जाना)--श्री त० ब० विट्ठल राव का विचार करने के लिये प्रस्ताव ५५७२--७४

संविधान (संशोधन) विधेयक--(अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) श्री च० का० भट्टाचार्य का--पुरस्थापित ५५७४-७५

कार्य मंत्रणा समिति--

पचासवां प्रतिवेदन ५५७५

दैनिक संक्षेपिका ५५७६--८१

नोट :--मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND--LS III--329 (Ai) LSD--4-6-60--135.

लोक-सभा

शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०

२७ चैत्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तृतीय पंचवर्षीय योजना

+

†*१५१५. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या योजना मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायतों, खण्ड तथा जिला परामर्शदात्री समितियों से तृतीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे के बारे में सुझाव देने के लिये कहने के संबंध में राज्य सरकारों को क्या हिदायतें दी गई हैं ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : इस मामले पर २१ मार्च, १९६० को हुए राज्य योजना सचिवों के सम्मेलन में विचार किया गया था। यह निर्णय किया गया था कि जिला और खण्ड योजनाओं में साधारणतया कृषि उत्पादन, सहकारी संस्थाओं का विकास, ग्राम उद्योग, प्रारम्भिक शिक्षा ग्रामीण जल संभरण और ग्रामीण निम्नतम सुविधाएं, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पूरे समय के काम देने के लिये निर्माण कार्य, सम्मिलित होने चाहियें। इन योजनाओं की तैयारी में पंचायतों, पंचायत समितियों या खण्ड विकास समितियों और जिला परिषदों या जिला सलाहकार समितियों को सक्रिय भाग लेना होगा। इस लिये इन निकायों के परामर्श से राज्य सरकारें इस दिशा में अग्रेतर कार्रवाई करेंगी।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : प्रश्न यह था कि राज्य सरकारों को पंचायतों, खण्ड तथा जिला सलाहकार समितियों को तीसरी पंच वर्षीय योजना के मसविदा के बारे में सलाह देने के लिये कहने के बारे में क्या हिदायतें दी गई हैं। क्या ऐसे सुझाव राज्य सरकारें को दिये गये हैं या नहीं ?

†मूल अंग्रेजी में

329 (Ai) LSD.—1.

†श्री श्या० नं० मिश्र : इन सब बातों पर खण्ड योजना सचिवों के सम्मेलन में पूरे विस्तार के साथ इसी उद्देश्य से विचार किया जा चुका है कि ग्राम पंचायतों और इन निकायों के सदस्यों को इस बारे में स्पष्ट हिदायतें मिलें कि उनको किस प्रकार काम करना है।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : तीसरी पंच वर्षीय योजना के मसविदे को बहुत शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाने वाला है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या यह इन समितियों से परामर्श करना और तीसरे योजना के तैयार किये जाने से पूर्व उनके सुझाव मांगना संभव होगा ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : हमें तीसरी योजना के मसविदे को अन्तिम रूप देने में लगभग एक वर्ष लग जाएगा। इस लिये माननीय सदस्य के मन में जो बात है, उसके लिये पर्याप्त समय है।

†श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में जिन विभिन्न निकायों का उल्लेख किया है, तथा वे इस मामले पर सक्रिय रूप में विचार करेंगे ? ये निकाय अपने प्रस्ताव किस प्राधिकार को भेजेंगे और उस अधिकारी को कब तक उन प्रस्तावों के भेजे जाने की संभावना है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : अब प्राधिकार बहुत अधिक विकेन्द्रित और फैले हुए हैं। अतः प्रत्येक स्तर पर अधिकारी है जो इन मामलों की ओर अच्छी तरह ध्यान देंगे। उदाहरणार्थ, खण्ड समितियां—वहां खण्ड अधिकारी है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतें भी अन्य कर्मचारियों की जो पंचायतों में होते हैं, सहायता और सहयोग ले सकती हैं। अत : उनके द्वारा उच्च अधिकारियों को अपने प्रस्ताव भेजने का प्रश्न इतना महत्व का नहीं जितना यह माननीय सदस्य को प्रतीत होता है। परन्तु समय के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि इन निकायों के सुझाव अन्तिम योजना तैयार किये जाने से काफी समय पूर्व उपलब्ध हो जायेंगे।

†श्री दी० चं० शर्मा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि विचार करने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। परन्तु क्या इन पंचायत खण्डों और जिलों की सलाहकार समितियां और जिला परिषदों या जिला सलाहकार समितियां अपने सुझाव सीधे योजना आयोग को भेजेंगी अथवा सुझाव राज्य सरकारों को भेजेंगी ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : योजना आयोग स्थानीय संस्थाओं से ये प्रस्ताव प्राप्त नहीं करता ये सब स्थायी सुझाव और योजनाएं राज्य सरकारों के पास पहुँचेंगी और वे उनको अपनी राज्य योजनाओं में जोड़ने का प्रयत्न करेंगी।

†श्री नरसिंहन् : क्या इसका विचार किया गया है कि राज्य सरकारों के पास यह सब सूचना इकट्ठी करने और उनपर विचार करने के लिये पृथक् उप विभाग होंगे ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : हमने प्रबंध करना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है। यदि वे इस के लिये पृथक् उप विभाग बनाना चाहेंगे तो यह उनकी अपनी सुविधा का मामला होगा। इस सुझाव पर राज्य सरकारें अच्छी तरह विचार कर सकती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह : पिछला अनुभव यह है कि नीचे की समितियां जो सुझाव या सिफारिशें भेजती हैं, उन्हें उच्च समितियां स्वीकार नहीं करतीं। क्या इसका प्रबन्ध किया गया है कि तीसरी योजना को अन्तिम रूप देने के लिये पंचायतें, पंचायत समितियां या खण्ड विकास समितियां और ज़िला परिषद् या ज़िला सलाहकार समितियां जो सुझाव देती हैं, उन पर यथोचित विचार किया जायगा? क्या ये सुझाव कर्मचारियों के द्वारा ही आएंगे या वे चुने गये निकायों के द्वारा भी आयेंगे ?

श्री श्या० नं० मिश्र : मैं ठीक से नहीं समझ सका कि उच्चतर निकाय द्वारा सिफारिश रद्द किये जाने से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है। प्रत्येक मामले में, उच्चतर निकाय का गठन भिन्न होगा। उदाहरणार्थ, यदि खण्ड समिति से सुझाव आते हैं, तो संभवतः उस पर ज़िला स्तर की समिति विचार करेगी जिस में गैर-कर्मचारी प्रतिनिधि भी होंगे। अतः इन सब लोगों के मन में वे सब बातें होंगी जो माननीय सदस्य देना चाहेंगे। परन्तु यदि संसाधनों आदि की समूची दृष्टि से यदि ये समितियां कुछ सिफारिशों को रद्द करना चाहेंगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई इस पर कोई आपत्ति कर सकता है।

†श्री हेम बरुआ : पिछली बार माननीय मंत्री ने बताया था कि योजना आयोग राज्य सरकारों को सुझाव भेजने वाला था। अब यह मालूम होता है कि प्रारूप योजना पहले से तैयार है, परन्तु योजना आयोग से राज्य सरकारों को सुझाव और पंचायतों तथा अन्य सार्वजनिक संगठनों से सूचना अभी तक एकत्रित नहीं की गई है। यह अभी आनी है। सरकार दोनों वक्तव्यों में कैसे मेल कर सकती है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा) : मैं इसे अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सभा यह अनुभव करती है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में विचार बनाने के लिये लोगों का अधिक सक्रिय और वास्तविक योग होना चाहिये। उनकी अपनी सीमाएं हैं और वे अत्यन्त प्रविधिक और अन्य मामलों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। परन्तु योजना के कुछ पहलू हैं जिन से उनका संबंध है और इसलिये उनको कुछ कहना चाहिये। दूसरी योजना के मामले में बहुत से प्रक्रमों पर चर्चा की गई और उन पर विचार भी किया गया। परन्तु इस मामले में, मैं समझता हूं जैसा कि मेरे साथी ने कहा है, इस समय तक यह किया गया है कि राज्यों को कहा गया है कि मोटे तौर पर योजना के आकार में इतनी वृद्धि की जाएगी और वे अपने कार्यकारी दलों (वर्किंग ग्रुप) और अन्य साधनों के द्वारा अपने विचार योजना आयोग तक पहुंचा दें। उन्हें अन्य निकायों से परामर्श करने का भी साधन था। अब मोटी रूप रेखा यहां है। इसके बाद प्राथमिकताएं निर्धारित करने आदि का अधिक महत्वपूर्ण काम सामने आयेगा। मैं समझता हूं कि यह सुझाव कि वे पंचायतें और दूसरे निकाय इन चीजों के बारे में सक्रिय रूप से विचार करें, बिल्कुल उचित है। परन्तु निचले निकायों में मतभेद हो सकता है। इसलिये यह नहीं हो सकता कि निचले सब निकायों के एक सुझाव हों। परन्तु जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उन पर यथोचित विचार किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह थी, कि क्या सुझाव सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही आएंगे या वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा भी आएंगे। जैसा हम ने दूसरी पंच वर्षीय योजना

†मूल अंग्रेजी में

के बारे में किया था, हम प्रारूप रूपरेखा पर विचार करने के लिये बहुत सी समितियों में संसद् सदस्य रखेंगे । वहां वे योजना बनाने में लोगों के विचारों को सामने लाएंगे । इसी प्रकार, मैं समझता हूं कि राज्यों में निचले पैमानों पर भी यही किया जाना चाहिये ।

†श्री वेंकटा सुब्बैया : राज्य सरकारों को सुझाव देने के अतिरिक्त, क्या यह सरकार यह व्यापक प्रश्नावलि जारी करने का विचार रखती है, जिस में योजना के विभिन्न पहलू हों और विभिन्न पंचायतों, पंचायत समितियों तथा ज़िला परिषदों के सुझावों को कार्यान्वित करने के बारे में भी प्रश्न हों ?

†श्री नंदा : ये सब बातें व्यापक रूप रेखा में दी गई हैं ।

स्ट्रेप्टोमाइसीन और डिहाइड्रो-स्ट्रेप्टोमाइसीन का आयात

+

†१५१६. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ट्रेप्टोमाइसीन और डिहाइड्रो-स्ट्रैपटोमाइसीन का आयात अब भी हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड की मार्फ़त किया जाता है ;

(ख) उनका आयात हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड की मार्फ़त करने का प्रयोजन क्या है ; और

(ग) क्या इन आयातों से कुछ मुनाफ़ा हुआ है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वाधिक सस्ते मूल्य पर माल खरीद कर आयात पर कम से कम विदेशी मुद्रा खर्च करने का उद्देश्य है ।

(ग) जी, नहीं । हिन्दुस्तान ऐंटीबायटिक्स लि० अपने माल उठाने चढ़ाने और सेवा के व्यय को पूरा करने के लिये तटागत लागत का केवल ५ प्रतिशत लेता है ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि स्ट्रैप्टोमाइसीन और डीहाइड्रो-स्ट्रैप्टोमाइसीन १९६१ से प्रारंभ होगी, क्या स्ट्रैप्टोमाइसीन का आयात १९६१ के बाद जारी रहेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक कहा है, हम १९६१ के प्रारंभ के भाग में उत्पादन आरंभ करने की आशा करते हैं । यह प्रतिवर्ष लगभग ४५ टन होगा । क्योंकि वर्तमान मांग बढ़ रही है हम ने पहले ही ९५ टन स्ट्रैप्टोमाइसीन का उत्पादन करने के लिये ऋषिकेश में दूसरा संयंत्र लगाने का विचार किया है । लगभग १५ से ३० टन क्षमता की गैर सरकारी क्षेत्र में भी अनुमति दी गई है ।

†श्री नंजप्प : इन औषधियों के निर्माता कौन हैं और उन का किन देशों से संबंध है और क्या वे इन औषधियों का आयात और विपलन नहीं कर रहे हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : यह हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० है, जो भारत सरकार की फैक्टरी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिसिरगंज में उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र

+

†*१५१७. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न सख्या १४३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिसिरगंज (पश्चिमी बंगाल) में उत्पादन-व-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब स्थापित किया गया था ;

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने नमक घोने के कारखाने की स्थापना में कितनी प्रगति की है ;

(घ) यह कहां खुलेगा ; और

(ङ) इस उपक्रम में कौन कौन से सी गैर-सरकारी पार्टियां शामिल होंगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह : (क) तथा (ख). ज्योंही इस काम के लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण की जाएगी, केन्द्र स्थापित कर दिया जायेगा ।

(ग) से (ङ): तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में बड़ी नमक घोने की फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव कोंटल में बड़ी नमक उत्पादन इकाई की स्थापना के साथ संबंद्ध है । प्रस्तावित इकाई के लिये स्थान और इसके लिये उपयुक्त गैर-सरकारी दल को लाइसेंस देने के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा ।

†श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि यह बड़ी नमक घोने की फैक्टरी लगाने के लिये योग्य दल बुलाया जाएगा । क्या इस के लिये किन्हीं गैर-सरकारी दलों को निमंत्रण दिया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : पश्चिम बंगाल सरकार ने कोंटाई-डिवीजन में स्थान निश्चित नहीं किया है । ज्यों ही क्षेत्र ढूंढ लिया जाएगा, तो यदि संभव हुआ, राज्य या सरकारी क्षेत्र म समस्त परियोजना का सर्वेक्षण करने का हमारा इरादा है और तब हम उस क्षेत्र में नमक के उत्पादन के लिये उत्पादकों को नियंत्रण भी देंगे जिन में सहकारी समितियां और गैर-सरकारी दल सम्मिलित होंगे ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या इस परियोजना, उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र की लागत के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है, यदि हां, तो कितनी लागत होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : इस समय, मोटे तौर पर लागत का अनुमान लगाया गया है । प्रारंभिक सर्वेक्षण पर लगभग ५६,००० रुपये खर्च होंगे, किन्तु जब पूरा विकास होगा तो लागत १० लाख रुपये से बढ़ जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार गैर-सरकारी निर्माताओं के सहयोग से बड़ी नमक धोने की फैक्टरी स्थापित करने का विचार करती है ; यदि हां, क्या यह इस परियोजना से अलग होगी, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाएगी ? यदि यह स्वतंत्र परियोजना है, तो दोनों के कार्य का किस प्रकार समन्वय करने का विचार किया गया है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह वही बात है जिसका माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केन्द्रीय सरकार के घनिष्टतम सहयोग से कोटाई परियोजना का विचार किया गया है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र में कितने कर्मकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ?

†श्री मनुभाई शाह : परियोजना का अभी सर्वेक्षण किया जाना है । तब क्षमता का विचार किया जाएगा, और समय बताएगा कि वहां कितने कर्मकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

†श्री सुबोध हंसदा : १५ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३३ के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण केन्द्र तब स्थापित किया जाएगा जब भूमि अधिग्रहण की जाएगी । इस भूमि को अधिग्रहण करने में विलंब का क्या कारण है ?

†श्री मनुभाई शाह : क्योंकि वहां कई झगड़े वाले लोग हैं, जिन लोगों की भूमि हैं, और कुछ कृषक हैं जिन्हें वहां से हटाना सरलता से संभव नहीं होगा और भूमि अधिग्रहण की अन्य सामान्य बातें मार्ग में बाधक है, इस कारण विलम्ब हुआ है ? परन्तु राज्य सरकार सर्वथा सक्रिय है और हमें आशा है कि वे शीघ्र ही प्रक्रिया कार्यवाही पूरी कर लेंगे ।

†श्री त्यागी : योजना पर कितना खर्च होगा और क्या राज्य सरकार सारा खर्च बर्दाश्त करेगी ।

†श्री मनुभाई शाह : जी, नहीं, जैसा कि मैंने कहा प्रारंभिक सर्वेक्षण में ५६,००० रुपये खर्च हुए हैं और हमें राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र सहकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में १० लाख रुपये से अधिक कुल विनिमय विनियोजन की आशा है ।

पाकिस्तान द्वारा जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सम्पत्ति का नीलाम

†

†*१५१८. { श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या प्रधान मंत्री १५ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ९११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने जम्मू तथा कश्मीर राज्य की पाकिस्तान में स्थित कुछ सम्पत्ति नीलाम कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाही की है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) तथा (ख). इस विषय पर सरकार को जानकारी नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० मु० तारिक : १५ दिसम्बर, १९५९ के मेरे प्रश्न संख्या ९११ के उत्तर में सभा सचिव ने इस सभा को बताया था कि सुरक्षा परिषद् को एक पत्र भेजा गया था। यह सभा पटल पर भी रखा गया था। क्या पाकिस्तान सरकार से उस पत्र का उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†श्री सादत अली खां : १२ नवम्बर, १९५९ को संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने जम्मू तथा काश्मीर राज्य, पश्चिम पाकिस्तान, की पुरानी सम्पत्ति को नीलाम करने के तथाकथित आज़ाद काश्मीर सरकार के प्रतिवेदित निर्णय के विरुद्ध सुरक्षा परिषद् में विरोध किया था। इस पत्र की प्रति १५ दिसम्बर, १९५९ को तारांकित प्रश्न संख्या ९११ के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी। अभी तक पाकिस्तान सरकार ने इस विरोध पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। हमें कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान सरकार इन सम्पत्तियों की नीलामी कर रही है। अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री अ० मु० तारिक : अब हमें सभा सचिव ने मेरे प्रश्न के (क) और (ख) भागों के उत्तर में बताया है कि इस विषय में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। क्या पाकिस्तान में हमारे उच्च आयोग ने जिस पर हम बहुत धन खर्च कर रहे हैं, कोई सूचना प्राप्त नहीं की और हमें उन से कोई सूचना नहीं मिली है ? क्या काश्मीर के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है कि वे लाहौर में कुछ सम्पत्तियों की नीलामी कर रहे हैं जो काश्मीर के स्वर्गीय महाराजा की है, यदि हां, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई की गई है ?

†श्री सादत अली खां : यह भिन्न प्रश्न है। माननीय सदस्य लाहौर की सम्पत्ति के बारे में पूछ रहे हैं, तथाकथित आजाद काश्मीर इलाके की सम्पत्ति के बारे में नहीं। जहां तक हमारी उस क्षेत्र की सम्पत्ति का प्रश्न है, जो अब पाकिस्तान के अधिकार में है, ऐसी कोई खबर नहीं है कि उसको नीलाम किया जा रहा है।

†श्री अ० मु० तारिक : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में स्थित जम्मू और काश्मीर की कुछ सम्पत्तियां नीलाम की हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि "तथा कथित आजाद काश्मीर में।" लाहौर भी पाकिस्तान में है।

†श्री सादत अली खां : मुझे १५ दिसम्बर, १९५९ का तारांकित प्रश्न संख्या ९११ पढ़ना होगा जो इस प्रकार है : "क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान में स्थित जम्मू और काश्मीर की अचल सम्पत्तियों को नीलाम करने का निर्णय किया है।"

†श्री अ० मु० तारिक : आजाद काश्मीर नहीं।

†श्री सादत अली खां: इसका मैंने पिछली बार उत्तर दिया है कि हमने निर्णय का विरोध किया है। अभी तक उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। हमें किसी सम्पत्ति के नीलाम किये जाने की सूचना नहीं मिली। अब यह स्थिति है। यदि माननीय सदस्य दूसरी बात के बारे में पृथक प्रश्न पूछेंगे तो मैं सूचना प्राप्त कर लूंगा।

†अध्यक्ष महोदय: नहीं। उनका निर्देश जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य की लाहौर स्थित कुछ सम्पत्ति के विक्रय के विरोध की ओर है। यह साधारण रूप से है। संभवतः सभा सचिव यह समझते हैं कि इसका केवल तथाकथित आजाद काश्मीर से सम्बन्ध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : श्रीमान्, मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : श्रीमान्, मैं इस मामले में आपका पथ प्रदर्शन चाहता हूं । सभा सचिव पूर्व सूचना क्यों चाहते हैं ? मैंने साधारण सा प्रश्न पूछा है ।

†**श्री सादत अली खां**: श्रीमान्, अभी तो मेरे पास जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य इतने पर भी अपना प्रश्न पूछें तो फिर पूछताछ की जायेगी कि जानकारी है या नहीं (**अन्तर्बाधा**) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । अनावश्यक तनाव पैदा किया जा रहा है । कोई भी माननीय सदस्य आग्रह नहीं कर रहे। उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार है । उन्होंने हमें बताया है कि यह पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में है । माननीय सभा सचिव यह कह सकते थे "मैं इसकी जांच करूंगा, यह बात हमारे विचार में नहीं ।" यह कहने के बजाय, वह यह क्यों कहें : "यदि माननीय सदस्य आग्रह करें" आदि ?

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि तथाकथित आजाद काश्मीर सरकार को किसी भी सरकार ने नहीं माना है, क्या भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद को अपने पत्र में यह बात कही है कि आजाद काश्मीर सरकार को यह सौदा करने का वैध अधिकार नहीं है ?

†**श्री सादत अली खां**: पत्र सभा पटल पर रखा गया था । मैं माननीय सदस्या से यह पत्र पढ़ने का निवेदन करता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या हमें जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री के अधिकार से पता लगा था कि ऐसी घटना पाकिस्तान में हुई थी, चाहे कहीं भी हुई हो ; यदि हां, तो क्या रावलपिंडी में दोनों देशों के वित्त मंत्रियों की हाल की बैठक में इस पर विचार विमर्श हुआ था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें इसका पता नहीं है । यह पूछने से क्या लाभ ?

समुद्रयानों के डीजल इंजन

†*१५२१. { **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री राम कृष्ण गुप्त** : **श्री रामी रेड्डी** :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्रयानों के डीजल इंजनों का निर्माण करने वाले एक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में इस प्रकार के सामान और उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के बारे में सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है ;

(ग) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(घ) इस कारखाने की स्थापना किस स्थान पर की जायगी ; और

(ङ) इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ङ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) से (ङ). तृतीय पंचवर्षीय योजना में समुद्रयानों के डीज़ल इंजन परियोजना की स्थापना पर आजकल सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । परियोजना का उत्पादन प्रोग्राम तृतीय योजना में समुद्रयान निर्माण की अतिरिक्त क्षमता बनाने के अनुकूल बनाना होगा । परियोजना की विस्तृत बातें, इसकी क्षमता, लागत और स्थान अभी निश्चित होना है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : विवरण से विदित होता है क यह परियोजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होगी । इस सम्बन्ध में क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना से पहले इस परियोजना का वास्तविक रूप सामने आ जाये ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रारम्भिक कार्यवाही से कुछ अधिक कार्यवाही की जा चुकी है । टेन्डर प्राप्त हो गये हैं, अन्तिम उत्पादों की जांच हो गई है; प्राक्कलन तैयार हो गये हैं । अब प्रश्न केवल यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये अनेक परियोजनाओं के होते हुये हम अन्य परियोजनाओं के साथ सरकारी क्षेत्र में इस परियोजना के लिये धन व्यवस्था कर सकते हैं या नहीं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस परियोजना पर कितना व्यय होगा जिससे माननीय मंत्री को यह शंका होती है कि संभव है कि इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न किया जाये, कदाचित इसका कारण यह है कि इस पर बहुत अधिक व्यय होगा, आदि ?

†श्री मनुभाई शाह: अनेक भारी औद्योगिक परियोजनायें हैं जो वित्त की दृष्टि से सरकारी अनुमति प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है । इस परियोजना पर लगभग ५ करोड़ से ६ करोड़ रु० तक व्यय होंगे । अत: यह सापेक्ष प्राथमिकता का प्रश्न है । जो परियोजनायें अभी अनिश्चित पड़ी हैं उनमें से किन को आवश्यक राष्ट्रीय प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

†श्री रामी रेड्डी: क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र सरकार ने सुझाव दिया है कि विशाखापटनम में जहाज बनाने का कारखाना होने और उद्योगों में आन्ध्र के पिछड़े होने की दृष्टि से यह कारखाना विशाखापटनम में स्थापित किया जा सकता है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह विचार कभी उत्पन्न नहीं हुआ ह परन्तु कारखाना विशाखापटनम में जहाज बनाने के कारखाने के साथ होगा । अत: इसमें राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकार का विचार सम्मिलित नहीं है ।

†श्री पलनियाण्डी : क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक लोको डीज़ल इंजन बनाने का भी विचार कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : इसमें सम्मिलित नहीं है । रेलवे प्रोग्राम अलग है । यह तो केवल समुद्र यानों के इंजनों, 'इन्टरनल कमबश्न इंजन' तथा इंजनों का प्रोग्राम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम कृष्ण गुप्त : प्रश्न के भाग (ख) में देश में ऐसे सामान का उत्पादन सम्बन्धी सिफारिशें करने के लिये समिति नियुक्त करने का उल्लेख है । क्या कोई समिति बनाई गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** एक नहीं कई समितियों ने परियोजना के सम्बन्ध में कार्य किया है । यह विचार तो सर्वप्रथम समिति ने भी किया था । तब से काफी काम हो चुका है । अब तो केवल उचित स्थान प्राप्त करने का प्रश्न है ।

†**श्री गोरे :** यह बात ध्यान में रखते हुये कि सरकार के पास बहुत अधिक परियोजनायें हैं क्या यह गैर-सरकारी उद्योग को दे दिया जायेगा या इसे पूर्णतया छोड़ दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** नहीं, श्रीमान । जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, सरकार को कोई भी परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र को देने में कोई रुकावट नहीं है । परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये यह कोई आकर्षक प्रस्थापना नहीं है क्योंकि जहाजों में प्रयोग होने वाले अधिकतर पुर्जे विशाखापटनम या कोचीन के जहाज बनाने के कारखानों में बनेंगे । अतः साधारणतया इसे जहाज बनाने की परियोजना से जोड़ना होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल रावः** यह परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई थी । परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण इसे आरम्भ नहीं किया जा सका । इस कारण इसे तृतीय योजना में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाये ?

†**श्री मनुभाई शाहः** द्वितीय योजना में अनेक परियोजनाओं को समायोजित करना था । ऐसी कोई निश्चित परियोजना नहीं थी जो द्वितीय योजना में सम्मिलित होनी थी परन्तु तृतीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये छोड़ दी गई । तृतीय योजना में विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकता निश्चित करने में ये ही राष्ट्रीय विचार ध्यान में रखें जायेंगे और इस परियोजना के लिये भी राष्ट्रीय संसाधनों का ध्यान रखा जायेगा ।

†**श्री रामी रेड्डी :** प्रश्न का भाग कहता है कि :

> "क्या यह भी सच है कि देश में इस प्रकार के सामान और उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के बारे में सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है ;"

क्या कारखाना विदेशी सहायता से बनाया जायेगा या केवल अपने ही देश के विशेषज्ञों द्वारा बनाया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसमें प्रर्याप्त विदेशी सहायता प्राप्त होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह बात ध्यान में रखते हुए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना का सम्मलित किया जाना बहुत ही सन्देहजनक है, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी परियोजना की योजना तैयार करने में इतनी समितियों का समय क्यों नष्ट किया गया है जिसके सम्मिलित किये जाने के बारे में स्वयं माननीय मंत्री ही बहुत संदिग्ध हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मुझे सन्देह नहीं है । इन परियोजनाओं के लिये मैं तो सदैव ही आशापूर्ण रहता हूं और यदि हम प्रयास करते रहे तो वे सदैव ही फलीभूत होता है । अतः यह निराशा की तो बात ही नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में उल्लेख है कि परियोजना का उत्पादन प्रोग्राम तृतीय योजना में समुद्रयान निर्माण की अतिरिक्त क्षमता बनाने के अनुकूल बनाना होगा। देश की जहाज बनाने की क्षमता में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ताकि यह परियोजना कार्यान्वित हो सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं जहाजों के लिये मशीनों सम्बन्धी प्रश्न को जहाज बनाने के दूसरे कारखाने का प्रश्न बनाना नहीं चाहता । मेरे माननीय साथी ने कोचीन में जहाज बनाने के दूसरे कारखाने के बारे में पर्याप्त जानकारी दी थी ।

कालकाजी में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती

†***१५२२. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालकाजी में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की प्रस्तावित बस्ती के नक्शे तैयार करने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(ख) विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन करने में किस प्रक्रिया का पालन किया जायेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से क्षेत्र का रूपरेखा सम्बन्धी सर्वेक्षण करने को कहा गया है । नक्शे बाद में तैयार होंगे । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि नक्शे कब तैयार होंगे ।

(ख) भूमियों के आवंटन की प्रक्रिया अब निर्धारित नहीं हुई है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** आवंटनों के लिये ऋण-प्रार्थनापत्र कब आमंत्रित किये जायेंगे ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : पहिले हम इन भूमियों को तैयार करेंगे और इसी बीच हम प्रार्थनापत्र मांग लेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस बस्ती को लगभग कितने क्षेत्र में बनाने का विचार है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : यह बतनाना संभव नहीं है । हमने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से रूपरेखा सम्बन्धी सर्वेक्षण करने को कहा है और मुझे आज ही बताया गया है कि उसने रूपरेखा सम्बन्धी सर्वेक्षण कर लिया है । अब वे नक्शे बनायेंगे । इन नक्शों के तैयार होने के बाद हम यह बता सकेंगे कि क्षेत्रफल कितना होगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार का विचार गृह निर्माण के लिये ऋण देने का है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : उन बातों पर अभी विचार नहीं किया गया है ।

औद्योगिक डिजाइन संस्था

†***१५२६. श्री अरविंद घोषाल** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ अप्रैल, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १८०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कोई औद्योगिक डिजाइन संस्था खोली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) तथा (ख). औद्योगिक डिजाइन संस्था का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । इसके स्थान के बारे में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : क्या यह सच नहीं है कि बम्बई में औद्योगिक डिजाइन संस्था बनाने के लिये पहिले ही कार्यवाही की जा चुकी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : क्या भारत में कोई औद्योगिक डिजाइन संस्था है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार की भारत में यह पहिली संस्था होगी । परन्तु विभिन्न पालीटेक्निक्स एंड इंजीनियरिंग कालिजों में औद्योगिक डिजाइनों में सुधार करने के लिये अनेक प्रयत्न किये गये हैं ।

लद्दाख में चीनियों का अनाहूत प्रवेश

†***१५२९. श्री पहाड़िया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष को अपने हाल के पत्र में लद्दाख में चीनियों के अनाहूत प्रवेश का जिक्र किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) पत्र की प्रति पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) पत्र विचाराधीन है ।

†**श्री हेम बरुआ** : हमने पाकिस्तान की इस आपत्ति पर कि लद्दाख के बारे में चीन से वार्ता करने में पाकिस्तान का परामर्श लेना चाहिये, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को जो पत्र भेजा था क्या हमें उसका उत्तर मिल गया है, और यदि हां, तो उस का विषय क्या है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सुरक्षा परिषद् को भेजे गये पत्रों का उत्तर नहीं दिया जाता । उन्हें केवल सदस्यों में परिचालित किया जाता है ।

†**डा० राम सुभग सिंह**: क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिये हम पूर्ण उत्तरदायी हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद् से जो शिकायत की है हमने अभी उसका उत्तर नहीं भेजा है । उत्तर भेजते समय हम एक प्रति पटल पर रख देंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ में यह तर्क रख रहा है कि पाकिस्तान भारत और चीन के बीच हुए किसी भी करार को स्वीकार नहीं करेगा । क्या इस बारे में पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि भारत सरकार पूर्ण सक्षम है और इस राज्य क्षेत्र की प्रतिरक्षा करना चीनियों को लद्दाख से निकालना उसके क्षेत्राधिकार में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पाकिस्तान और सम्पूर्ण संसार को यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि काश्मीर भारत का अंग है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि द्वारा यह पत्र भेजा था । क्या संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ? माननीय उपमंत्री का यह कहने का क्या तात्पर्य है कि यह विचाराधीन है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पहिला पत्र पाकिस्तान ने ३ दिसम्बर को भेजा था और इसका उत्तर हमने २२ दिसम्बर को दे दिया था । पाकिस्तान के दूसरे पत्र का हमारे उत्तर की प्रति पत्र भेजते समय पटल पर रखी जायेगी। "मामला विचाराधीन है" का तात्पर्य यह है कि सुरक्षा परिषद् से पकिस्तान ने जो प्रार्थना की है उस का हम जो भेजेंगे वह विचाराधीन है ।

†**श्री हेम बरुआ** : यह बात ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने २५ मार्च, १९६० को सुरक्षा परिषद् को पत्र भेजा था और वह पत्र अब भी विचाराधीन है और हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् को कोई उत्तर नहीं दिया है, क्या सरकार का विचार वहां हमारे स्थायी प्रतिनिधि को यह अनुदेश देने का है कि वह यहां नेहरू–चाव–एन–लाई वार्ता आरम्भ होने से पहले उत्तर दे दें ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन**: मुझे निश्चित तारीख विदित नहीं है । सुरक्षा परिषद् को पत्र भेजते ही हम उसे पटल पर रखें । मैं यह नहीं कह सकता कि पत्र का विषय क्या होगा या कि पत्र निश्चित रूप से किस तारीख को भेजा जायेगा ।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान की आपत्ति की दृष्टि से कि लद्दाख के मामले पर यहां चीन के प्रधान मंत्री से कैसे वार्ता की जा सकती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : संभव है कि लद्दाख की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य को कुछ सन्देह हो । परन्तु भारत सरकार ने बार बार कहा है कि समूचा काश्मीर न्यायतः वस्तुतः भारत का अंग है ।

†**श्री त्यागी** : क्या पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अपने पत्र में इससे सहमति प्रकट की है कि राज्य क्षेत्र पर चोनियों ने अनुचित रूप से कब्जा किया है और वह आक्रमण था ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् से जो भी कहा है वह पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य उसे पढ़ लें ।

दिल्ली के दुकानदारों के काम के घंटे

+

*१५३०: { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री वाजपेयी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दुकानों के काम के घंटों में परिवर्तन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं और यह कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) लेकिन दिल्ली लेबर एडवाइजरी बोर्ड ने यह मामला इसकी एक सब-कमेटी के सुपुर्द कर दिया है ।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : आजकल दुकानों में काम करने के घंटे क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली** : अधिनियम के अनुसार आजकल दुकानें ७ बजे सुबह से १० बजे रात तक गर्मियों में खुली रह सकती हैं और सर्दियों में ८ बजे सुबह से ९ बजे रात तक ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : समय पालन न करने पर अब तक कितने दुकानदारों पर अभियोग चलाये गये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : अलग पूर्व सूचना मिलनी आवश्यक है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि यह अधिनियम डिस्पेंसरियों पर भी लागू होता है ?

†**श्री आबिद अली** : हां, श्रीमान् ।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या सरकार आकस्मिक छुट्टी और बीमारी छुट्टी पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देगी और क्या सरकार कोई संशोधन प्रस्तुत करेगी या यह मामला उपसमिति पर छोड़ देगी ?

†**श्री आबिद अली**: इस संबंध में हमें अब तक कोई मांग नहीं मिली है । मांग मिलने पर निश्चय ही विचार किया जायेगा ।

दिल्ली में अनुसूचित जाति के शरणार्थियों को बस्तियां

†*१५३३. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी दिल्ली की रामपुरी–कालकाजी, लाजपतनगर आदि जैसी कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनमें विशेष रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों (भंगियों) को मकान दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले सात वर्षों में कभी भी उन्हें इस बात की सूचना नहीं दी गयी कि उन्हें दिये गये कमरों का किराया देना होगा ; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार पिछले सात वर्षों का किराया एक मुश्त मांग रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) कालकाजी और लाजपत नगर के एक हिस्से में मकानों का एक एक हिस्सा अनुसूचित जातियों के विस्थापित व्यक्तियों को बिल्कुल अलग से दे दिया गया है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आ टियों को बकाया किस्तों के भुगतान के संबंध में मांग के नोटिस दे दिये गये हैं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या अनुसूचित जातियों के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये मकानों की कीमत के बारे में सरकार और इन लोगों के बीच कोई समझौता हो गया है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना: अभी तक हमने किसी को एक भी मकान मुफ्त में नहीं दिया है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़: इस बात को ध्यान में रखते हुये कि उस मुहल्ले में अधिक अनुसूचित जाति के गी रहते हैं और उनमें से बहुत से ेजगार हैं, क्या सरकार उन्हें ५० प्रतिशत राज सहायता देगी ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : जी नहीं ।

†श्री त्यागी : सरकार ने एक पूरी बस्ती अथवा उसका अंश केवल भंगियों को दे दिया है ? क्या ऐसा उन्हें पृथक करने के लिये किया गया है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : जी नहीं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। आरम्भ में जिस समय हमने दिल्ली के चारों ओर इन बस्तियों का निर्माण किया था उस समय काफी हरिजन भी थे जो पश्चिम पाकिस्तान से आये थे। लाजपतनगर और कालकाजी जैसी बड़ी बस्ती में मकानों का एक ब्लाक उन्हें एलाट कर दिया गया। उस समय विचार यही था और यह कार्य उन्हीं व्यक्तियों के अच्छे से अच्छे हितों को सामने रखते हुये किया गया था। ताकि वह उस मुहल्ले में ही रोजगार पा सकें और काम कर सकें ।

†श्री बांगशी ठाकुर : क्या तीन वर्ष बीत चुकने के बाद सात वर्षों का किराया मांगने में कार्यवाही की अवधि बीत जाने की बात सरकार के सामने नहीं आती ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : सरकार के मामले में यह अवधि मेरे ख्याल से ज्यादा है।

†राजा महेन्द्र प्रताप : मैंने वह पूरी जगह देखी है और मुझे यह कहने में बड़ा खेद है कि वह एक मुश्त इस राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं। क्या इसे कुछ किस्तों में बांट देने का कुछ उपबन्ध है ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : हमें उनके साथ अधिक से अधिक दिलचस्पी है और इसी इरादे से पटेल नगर, लाजपतनगर और कालकाजी जैसी अपनी बस्तियों में हमने उन्हें जो मकान दिये उनकी कीमत का भुगतान १५ वर्षों में किया जाना है। दूसरे, प्रत्येक किस्त की राशि बहुत थोड़ी होती है। यह भी बहुत बकाया हो गयी है। अभी उसी दिन मुझ से मिलने आये थे और मैंने उनसे कह दिया कि यदि वे मौजूदा किस्तें और एक महीने का बकाया अदा कर दें तो मैं लेने

†मूल अंग्रेजी में

को तैयार हूं। मैं पूरी राशि का भुगतान आज ही करने को नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक महीने का बकाया और मोजूदा किराया मांग रहा हूं। मेरे ख्याल से इससे बेहतर रियायत तो कोई हो ही नहीं सकती।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के विस्थापित व्यक्तियों के लिये एक या दो नहीं वरन् लगभग एक दर्जन से कम बस्तियों का निर्माण किया गया है और उन्हें वहां रखा जाता है। सरकार ने कहा है कि यदि वह एक महीने का बकाया और चालू महीने का किराया दें तो उन्हें रहने दिया जायेगा। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह या तो केवल माहवारी किराया ले या मकान की लागत—चाहे वह जो भी हो—वसूल कर ले।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कार्य के लिये सुझाव मात्र है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि सरकार केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से ही उन सम्पतियों का निबटारा करना चाहती तो मैं उन्हें जब्त कर स्वयं उनका मालिक बन जाता और उन्हें लागत से तीन चार गुनी अधिक कीमत पर बेच देता। मेरी मंशा यह नहीं है। मैं चाहता हूं कि वे उन मकानों में रहें और मैं उनके साथ अच्छी से अच्छी रियायतें कर रहा हूं।

†**श्री त्यागी** : एक बात स्पष्ट नहीं की गयी है। मेरे मित्र ने यह आरोप लगाया है कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिये पृथक बस्तियां बना दी हैं। मुझे आशा है कि सरकार की नीति यह तो नहीं है।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि लाजपतनगर और कालकाजी जैसी बड़ी बस्तियों में उन्हें मकान दे दिये गये हैं ताकि उन्हें वहां काम मिल सके।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी कोई मंशा नहीं है। माननीय सदस्य ने स्वयं यह बात शुरू की थी। यह स्पष्ट है कि कुछ हिस्से उनके लिये सुरक्षित कर दिये गये थे, अन्यथा अन्य व्यक्तियों के बीच में उन्हें मोका ही नहीं मिलता।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : वहां भी पृथकता है—एक तरफ कांग्रेसी हैं और और दूसरी ओर विरोधी पक्ष के लोग।

†**श्री यादव नारायण जाधव**: मकानों की कुल संख्या कितनी थी और उनके किराये कितने थे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : लाजपतनगर में मकानों की संख्या २१४ है और कालकाजी में ९६। किराया बहुत ही कम है और ५–१०–० से ५–१४–० रुपये के बीच है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या यह सच है कि सरकार ने प्राइवेट जमीन अनेक विस्थापित व्यक्तियों को मुफ्त दे दी थी और और अनुसूचित जातियों के विस्थापित व्यक्तियों से जमीन की कीमत भी वसूल की गयी है ? यदि हां, तो क्या इन विस्थापित व्यक्तियों से जमीन की कीमत वसूल करना सरकार के लिये उचित है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे खेद है कि अनावश्यक आरोप और आक्षेप लगाये जा रहे हैं। मैंने यह कहा था कि हमने उनके साथ अच्छी रियायतें की हैं। जहां तक जमीन की कीमत का सम्बन्ध है हम उनसे जमीन के लिये एक पाई भी देने को नहीं कह रहे। जमीन का किराया भर है जो ९९ वर्ष में वसूल होगा। जमीन का किराया हम हर महीने वसूल करते हैं जो बहुत थोड़ा होता है।

---

†मूल अंग्रजी में

भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम

+

†*१५३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव, जिनमें सदस्यता-शुल्क सम्बन्धी शर्त भी शामिल है, इस समय किस अवस्था में है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ में संशोधन के प्रस्तावों को, जिन में सदस्यता-शुल्क सम्बन्धी शर्त्त भी शामिल है, इस समय अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : विचाराधीन बातों का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है ?

†**श्री आबिद अली** : संशोधन है कि समदस्यता-शुल्क २५ नये पैसे प्रतिमास होगा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि संशोधन करने वाला विधेयक अगले सत्र में पुरःस्थापित कर लिया जायेगा । क्या इस विधेयक को इस सत्र तक पुरःस्थापित किया जा सकेगा ?

†श्री आबिद अली : इसे चालू सत्र में पुरःस्थापित किया जा सकता है । अन्यथा अगले सत्र में तो इसे निश्चित रूप से पुरःस्थापित कर दिया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: सदस्यता-शुल्क सम्बन्धी उपबन्ध के अलावा भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ के और किन-किन उपबन्धों में संशोधन किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : जिन अन्य उपबन्धों का संशोधन किया जायेगा वह रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा नामजद व्यक्ति द्वारा कार्मिक संघों के हिसाब-किताब रेकार्डस आदि के निरीक्षण से, ताकि वास्तविक विवरणियों की सत्यता की जांच हो सके, और अन्य विविध भदों के बारे में हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह कानून बनाने का भी प्रस्ताव है कि सभी संस्थापनों में केवल एक ही कार्मिक संघ हो और कोई समानान्तर संघ न हो ।

†**श्री आबिद अली** : जी नहीं ।

कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड

†*१५३५. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड ने माल लादने-उतारने वाले कर्मचारियों (स्टीवेडोर्स) को छुट्टी, भविष्य निधि सम्बन्धी अंशदान और अन्य लाभों की जो प्रतिपूर्ति की थी उस पर हुए खर्च की वसूली के लिये क्या कुछ कार्यवाही की गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वसूल हुई है ; और

(ग) यदि नहीं हुई तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मालिक लोग माहवारी श्रमिकों के सम्बन्ध में एक पृथक कर अदा करते हैं । यह प्रतिपूर्ति इस कर से हुई वसूली में से की गयी थी । बोर्ड ने यह प्रथा १–४–१९६० से बन्द कर देने का निश्चय किया है ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : क्या स्टीवेडोरों को भविष्य निधि और साथ ही श्रमिकों के प्रतिकर दावों में से भी किसी धन का भुगतान किया गया था ?

†**श्री आबिद अली** : जहां तक भविष्य निधि की राशि का सम्बन्ध है, मैं सभा को बता चुका हूं कि वह सुरक्षित है और उसे पृथक खाते में दिखाया जाता है । जहां तक श्रमिकों के प्रतिकर का सम्बन्ध है, निश्चय ही श्रमिक उसे उस समय प्राप्त कर सकेंगे जब वह उन्हें देय हो जायेगा ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : भविष्य निधि के खाते में से और श्रमिकों के प्रतिकर में से स्टीवेडोरों को भुगतायी गयी राशि कितनी है ?

†**श्री आबिद अली** : यह सभी ब्यौरा उस रिपोर्ट में दिया हुआ है जो माननीय सदस्य के पास है ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : कितनी राशि बाकी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह रिपोर्ट देख लें । माननीय सदस्यों को पहले यह देख लेना चाहिये कि रिपोर्ट में क्या बात कही गयी है । आम तौर पर सभा में ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती जिनके उत्तर सदस्यों को उपलब्ध छपे हुए रेकार्डों में मिल सकते हैं ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : अभी तक कितनी रकम वसूल की गयी है ।

†**श्री आबिद अली** : कोई रकम वसूल नहीं होनी है । मैं पहले बता चुका हूं कि या तो जहाजवाले को या स्टीवेडोर को भुगतान करना होता हैं । यदि राशि का भुगतान बोर्ड को करना पड़ता है तो उसे जहाजवालों से वसूल कर लिया जाता है । यदि स्टीवेडोरों को स्वयं देना पड़ता हो तो इस राशि को कम कर दिया जाता है । श्रमिकों को किसी भी प्रकार से घाटा नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो भी देना हो, अब तक कितनी राशि वसूल की गयी है ?

†**श्री आबिद अली** : कुछ भी राशि वसूल नहीं हुई है । पहले हम ५५ प्रतिशत 'लेवी' वसूल करते थे । १ अप्रैल, से यह राशि स्टीवेडोरों को स्वयं देनी होती है । इस लिये लेवी ५५ प्रतिशत से घटा कर ९ प्रतिशत कर दी गयी है ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : मंत्री महोदय यह बात स्वीकार कर चुके थे कि स्टीवेदोरों ने दुर्भाग्यवश भविष्य निधि के धन का उपयोग कर लिया था । मैं जानना चाहता हूं कि स्टीवेडो ों ने विष्यनिधि में से कितनी राशि ले ली थी और उसमें से कितनी राशि अब तक वसूल हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : ५ लाख रुपये के बन्ध पत्र गिरवी रखे गये थे । यह वसूल हो गये हैं और अलग खाते में डाल दिये गये हैं ।

†**श्री अजराज सिंह** : स्टीवेडोरों को जिस राशि की प्रतिपूर्त्ति की गयी थी क्या वह बोर्ड की सम्पत्ति थी ? १९५९ की मई में सरकार ने कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के कार्यकरण की जांच के लिये एक समिति नियुक्त कर दी थी और उन्होंने कहा है कि स्टीवेडोरों को गलत ढंग से प्रतिपूर्त्ति की गयी राशि वसूल की जानी चाहिये । सरकार इस धन को कब वसूल करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : आयोग ने इसे वसूल करने की सिफारिश नहीं की थी । उसने कहा कि यह पद्धति बदल देनी चाहिये । मैं पहले बता चुका हूं कि या तो स्टीवेडोरों की सीधे श्रमिकों को भुगतान करना होगा या जहाज वाले बोर्ड की मार्फत भुगतान करें । यदि माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि श्रमिकों को देय राशि का गलत ढंग से उपयोग किया गया था तो यह गलत धारणा है और इसे दूर कर देना चाहिये ।

†**श्री अजराज सिंह**: क्या यह सच है कि मई, १९५९ में नियुक्त की गयी मेहता समिति ने विशिष्ट रूप में यह सिफारिश की थी कि स्टीवेडोरों को जो राशि अग्रिम दे दी गयी थी उससे योजना का उल्लंघन हुआ है और क्या उसमें यह भी कहा गया था कि यदि यह किसी गैर-सरकारी पार्टी को दी गयी होती तो उसके खिलाफ फौजदारी की कार्यवाही की जा सकती थी ? क्या सरकार मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए स्टीवेडोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने वाली है ?

†**श्री आबिद अली** : पहले भाग का उत्तर 'हां' है । और दूसरे का 'नहीं' क्यों कि आयोग ने स्वयं यह सिफारिश नहीं की है कि उसे वसूल किया जाये ।

नेफा में प्लाईवुड का कारखाना

†***१५३६. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** १७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश फर्म से नेफा क्षेत्र में एक प्लाईवुड का कारखाना और कुछ इसी प्रकार के उपक्रमों की स्थापना के सम्बन्ध में इस बीच करार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या करार की अन्तिम शर्तों में कुछ परिवर्तन किया गया हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : जी नहीं, इस मसले पर अब भी चर्चा हो रही है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि आदिम जातियों के लोगों के ५१ प्रतिशत हिस्सों के आधार पर नेफा प्रशासन ने नेफा में प्लाईवुड का एक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव मांगे थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जो० ना० हजारिका** : जी हां । प्लाईवुड का कारखाना स्थापित करने के संबंध में दिये गये विज्ञापन में हमने कहा था कि ५१ प्रतिशत हिस्से आदिमजातियों के लिये रक्षित कर दिये जाने चाहियें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या प्रस्ताव में कुछ परिवर्तन हुआ है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हम जिस कम्पनी के साथ बात-चीत चला रहे हैं उसने आदिम-जातियों के लिये प्रिफरेंस अथवा इक्विटी हिस्सों के रूप में पूंजी के ४० प्रतिशत हिस्से रखने का प्रस्ताव किया है ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या आदिम जाति के लोगों की राजी से ५१ प्रतिशत से घटाकर इसे ४० प्रतिशत किया गया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : अभी तो यह मसला बातचीत के अन्तिम प्रक्रम पर है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि ब्रिटिश फर्म के साथ मूलरूप से जो बातचीत की जा रही थी वह बन्द कर दी गयी है और अब आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कम्पनी के साथ बातचीत चलायी जा रही है और वह नेफा प्रशासन को कम्पनी में ४० प्रतिशत हिस्से देने को राजी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या यह नेफा प्रशासन द्वारा मूल रूप से दिये गये उस विज्ञापन के प्रतिकूल नहीं जाता जिसमें कहा गया था कि वनों का कार्य करने के लिये एक सिमित दयित्व वाली कम्पनी बनानी होगी जिसमें नेफा प्रशासन आदिम जाति के लोगों को और पूंजी के ५१ प्रतिशत हिस्से खरीदने का अपना अधिकार सुरक्षित रखना है ताकि कम्पनी के प्रबन्ध में उसका भाग भी हो सके ? अब आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के साथ बातचीत चलाई जा रही है जिसने ईक्विटी अथवा प्रिफरेंस शेयरों के रूप में पूंजी के ४० प्रतिशत हिस्से देने का प्रस्ताव किया है जिसका प्रबन्ध में भाग लेने के हमारे अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इतने लम्बे प्रश्न से वह महज यह जानना चाहते हैं कि यह प्रतिशत ५१ प्रतिशत से क्यों घटाई गयी है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : वह प्रस्ताव हमने किया था । अब वार्ता अन्तिम प्रक्रम में है जिसमें कम्पनी ने ५१ प्रतिशत के स्थान पर ४० प्रतिशत हिस्से देने का प्रस्ताव किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति शांति । प्रश्न यह है कि यदि नेफा प्रशासन मूलरूप से पूंजी में ५१ प्रतिशत हिस्से ले सकता था और प्रशासन तथा वनों के उपयोग में अपना प्रभावपूर्ण अधिकार रख सकता था तो प्रतिशत को ५१ से घटाकर ४० क्यों किया जाय ? स्पष्ट है कि यह नेफा प्रशासन के हितों के प्रतिकूल पड़ेगा ।

†**श्री जो० ना० हजारिका** : यह बिल्कुल सीधी बात है कि वह हमारा प्रस्ताव था और उसके संबंध में समझौता करना ही पड़ता । बातचीत के दौरान अन्तिम प्रक्रम में उन्होंने ४० प्रतिशत देने का प्रस्ताव किया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : बातचीत मूलतः एक ब्रिटिश फर्म के साथ की जा रही थी । उससे उन्होंने ५१ प्रतिशत की मांग की थी । उसे बन्द कर दिया गया । एक दूसरी ही फर्म अर्थात् आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के साथ नये सिरे से बातचीत चलायी जा रही है । उसने ४० प्रतिशत का प्रस्ताव किया है । मैं ठीक ठीक यह जानना चाहता हू कि क्या इस नयी कम्पनी द्वारा मजूर किये गये ४० प्रतिशत को मान लेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने पहले जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया जा चुका है और अब उन्होंने अपना प्रश्न बदल दिया है। मैं इसे पूछने को अनुमति नहीं दूंगा।

अमरीका को निर्यात

+

†*१५४०. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०१६ के उत्तर के सबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच ऐसे डिजाइनरों की तालिका नियुक्त करने के प्रस्तावों पर विचार कर लिया है जो अमरीका को निर्यात किया जा सकने वाला ठीक प्रकार का माल तैयार कर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). यह मसला अब भी विचाराधीन है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या सरकार ने अमरीका में हथकरघे के सामान के डिजाइन तैयार करने को व्यवस्था के प्रश्न पर भी विचार किया है ?

†**श्री कानूनगो** : बिल्कुल यही बात तो विचाराधीन है कि यह कार्य किस प्रकार से किया जाना चाहिये । हम हथकरघा बोर्ड के साथ मिलकर अनेक अमरीकी फाउन्डेशनों के साथ इस संबंध में बातचीत चला रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : पिछले एक अवसर पर यह ज्ञात हुआ था कि वाशिंगटन की कुछ जाली अमरीकी कम्पनियां हथकरघों के हमारे डिजाइनों की नकल करने का प्रयास कर रही हैं — वहां बिक्री के लिये वह हैन्डलूम के कपड़े के कुछ डिजायनों की नकल करते हैं। कुछ कार्यवाही की गयी थी। उस कार्य वाही का क्या परिणाम निकला ? क्या वह अब भी इस व्यवसाय में आते हैं ?

†**श्री कानूनगो** : यह प्रश्न बिल्कूल ही भिन्न मसले से संबंधित है।

†**श्री हेम बरुआ** : कैसे ? यह प्रश्न हमारे सामान पर डिजायन बनाने के बारे में है ताकि अमरीका को हमारी चोजों का निर्यात किया जा सके। ये दोनों बातें परस्पर संबंधित हैं। वैसे हम या तो अपने डिजायन बनाने छोड़ दें या अमरीका के डिजायन अपना लें।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन दोनों में कुछ अन्तर हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : जी नहीं ।

†**श्री कानूनगो** : यह वस्त्रों की डिजायन के बारे में है। जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं वह रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के डिजायन के बारे में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह पूछा गया था कि कुछ लोग नकली डिजायन आदि बाजारों में भेज रहे हैं और क्या इससे उल्लंघन नहीं होता, और कि, क्या कार्यवाही की जा रही है। स्पष्ट है कि दोनों के संबंध में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। एक डिजायन बनायी गयी है और दूसरी जाली है ।

†**श्री हेम बरुआ** : जाली डिजायन को रोकना है ताकि हमारा डिजायन वहां चल सके।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने अमरीका पर अभी इस देश को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया है ।

मोटर-साइकिलों का निर्माण

†*१५४१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने मैसूर में मोटर साइकिलों के निर्माण के लिये एक कारखाने की स्थापना की योजना का अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). ५० सी० सी, १७५ सी० सी० और २५० सी० सी० की जावा "सी जैट" मोटर साइकिलें बनाने की योजना है जिनमें ८० प्रतिशत देशी सामान होगा और ऐसा उन्हें तीन वर्ष के अन्दर करना है। १८ महीने के अन्दर उत्पादन कार्य आरम्भ हो जायेगा। आरम्भ में ४८ प्रतिशत देशी सामान होगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या किसी भारतीय फर्म ने इस मोटर साइकिल के कारखाने की स्थापना करने के लिये अपने आपको प्रस्तुत किया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैसूर की आइडियल मोटर्स लिमिटेड ने कहा था।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** : इस तरह के कारखानों के लिये विशेष रूप से मैसूर पसन्द किया जाता है। ऐसे कारखाने नागपुर आदि जैसे किसी केन्द्रीय स्थान में क्यों नहीं स्थापित किये जाते ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य का शायद यह विचार है कि बंगलौर में कारखाना स्थापित किया जायेगा। मैसूर नाम का एक नगर भी है जहां कोई कारखाना नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस कारखाने के बन जाने पर इसमें कितना उत्पादन होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जब कारखाने में सबसे अधिक उत्पादन होने लगेगा तब १५,००० मोटर साइकिलें बनेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इससे पूर्व माननीय सदस्य ने जो अनुपूरक प्रश्न पूछा था, उससे स्पष्ट रूप से वह यह जानना चाहते थे कि एक ही राज्य तथा क्षेत्र की ओर क्यों ध्यान दिया जाता है। उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों की स्थापना हर क्षेत्र में क्यों नहीं की जाती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जा रहा है। मैसूर नगर में कोई उद्योग नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही राज्य की ओर क्यों ध्यान दिया जाये। मध्य प्रदेश अथवा बम्बई राज्य में उद्योग क्यों न चालू किया जाये ? मैं माननीय मंत्री से इस बात के लिये आग्रह नहीं करता कि वे इसका उत्तर दें। वे इतना अवश्य कह सकते हैं कि अन्य केन्द्रीय स्थान के मुकाबले में वहां अधिक सुविधायें हैं अथवा यह कह सकते हैं कि यद्यपि मैसूर नगर भी उसी राज्य में है किन्तु वहां भी एक उद्योग होना चाहिये।

†**श्री मनुभाई शाह** : कारखानों को हर क्षेत्र में स्थापित करने की नीति में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस क्षेत्र से प्रस्ताव आया है। हम यह बताने की कोशिश करते हैं कि वे अल्प विकसित क्षेत्रों में स्थापित किये जायें। यदि राज्य का शहर दूसरे शहरों के मुकाबले में औद्योगिक दृष्टि से बहुत ज्यादा विकसित हो तब हम उस नगर को अन्य नगरों के समकक्ष नहीं रख सकते और न यह कह सकते हैं कि सारा राज्य औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो चुका है। वस्तुतः औद्योगिक रूप से अल्पविकसित विभिन्न क्षेत्रों की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। यद्यपि बम्बई औद्योगिक दृष्टि से विकसित है किन्तु महाराष्ट्र तथा गुजरात के कई क्षेत्र विकसित नहीं हैं। इसी प्रकार कलकत्ता भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है किन्तु पश्चिम बंगाल के कई भागों में कोई उद्योग नहीं है। यह बात मैसूर नगर के साथ है। उसके चारों तरफ कोई उद्योग नहीं है। अतः जब वह नगर चुना गया तो यह कहने का कोई कारण नहीं है कि वे वहां इसकी स्थापना न करें।

†**श्री त्यागी** : क्या स्कूटर बनाने के लिये कारखाने की स्थापना करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, श्रीमान। दो या तीन प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उनकी उचित रूप से जांच होने के बाद ही सरकार यह निश्चय करेगी कि इस सम्बन्ध में क्या करना है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : इस समय मोटर साइकिलों की कुल कितनी मांग है तो देश में कितनी मोटर साइकिलें बनाई जाती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन चीजों का अनुमान लगाना कठिन है। जैसा कि सभा को मालूम है, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ५,००० का लक्ष्य था। इसकी पूर्ति हो गई है किन्तु हमें मालूम हुआ कि अनुमान कम लगाया था। तृतीय पंच वर्षीय योजना में १०,००० का लक्ष्य सोचा गया था किन्तु यह भी कम मालूम पड़ रहा है। अतः मद्रास के कारखाने में ५,००० मोटर साइकिलें बनाई जायेंगी और इस कारखाने में १५,००० तथा शायद भारत के किसी अन्य भाग में भी कारखाने की स्थापना करने के बारे में विचार किया जा सकता है ताकि क्षमता की कमी के कारण परिवहन की मदों में कमी न आने पावे।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या यह गैर-सरकारी क्षेत्र में रखा जायेगा अथवा सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा यह गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने बताया कि यह कारखाना मैसूर में स्थापित किया जायेगा क्योंकि वहां से ही मूल प्रस्ताव प्राप्त हुआ। क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस सिद्धान्त पर चलता है कि जहां से सुझाव प्राप्त हो वहीं कारखाना स्थापित किया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक विकसित स्थानों को छोड़ कर सामान्यतः ऐसा ही किया जाता है क्योंकि सभा और संसद् समय समय पर ऐसा निर्णय करते हैं कि एक ही स्थान पर उद्योगों का केन्द्रीयकरण रोका जाये। अतः एक फर्म ने आरम्भ में ही एक ऐसा स्थान चुना है, जिससे एक पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सकता है, तो हम उनसे दूसरा सुझाव मानने को नहीं कहते।

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय देश में उद्योगों का सर्वेक्षण कराने के लिये कोई समिति स्थापित करना चाहता है ताकि वह उद्योग के सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये एक वृहद योजना तैयार कर सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : तृतीय पंच वर्षीय योजना खुद ही भारत की एक वृहद योजना है। द्वितीय अथवा तृतीय जो भी योजना बनाई जाती है उसके पहले सभी आर्थिक व सामाजिक पहलुओं पर विचार कर लिया जाता है और इस पर भी विचार कर लिया जाता है कि कितना माल उपलब्ध है अथवा कितने संसाधन हैं। वस्तुतः इन सब बातों को देख कर ही सारी योजनायें बनाई जाती हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

डनलप टायर

†१५१९. **श्री विन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के बड़ाजमदा क्षेत्र के बारबिल स्थान में ३४+७ साइज़ के डनलप टायर सूची मूल्य के अलावा २०० रुपये अतिरिक्त मूल्य पर बिक रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बात की व्यवस्था के लिये सरकार क्या नियंत्रण रख रही है कि भारत में डनलप तथा अन्य विदेशी टायरों के निर्माता अपने एजेंटों की मार्फत टायर सूची मूल्य पर बेचें ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७]**

डाक तथा तार कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये पेशगी धन देना

†*१५२०. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३१ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार विभाग के कितने कर्मचारियों के लिये इस बीच मकान बनाने के लिये पेशगी धन की मंजूरी दी जा चुकी है ;

(ख) क्या सरकार ने योजना के अधीनस्थ शर्तों में कुछ छूट देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वास्तव में जरूरतमन्द व्यक्तियों को वह कैसे लाभ पहुंचायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) डाक तथा तार विभाग के १५ कर्मचारियों के अलावा जिन्हें २२ मार्च, १९५८ तक आवास निर्माण के लिये अग्रिम धन दिया गया था, ३१ मार्च, १९६० तक डाक तथा तार विभाग के ५४ और व्यक्तियों को अग्रिम धन मंजूर किया गया है ।

(ख) और (ग). आवास निर्माण अग्रिम धन नियमों के अनुसार (डाक तथा तार विभाग सहित) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को, जो स्थायी हैं अथवा जिन्होंने लगातार दस वर्ष नौकरी कर ली है, अग्रिम धन दिया जा सकता है । अग्रिम धन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के २४ महीने के वेतन अथवा २५,००० रुपये तक, जो भी राशि कम हो, दिया जा सकता है । कुछ वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम धन की मात्रा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में श्रमजीवी लड़कियों का होस्टल

†*१५२३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में श्रमजीवी लड़कियों का एक होस्टल बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है, उसमें कितना खर्च होगा और होस्टल में कितना स्थान उपलब्ध होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अ० कु० चन्दा)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान । महिला सरकारी कर्मचारियों के खुद के रहने के लिये होस्टल बनाने का विचार है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये प्राक्कलनों तथा योजनाओं में थोड़े बहुत संशोधन की आवश्यकता थी । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पुनरीक्षित योजनाय तथा प्राक्कलन तैयार कर रहा है ।

केन्द्रीय भेषज पुनर्नियंत्रण संस्था

†*१५२४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भेषज पुनर्नियंत्रण संस्था की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अभी प्रस्ताव विचाराधीन है और उसे अन्तिम रूप देने में कुछ समय लगेगा ।

बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड

†*१५२५. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड ने जो राज सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना तैयार की थी उसके अधीन कितने मकानों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था ;

(ख) कितने मकान बनाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उसके लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(घ) यदि कुछ भी सहायता नहीं दी गई हो तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या मकानों के निर्माण के निमित्त धन प्राप्त करने के उद्देश्य से "लेवी" लगाने के लिये गोदी कर्मचारी नियोजन विनियमन अधिनियम के अधीनस्थ योजना का संशोधन किया जा रहा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ३५००।

(ख) बोर्ड की निधि से ५७१ मकान बनाये गये हैं।

(ग) और (घ). बस्ती के सम्बन्ध में बोर्ड ने जो वचन दिये थे उनको पूरा करने के लिये उसे ५ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था।

सिन्द्री में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन

†*१५२७. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्द्री में इस समय रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में कुछ कमी रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कायंवाही की गई है

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) से (ग). विशेष प्रकार के भट्टी के कोयले के पूरी आवश्यकता के अनुसार न मिलने के कारण ही मुख्यतः सिन्द्री में उत्पादन में कमी हुई है। इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय ने अब इस प्रकार के कोयले की सिन्द्री की मांग पूरी करने में सहायता की है और यह प्रयत्न किये जा रहे हैं कि कहीं और से दीर्घावधि के आधार पर उपयुक्त प्रकार का कोयला प्राप्त किया जाये।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

*१५२८. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि भारत सरकार १९६०–६१ में भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): सरकार १९६१ के आरम्भ में भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समरोह के आयोजन के प्रस्ताव पर विचार कर ही है।

रंग का कारखाना

*१५३१. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी कांसोर्टियम के साथ भारत में जो बातचीत हो रही थी क्या उसे इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना देश के किस भाग में खोला जायेगा ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ग) उसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(घ) उस पर कितना व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जैसा कि २२ मार्च, १९६० को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०२३ के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, प० जर्मनी की फर्मों के कन्सर्टियम से मूलभूत रसायन तथा अन्त:वर्तीय पदार्थ (इण्टरमीडियेट्स) बनाने की एक प्रायोजना स्थापित करने के बारे में बातचीत पूरी हो चुकी है और करार का एक सर्वसम्मत मसौदा तैयार कर लिया गया है जो भारत सरकार तथा प० जर्मन फर्मों के अनुमोदन के बाद लागू होगा ।

(ख) जैसा कि २२ दिसम्बर, १९५९ को सदन की मेज पर रखे गये एक विवरण में बातया गया था, सरकार ने अन्त:वर्त्तीय पदार्थ संयंत्र बम्बई राज्य के पनवेल स्थान के पास आप्टा खरपाड़ा में लगाने का अस्थायी तौर पर निश्चय कर लिया है । कारखाने के वास्तविक स्थान का अन्तिम निर्णय पं० जर्मन फर्मों के शैल्पिक विशेषज्ञों की सालह से किया जायेगा ।

(ग) इसमें शुरू में लगभग ४० अन्त:वर्त्तीय पदार्थ बनाने का प्रस्ताव है । इसकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग २४,००० टन प्रतिवर्ष होगी ।

(घ) इस प्रायोजना की पूंजीगत लागत लगभग ११ से १२ करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है । इसमें कार्यकारी पूंजी और बस्ती की लागत शामिल नहीं है ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

*१५३२. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना इस अधिवेशन में पेश नहीं की जा सकेगी ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब तक पेश किये जाने की आशा है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा तैयार करने का काम चल रहा है । आशा है कि मसविदा मई महीना के पूर्वार्ध में सरकार के विचार के लिये तैयार हो जायेगा और जून के शुरू में प्रकाशित कर दिया जायेगा । प्रकाशन के बाद तुरन्त ही सदस्यों को कापियां भेज दी जायेंगी । ऐसा ख्याल है कि प्रारम्भिक रूपरेखा पर संसद् द्वारा आगामी अधिवेशन में विचार किया जायेगा ।

सरकारी क्वार्टरों का दिया जाना

†*१५३७. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सभी सरकारी कर्मचारियों के मामलों की जांच कर ली गयी है जिनके दिल्ली/नई दिल्ली में या तो खुद अपने मकान हैं या जिनकी माता अथवा पिता के मकान हैं लेकिन वे स्वयं नियमानुसार पात्रता के प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अ० कु० चन्दा)** :(क) नहीं, श्रीमान् । जिन पदाधिकारियों के अथवा जिनके मां बापों के दिल्ली/नई दिल्ली में अपने मकान हैं तथा जिनके पास सरकारी क्वार्टर हैं, ऐसे ६३ मामले अभी तय किये जाने हैं ।

(ख) ८० मामले तय हो चुके हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के सम्बन्ध में जो निर्णय किये गये, वे इस प्रकार हैं :—

(१) ४५ व्यक्ति सामान्य किराया दे कर सरकारी क्वार्टर में रह सकते हैं ;

(२) ८ व्यक्तियों को सामान्य किराया दे कर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार ३ से ६ महीने तक की अवधि के लिये अनुमति दे दी गई है ;

(३) ९ व्यक्ति बढ़ा हुआ किराया दे कर ही रह सकते हैं ;

(४) १८ व्यक्तियों के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि उन्हें सरकारी क्वार्टर में रहने का अधिकार नहीं है किन्तु उन्हें क्वार्टर खाली करने के लिय कुछ समय दिया गया है यदि वे बढ़ा हुआ किराया देते रहें ।

मद्रास के गोदी श्रमिकों के लिये मकान

†*१५३८. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास गोदी श्रमिक बोर्ड ने बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड की तरह गोदी श्रमिकों के लिये कुछ मकानों का निर्माण किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) धन की कमी के कारण नहीं किया जा सका है । तथापि बोर्ड यह प्रयत्न कर रहा है कि अपनी कल्याण निधि में से कुछ धन निकाल कर वह अपने श्रमिकों के लिये थोड़े से मकान बनवा दे ।

भारतीय डाकुओं का पाकिस्तान से धावा

*१५३९. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगानगर पर जिन **भारतीय**

†मूल अंग्रेजी में

डाकुओं ने आक्रमण किया था उन्हें लौटाने और उनके द्वारा लूटी गई सम्पति को वापस करने के बारे में पकिस्तानी अधिकारियों के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : पश्चिमी पाकिस्तान पुलिस के अधिकारियों ने राजस्थान पुलिस को सूचना दी है कि जिन डाकुओं ने गंगानगर पर धावा बोला था, उनका मामला अब विशेष सैनिक अदालत के सामने है। पश्चिमी पाकिस्तान पुलिस ने डाकुओं से लूट का जो माल—जैसे, जेवर, कपड़ा, तम्बाकू, ऊंट और नोट—बरामद किया था, वह अभी तक भारतीय अधिकारियों को वापस नहीं किया गया है। राजस्थान के अधिकारी इस मामले पर लिखापढ़ी कर रहे हैं।

आन्ध्र प्रदेश में हाथ के बने कागज का निर्माण

*†२१४८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हाथ के बने कागज के निर्माण के लिये वहां के व्यक्तियों तथा संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८–५९ और १९५९–५६० में इन संस्थाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक संस्था ने कुल कितना कागज बनाया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न किया जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]**

शिक्षित बेरोजगार

†२१४९. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में १९५८–५९ के मुकाबले १९५९–६० में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है ; और

(ख) शिक्षित व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दूर करने के लिये सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजना का क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :(क) जी हां। काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में शिक्षित प्रार्थियों की संख्या दिसम्बर, १९५८ के अन्त में ३०,२९० से दिसम्बर, १९५९ के अन्त में ३२,४२९ हो गई।

(ख) विभिन्न योजनाओं द्वारा शिक्षितों के लिये भी रोजगार के अतिरिक्त अवसर दिये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रकाशन विभाग

†२१५०. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५९ तक प्रकाशन विभाग को कुल कितना लाभ हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** प्रकाशन विभाग द्वारा अर्जित कुल लाभ के आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि यह वाणिज्यिक विभाग के रूप में नहीं रखा जाता तथा हानि व लाभ का कोई लेखा नहीं रखा जाता। इस वर्ष (२१ मार्च, १९६० तक) किताबों आदि की बिक्री से कुल २३,०४,३५८ रुपये प्राप्त हुये ।

विदेशों में भारतीय योगी

†२१५१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय योगी कुछ यूरोपीय देशों में प्राणायाम की योग शिक्षा दे रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसा सरकार द्वारा निकाली गई किसी योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है ; और

(घ) वे किन-किन देशों में शिक्षा दे रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) भारत सरकार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). भारत सरकार ने कोई योजना नहीं निकाली है ।

कागज खरीदने के लिये स्टर्लिंग

†२१५२. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कागज खरीदने के लिय कोई स्टर्लिंग आवंटित किया है ;

(ग) यदि हां, तो कितना तथा किस तारीख को ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने अभी तक उसका उपयोग नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राज्य व्यापार निगम

†२१५३. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में आयातित सामान पर प्रत्येक बन्दरगाह पर राज्य व्यापार निगम ने कुल कितना डैमरेज दिया और उसके क्या कारण है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** वर्ष १९५८–५९ में आयातित वस्तुओं पर राज्य व्यापार निगम ने कोई डैमरेज नहीं दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में श्रमिक कल्याण

†२१५४. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में उत्तर प्रदेश में श्रमिक कल्याण के कामों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि नियत की गई हैं ; और

(ख) किन-किन कामों के लिये धन दिया गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) ११२.०० लाख रुपये ।

(ग) इस धन की सहायता से कारीगरी की शिक्षा देने, जनशक्ति व नियोजन सेवा, तथा अन्य श्रमिक कल्याण की योजनाओं की भी व्यवस्था की गई है ।

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग

†२१५५. **श्री सरजू पांण्डेय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में (जिले-वार) लघु उद्योग सेवा संस्था से कितने उद्योगों को सहायता मिल रही है ;

(ख) किस प्रकार की सहायता दी जाती है ; और

(ग) उन कारखानों के नाम क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]**

उत्तर प्रदेश में मध्यम आय वर्ग आवास योजना

†२१५६. **श्री सरजू पांण्डेय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० के लिये उत्तर प्रदेश को मध्यम आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि नियत की गई तथा कितनी दी गई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा)** : वर्ष १९५९–६० के लिए उत्तर प्रदेश को मध्यम आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना के अन्तर्गत कुल ५० लाख रुपये नियत किये गये और जीवन बीमा निगम ने ३१–३–१९६० के पूर्व ही सारा धन दे दिया।

शिमला में भारत सरकार का मुद्रणालय

†२१५७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री पद्म देव :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला में भारत सरकार के मुद्राणालय के नये भवन के लिये जो स्थान चुना गया था, क्या वह इस बीच प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भवन के निर्माण के लिये क्या किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) शिमला में भारत सरकार के मुद्रणालय के नये भवन के लिये चुना गया स्थान अन्तिम रूप से तय कर लिया गया है ।

(ख) वरिष्ठ कारीगर और संबंधित इंजीनियर द्वारा हाल ही में स्थान का सर्वेक्षण किया गया है और प्रारम्भिक योजना तथा निर्माण कार्य के लिये प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है ।

ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

†२१५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांच चुने हुये उद्योगों में ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों की दशा के बारे में लेबर ब्यूरो, शिमला के डाइरेक्टर द्वारा किये गये सर्वेक्षणों की रिपोर्टों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). लौह अयस्क की खानों, पेट्रोलियम (शोधक कारखाने तथा तेल क्षेत्र) पत्तन तथा रेलों के बारे में सर्वेक्षण की रिपोर्टों पर संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है । भवन तथा निर्माण कार्य उद्योग के बारे में सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी लेबर ब्यूरो के डाइरेक्टर से मिलने वाली है ।

समवाय सचिवों के लिये डिप्लोमा कोर्स

†२१५९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणज्यि तथा उद्योग** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि योग्य व्यक्तियों की मांग की पूर्ति करने के लिये समवाय सचिवों के लिये एक सार्टिफिकेट तथा डिप्लोमा कोर्स शुरू किये जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : समवाय सचिवों के व्यवसाय तथा साथ ही पाठ्यक्रम निर्धारित करने तथा परीक्षायें करने संबंधी सभी विषयों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिये सरकार ने संबंधित कुछ हितों के प्रतिनिधियों का एक मंत्रणा बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया है । इस बोर्ड की बैठक निकट भविष्य में होगी ।

दिल्ली में उद्योगों के लिए अनुसन्धान केन्द्र

†२१६०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में मिट्टी के बर्तन ढलाई और फलपरिरक्षण के उद्योगों के लिये अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की योजना किस दशा में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : दिल्ली प्रशासन द्वारा बनायी गयी एक उपसमिति ने उस योजना पर विचार कर लिया है और उसे अब आयोजन आयोग के पास विचारार्थ भेजने से पहले दिल्ली विकास मंत्रणा बोर्ड की बैठक में उस पर चर्चा की जायेगी।

विभाजन समिति

†२१६१. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री २७ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम पाकिस्तान और पंजाब सरकारों की विभाजन समिति की कोई बैठकें इस बीच उन विषयों पर चर्चा करने के लिये जिनके बारे में पहले कोई समझौता नहीं हुआ था, हुई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन विषयों पर समझौता हो गया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). जी नहीं।

दण्डकारण्य योजना

†२१६२. श्री प्र० फे० देव : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य क्षेत्र में बोरिग्मा उमरकोट सड़क के सुधार के लिये कितनी रकम दी गयी है ;

(ख) यह काम कब पूरा हो जायगा ;

(ग) यह काम स्थानीय ठेकेदारों या विस्थापित व्यक्तियों के जरिये कराया जाता है ; और

(घ) क्या इस काम के लिये दिये जाने वाले दरों की अनुसूची और उस क्षेत्र में उड़ीसा निर्माण कार्य विभाग के दरों की अनुसूची एक ही है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने इस सड़क का केवल एक हिस्सा अर्थात् पपदाहांडी से उमरकोट तक का हिस्सा सुधार के लिये लिया है। इस हिस्से के सुधार के लिये १७.५३ लाख रुपये का अनुमान मंजूर किया गया है।

(ख) लगभग दो साल में।

(ग) यह काम थोड़ा ठेकेदारों के जरिये और थोड़ा विस्थापित व्यक्तियों और आदिम जातियों के जरिये कराया जा रहा है।

(घ) इस काम के लिये अनुदान दण्डकारण्य पर अनुसूची के आधार पर, जो स्थानीय निर्माण कार्य विभाग के दरों की अनुसूची को ध्यान में रख कर बनायी गयी थी, तैयार किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

फेनिल एक्टिक एसिड[1]

†२१६३. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में फेनिल एक्टिक एसिड कितनी मात्रा में विदेशों से भारत में मंगाया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) उस का देश में किस प्रकार उपयोग किया जाता है ;

(ग) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप क्या देश में वाणिज्यक पैमाने पर फेनिल एक्टिक एसिड का उत्पादन शुरू किया जा सकता है ;

(घ) उस के उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में उस के उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार सरकारी क्षेत्र में उस का उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**

बेन्जिल क्लोराइड[2]

†२१६४. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में बेन्जिल क्लोराइड कितनी मात्रा में विदेशों से भारत में मंगाया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) उस का देश में किस प्रकार उपयोग किया जाता है ;

(ग) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप क्या देश में वाणिज्यिक पैमाने पर बेन्जिल क्लोराइड का उत्पादन शुरू किया जा सकता है ;

(घ) उस के उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में उस के उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार सरकारी क्षेत्र में उसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]**

वाइट्रियस एनामल्स[3]

†२१६५. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में ताम्बे के लिए वाइट्रियस एनामल्स कितनी मात्रा में विदेशों से भारत में मंगाया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Phenyl Actic-Acid.

[2]Benzyl Chloride.

[3]Vietreous Enamels.

(ख) उसका देश मे किस प्रकार उपयोग किया जाता है ;

(ग) केन्द्रीय कांच और मृच्छिल्प अनुसंधान संस्था, कलकता में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप क्या देश में वाणिज्यिक पैमाने पर तांबे के लिए वा ट्रियस एनामल्स का उत्पादन शुरू किया जा सकता है ;

(घ) उस के उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में उस के उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार सरकारी क्षेत्र में उस का उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) चूंकि देश के आयात व्यापार वर्गीकरण में तांबे के लि वाइट्रियस एनामल्स का स्पष्ट उल्लेख नहीं है इसलिए उस के आयात के अलग आंकड़े बताना संभव नहीं है ।

(ख) पंकेतकारी ओजार और मोटर्स जैसे घड़ी के डायल, टेलीफोन डायल, पानी के मीटर, बिजली के मीटर आदि तैयार करने में उनका काफी प्रयोग किया जाता है ।

(ग) जी हां । केन्द्रीय कांच और मृच्छिल्प अनुसंधान संस्था, कलकत्ता (सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टिट्यूट, कलकत्ता) में जो तरीका निकाला गया है वह कलकत्ते की एक फर्म को दे दिया गया है और वह प्रारम्भ में पानी के मीटर के डायल तैयार कर रही है ।

(घ) वर्तमान एनामल फैक्टरियां, और किसी अतिरिक्त साज सामान के बिना, उस चीज को तैयार करने का काम प्रारम्भ कर सकती है ।

(ङ) यद्यपि एनामल्स तैयार करने के लिए सरकार को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन कुछ लाइसेंस मंजूर करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं फिर भी तांबें के लिये वाइट्रियस एनामल्स तैयार करने के लिये कोई आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुआ है । सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करने के सम्बन्ध में अभी कोई योजना नहीं है ।

डियोसजेनिन[1]

†२१६६. **श्री प्र० के० देव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में डियोसजेनिन कितनी मात्रा में विदेशों से भारत में मंगाया गया और उस में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) उस का देश में किस प्रकार उपयोग किया जाता है ;

(ग) प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप क्या देश में वाणिज्यिक पैमाने पर डियोसजेनिन का उत्पादन शुरू किया जा सकता है ;

(घ) उस के उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में उस के उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है या सरकार सरकारी क्षेत्र में उसका उत्पादन करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Diosgenin.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ). "डियोसजेनिन" का देश के व्यापार वर्गीकरण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है । इसलिए इस के आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । कार्टिसोन और अन्य स्टेरोयडल हारमोन्स के लिए प्रारंभिक कच्चे माल के तौर पर उसका उपयोग किया जाता है ।

डियोसकोरिया टयूबर्स से डियोसजेनिन तैयार करने का तरीका प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू में निकाला गया है और वह भारतीय पेटेन्ट के अन्तर्गत है । प्रतिदिन पचास किलोग्राम डियोसजेनिन के उत्पादन के लिए ९५,००० रुपये की पूंजी लागत लगने का अनुमान है ।

उपर्युक्त अनुसंधान के आधार पर इसे तैयार करने की एक योजना पहले ही प्राप्त हो चुकी है और उस पर विचार हो रहा है । संश्लिष्ट (सिन्थेटिक) हारमोन्स के उत्पादन के लिये दो फर्मों को पहले ही लाइसेंस दिये जा चुके हैं । उस के उत्पादन की योजना में डियोसकोरिया जैसे पौधे से उत्पादित वस्तु से अन्तर्वर्ती उत्पादित वस्तु के तौर पर डियोसजेनिन के उत्पादन की कल्पना है । सरकारी क्षेत्र में अभी इस के उत्पादन की कोई योजना नहीं है ।

सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†२१६७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड कारखाने में अब तक विस्तार संयंत्र पूर्ण हो गये हैं, उनकी क्षमता कितनी है; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन की क्षमता संभवतः कितनी होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). जो विस्तार संयंत्र लगभग पूरे हो चुके हैं उनकी प्रस्थापित क्षमता प्रतिदिन ७० टन यूरिया और ४०० टन डबल साल्ट तैयार करने की है । अनुकूलतम उत्पादन संभवतः तब होगा जब कि नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर फैक्टरी में सामान्यतया होने वाली प्रारंभिक कठिनाइयों पर धीरे धीरे काबू पा लिया जाय ।

कच्चे मैंगनीस का निर्यात

†२१६८. { **श्री पांगरकर** :
श्री चितामणि पाणिग्रही :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) १ फरवरी, १९६० को भारत के विभिन्न बन्दरगाहों में कितना कच्चा मैंगनीस और कच्चा लोहा बाहर भेजने के लिए पड़ा हुआ था ; और

(ख) उस में से कितना राज्य व्यापार निगम का है और कितना गैर-सरकारी व्यक्तियों का ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मूंगफली के तेल और खली का निर्यात

†२१६९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९–६० में कितना मूंगफली का तेल और कितनी खली भारत से बाहर भेजी गयी; और

(ख) किन किन देशों को उनका निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

निर्यात लाइसेंस

२१७०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों के किसानों को नगदी की फसलों जैसे पटसन, हल्दी, काली मिर्च, मूंगफली और कपास आदि का निर्यात करने के लिये निर्यात लाइसेंस देने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) : कच्चे पटसन का निर्यात स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के द्वारा किया जाता है । हल्दी तथा काली मिर्च के निर्यात का नियंत्रण नहीं किया जाता । उत्पादकों की सहकारी समितियों को हाथ से चुनी हुई बढ़िया मूंगफली के दानों तथा कुछ किस्मों की कपास का निर्यात करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है जिस के निर्यात का नियमन कोटा प्रणाली के आधार पर किया जाता है ।

कत्थे का आयात

†२१७१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में कितने मूल्य का कत्था भारत में विदेशों से मंगाया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : १९५९–६० (अप्रैल–दिसम्बर, १९५९) में ८६,००० रुपये के मूल्य का कत्थे का सत् भारत में बाहर से मंगाया गया । दिसम्बर, १९५९ के आगे जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

मूल्यांकन बोर्ड

†२१७२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों संबंधी कानूनों के लिए कोई मूल्यांकन बोर्ड स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में कितने सदस्य हैं ; और

(ग) क्या यह केन्द्र की सहमति से किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) बोर्ड में बारह सदस्य हैं जिनमें छः कर्मचारियों और छः मालिकों के प्रतिनिधि हैं । उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम उपमंत्री उसके अध्यक्ष और श्रम आयुक्त सचिव हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) चूंकि यह बोर्ड स्थायी श्रम समिति की सिफारिश के अनुसार बनाया गया था इसलिये केन्द्रीय सरकार की सहमति का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

हिमाचल प्रदेश में तैयार किये गये कम्बल

२१७३. श्री पद्म देव :
श्री हेम राज :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष चम्बा केन्द्र (हिमाचल प्रदेश) में कितने कम्बल तैयार किये गये ;

(ख) इन कम्बलों को तैयार करने के लिये कितना माल स्थानीय साधनों से और कितना बाहर से मंगवाया गया ; और

(ग) सरकारी केन्द्रों में तैयार किये गये कम्बलों की तुलना में ग्रामीण लोगों द्वारा तैयार किये गये कम्बल कैसे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस केन्द्र में १९५९-६० में ४६ कम्बल तैयार किये गये।

(ख) हाथ से कती हुई देशी ऊन इन कम्बलों में कतई प्रयोग नहीं की गई है। मिल में कती २½ मन ऊन जो बाहर से खरीदी गयी थी, इन कम्बलों के बनाने में प्रयोग की गयी।

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र में बनाये गये कम्बल देहातों में बने कम्बलों के मुकाबले किस्म, बुनावट तथा टिकाऊपन में अच्छे हैं और इनके भाव भी प्रतियोगितापूर्ण हैं।

गन कैरेज फैक्टरी, जबलपुर

†२१७४. श्री स० मो० बनर्जी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन कैरेज फैक्टरी, जबलपुर में लकड़ी नष्ट हो जाने के बारे में जांच करने के लिये जो मध्यस्थ नियुक्त किये गये थे क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) क्या वह १९५३ से विचाराधीन पड़ी है ; और

(ग) उसमें कितनी रकम की बात है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) मामला अक्तूबर, १९५४ से विचाराधीन है।

(ग) ठेकेदारों के दावों का मूल्य २.४९ लाख रुपये और सरकार के दावों का मूल्य १५.९८ लाख रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड

†२१७५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री दा० रा० चावन :
श्री पुरुषोत्तम दास :
श्री कोडियान :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक श्रम आयुक्तों (केन्द्रीय) में से एक को कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड के पहले प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या प्रादेशिक श्रम आयुक्त के तौर पर उसका धनबाद में फिर तबादला कर दिया गया था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वह बिना सरकार को कोई जानकारी दिये पाकिस्तान भाग गय ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) उसने पाकिस्तान में ढाका में अपनी बीमार सास से मुलाकात करने के लिये १-५-५६ से छुट्टी ली। उसने २६-६-५६ को त्यागपत्र भेज दिया जो मंजूर कर लिया गया क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं था। फिर भी यह बताया जा सकता है कि उसे वेतन और भविष्य निधि के तौर पर जो भुगतान करना था वह रोक लिया गया है।

जिल्लों का पुनर्गठन

२१७६. श्री भक्त दर्शन : क्या योजना मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिये १३ मार्च, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में कमिश्नरियों, जिलों तथा सब-डिवीजनों का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन करने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : विभिन्न राज्यों में कमिश्नरियों, जिलों तथा सब डिवीजनों के पुनर्गठन में आगे जो प्रगति हुई वह संक्षेप में इस प्रकार है —

आन्ध्र प्रदेश :

सारे राज्य में राष्ट्रीय प्रसार सेवा स्कीम चालू हो जाने के बाद ही जिलों और डिवीजनों के पुनर्गठन के विषय में विचार किया जायेगा।

असम :

सन् १९५७ में कोकराजहार सब-डिवीजन बनाने के बाद कोई प्रगति नहीं हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार :

सहरसा और धनबाद के दो नये जिले और तीन नये सब-डिवीजन बनने की सूचना १४-८-५९ को अतारांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर में दी जा चुकी है। बाकी पुनर्गठन अभी विचाराधीन है और अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

बम्बई :

नान्देई जिले का राजुरा तालुका चन्दा के कलक्टर और नागपुर के कमिश्नर के आधीन कर दिया गया है। पंच महल जिले के कुछ गांव बड़ौदा जिले में और बड़ौदा जिले के कुछ गांव पंच-महल जिले में अदल बदल कर दिये गये हैं। राजकोट डिवीजन अमरेली जूनागढ़ का पुनर्गठन कर दिया गया है और अब उसमें भावनगर, सुरेन्द्रनगर, राजकोट और जामनगर जिले हैं। अहमदाबाद के दो गांव सुरेन्द्रनगर जिले में मिला दिये गये हैं। प्रशासनिक सुविधा को दृष्टि से पहले ६ जिलों के बहुत से गांवों/महलों/तालुकों को एक जिले से दूसरे जिले में बदल दिया गया है। सूरत जिले को बम्बई डिवीजन से निकालकर अहमदाबाद डिवीजन में मिला दिया गया है।

डिवीजन कमिश्नरों को काम के अनुसार सब-डिवीजनों का पुनर्गठन कर सकने का अधिकार दे दिया गया है।

केरल :

राज्य सरकार से आगे कोई सूचना नहीं मिली है।

मध्य प्रदेश :

कमिश्नरियों, जिलों और सब-डिवीजनों के पुनर्गठन करने की दिशा में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मद्रास :

मद्रास सरकार के सामने अपने जिलों की सीमाओं में हेरफेर करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने ९ जिलों में भू-राजस्व (लैंड रेवेन्यू) तथा साधारण प्रशासन देखने के लिये राजस्व अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं। कलक्टर भू-राजस्व का प्रधान होने के नाते इन अधिकारियों के अपरिनियत मामलों के कार्य की देखभाल करता रहेगा।

१२ राजस्व जिलों को २१ विकास जिलों में बांट दिया गया है और इनमें से प्रत्येक जिले की एक जिला विकास समिति बना दी गई है।

मैसूर :

१ अक्तूबर, १९५९ को मंगलौर नाम का एक सब-डिवीजन बना दिया गया है।

उड़ीसा :

२६-१-५९ से भुवनेश्वर नाम का एक नया सब डिवीजन बना दिया गया है। परलाकमेदी सब-डिवीजन के रामगिरी-उदयगिरी तालुके के तम्बा क्षेत्र को परहामपुर सब-डिवीजन में मिला दिया गया है। कटाहंडी जिले के काशीपुर तालुके को कोरापुट जिले में शामिल करने के विषय में विचार किया जा रहा है।

नरसिंहपुर नायागढ़ और नीलगिरी के भूतपूर्व रियासती जिले जिनमें क्रमशः कटक, पुरी और बालासोर के जिलाधीश ही पदेन जिलाधीश होते थे अब समाप्त कर दिये गये हैं और उन्हें नियमित जिलों में मिला दिया गया है।

आजकल कटक जिले के भूतपूर्व रियासती सब-डिवीजन नरसिंहपुर निगिरिया और बादम्बा अथागढ़ के सब-डिवीजनल अफसर के अधीन है जो इन सब-डिवीजनों के पदेन सब-डिवीजन अफसर भी हैं। पुरी जिले में एस० डी० ओ० नायागढ़ के एस० डी० ओ० खंडपारा और रणापुर की भूतपूर्व रियासती सब-डिवीजनों के रसपल्ला के पदेन सब-डिवीजनल अफसर हैं। इन सब डिवीजनों को नियमित नायागढ़ सब-डिवीजन में विलीन करने का प्रस्ताव है।

कटक और पुरी के कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली के विषय में विचार किया जा रहा है, परन्तु यह जनगणना के पश्चात् ही किया जायगा।

पंजाब :

निम्नलिखित परिवर्तन किये जा चुके हैं :—

(१) जिला कपूरथला को पटियाला डिवीजन से हटाकर जालंधर डिवीजन में मिला दिया गया है।

(२) बाकी पिन्जोर-कानूनगो क्षेत्र को छोड़कर कंडाघाट तहसील पटियाला जिले से निकाल कर शिमला जिले में मिला दी गई है।

(३) तहसील नालागढ़ पटियाला से अम्बाला जिले में मिला दी गई है।

(४) पटियाला जिले की कंडाघाट तहसील के पिन्जोर कनूनगो क्षेत्र को अम्बाला जिले की कालका-सब-तहसील में मिला दिया गया है।

(५) सब-तहसील नथाना को फिरोजपुर से भटिंडा जिले में मिला दिया गया है ; और

(६) लुधियाना जिले के बहादुरगढ़ गांव को संगरूर जिले में और कांगड़ा जिले के कोसार गांव को होशियारपुर जिले में मिला दिया गया है।

राजस्थान :

राज्य सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

उत्तर प्रदेश :

१३ मार्च, १९५९ को सभा पटल पर रखे गये विवरण के अतिरिक्त कोई और प्रगति नहीं हुई।

जम्मू कश्मीर :

राज्य सरकार की सामुदायिक विकास अनौपचारिक सलाहकार समिति के निर्णय के अनुसार प्रत्येक जिले में पृथक समितियों का निर्माण कर लिया गया है जो सामुदायिक विकास खंडों की वर्तमान सीमाओं की जांच करके स्थानीय परिस्थितियों और खंडों के अन्दर पटवारी हलकों के बराबर विभाजन को दृष्टि में रखकर आवश्यकतानुसार खंडों की सीमाओं में परिवर्तन की सिफारिश करेगी।

पश्चिमी बंगाल :

पश्चिमी दीनापुर जिले के अन्तर्गत एक इस्लामपुर नामक नया सब-डिवीजन बनाया गया है। २४ परगना जिले को दो जिलों में बांटने की स्कीम बन चुकी है और उसे धीरे धीरे क्रियान्वित किया जायगा। सब से पहले ८ नये पुलिस स्टेशन बनाये जायेंगे। दूसरे दौर में किकद्विप और जोयनगर नामक दो सब-डिवीजन बनाये जायेंगे और उसके बाद बरासेत में जिले का प्रधान कार्यालय स्थापित किया जायगा।

पेनिसिलिन का मूल्य

†२१७७. **श्री पारूलकर :**
श्री तंगामणि :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, द्वारा तैयार किये गये कच्चे पेनिसिलिन के उत्पादन की लागत प्रति मेगा यूनिट कितनी है ;

(ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी द्वारा बनाये गये तैयार पेनिसिलिन के उत्पादन की लागत प्रति मेगा यूनिट कितनी है ; और

(ग) प्रति मेगा यूनिट कच्चे और तैयार पेनिसिलिन का बिक्री मूल्य कितना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिम्परी में तैयार किये गये पेनिसिलिन के उत्पादन की ठीक ठीक लागत के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती क्योंकि वह गोपनीय समझी जाती है।

(घ) कच्चे और तैयार पेनिसिलिन का चालू बिक्री मूल्य थोक में क्रमशः ४० नये पैसे और ५० नये पैसे प्रति मेगा यूनिट हैं।

पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय व्यापार शिष्टमंडल

†२१७८. **श्री दामानी :**
श्री सरजू पांडेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम यूरोपीय देशों के लिये भारतीय व्यापार शिष्टमंडल की रिपोर्ट तैयार हो गयी है और वह सरकार को पेश की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या उस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट में दिये गये अनेक सुझावों पर विचार किया जा रहा है और जहां आवश्यक हो वहां उचित कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) जी हां ।

ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना

२१७९. श्री पहाड़िया : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना के अन्तर्गत अब तक भारत में कितनी परियोजनायें आरम्भ की गयी हैं ; और

(ख) उन पर कितना खर्च हुआ ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) ३१ मार्च, १९६० तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिये जो २८६५ गांव नियत किये गये थे, उन में से लगभग १९०० गांव उस समय तक विकास के लिये चुने जा चुके थे ।

(ख) जब से ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना (विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट्स स्कीम) शुरू हुई है, तब से ३१ मार्च, १९६० तक इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा लगभग १९१ लाख रुपये की राशि ली जा चुकी है, जिसमें ग्रामीण आवास कोष्ठों (रूरल हाउसिंग सेल्स) के लिये ४.२४ लाख रुपये का अनुदान भी सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त, यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारों ने भी ग्रामीण आवास कोष्ठों पर अपने हिस्से के रूप में ४.२४ लाख रुपये खर्च किये होंगे ।

पोलो की गेंद

†२१८०. { श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलो की गेंद भारत में बनाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) क्या उससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी हां। कलकत्ता और अन्य स्थानों में ।

(ग) जी हां । १९५७, १९५८, और १९५९ में विदेशी मुद्रा की निम्नलिखित रकमें प्राप्त हुईं :—

	रुपये
१९५७	१५,०००
१९५८	१०,०००
१९५९	१३,०००

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण

†२१८१. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों के साथ कुछ पाकिस्तानी १५ मार्च, १९६० को करीमगंज शहर से ११ मील दूर रतनपुर नामक भारतीय सीमावर्ती गांव में घुस आये और जबर्दस्ती कुछ जानवरों को पकड़ कर ले गये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां ।

(ख) १५ मार्च, १९६० को पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के कुछ कर्मचारी एक पाकिस्तानी हवलदार और कुछ अन्य पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के साथ भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आये और पुराने रतनपुर के निकट बालिंगनाला नामक भारतीय गांव से ५८ पशुओं को भगा ले गये । साथ ही दो भारतीय ग्वाला लड़कों को भी भगा ले गये किन्तु उन्हें दूसरे दिन छोड़ दिया ।

जब यह घटना पाकिस्तानी स्थानीय अधिकारियों को बताई गई उन्होंने जवाब दिया कि चूंकि ये पशु चोरी छिपे सीमा के उस पार ले जाये गये थे इसलिये उन्हें बरामद किया गया और पाकिस्तान सीमा शुल्क विनियमों के अनुसार उन्हें बेच देने का आदेश दिया गया ।

आसाम के मुख्य सचिव ने अप्रैल, १९६० के पहले सप्ताह में ढाका में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन में इस घटना का उल्लेख किया था । यद्यपि पूर्व पाकिस्तान राइफल्स के महानिदेशक ने इस मामले की जांच करने का वचन दिया था फिर भी पशुओं को छोड़ देने के सम्बन्ध में पूर्व पाकिस्तान के अधिकारियों का अन्तिम निर्णय अभी तक सूचित नहीं किया गया है ।

राजनयिक पारपत्र[1]

†२१८२. **श्री हेम बरुआ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली में नौकरी करने वाले कुछ उच्च पदाधिकारियों के लड़कों को विदेशों में पढ़ाई करने के लिये राजनयिक पारपत्र दिये जाते हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** किसी भी पदाधिकारी के लड़कों को इसलिये कि वे उच्च अध्ययन के लिये विदेश जा सकें, राजनयिक पारपत्र नहीं दिये गये हैं । राजनयिक पारपत्र विदेश सेवा के पदाधिकारियों और विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में राजनयिक स्थिति के पदों पर काम करने वाले अन्य पदाधिकारियों को दिये जाते हैं या बाद में जाते हैं तब उन्हें भी राजनयिक पारपत्र दिये जाते हैं । यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा और रूढ़ि के अनुसार है । कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऐसे पदाधिकारियों को जिनके पास राजनयिक पारपत्र होते हैं, पुनः मुख्य कार्यालय में नियुक्त किया जाता है तब उन्हें अपने बच्चों को वहीं छोड़ देना पड़ता है जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा न पड़े । वे बच्चे अपने पास राजनयिक पारपत्र रख सकते हैं किन्तु उन्हें कोई राजनयिक या अन्य कोई विशेषाधिकार नहीं मिलता । वास्तव में राजनयिक पारपत्र देने के सम्बन्ध में हमारे विनिमय अन्य देशों के विनिमयों की अपेक्षा अधिक कठोर हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Diplomatic Passport

निम्न आय वर्ग आवास योजना

†२१८३. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार को गांवों में निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन अब तक कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सम्पूर्ण राशि इस्तेमाल कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन गांवों और शहरों के लिये अलग-अलग आवंटन नहीं किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिये ३५७.६१ लाख रुपये की द्वितीय पुनरीक्षित योजना में से राज्य सरकार ने योजना के पहले चार वर्षों में २४३.५१ लाख रुपया लिया है। योजना के अधीन उन्हें शेष राशि आवंटित कर दी गई है जो १९६०–६१ की राज्य योजना के लिये स्वीकृत अधिकतम राशि के अन्दर ही मिल सकती है।

योजना के अधीन चालू योजना काल में दिसम्बर, १९५९ के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा वास्तव में २०८.०६ लाख रुपया खर्च किया गया है।

सस्ते रेडियो सेट

२१८४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन भारतीय ग्रामीणों की वार्षिक आय ५०० रुपये से कम है उन्हें सस्ते रेडियो सेट उपलब्ध कराने के लिये १९६० में क्या व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) इस व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामीणों को कितने रेडियो सेट उपलब्ध कराये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). सरकार के यहां कोई ऐसी योजना नहीं जिसके अन्तर्गत सस्ते रेडियो सेट ग्रामीण व्यक्तियों को दिये जायें परन्तु ऐसे सेट बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जिन्हें कम आय वाले व्यक्ति भी खरीद सकें। इस समय राज्य सरकारों को सामुदायिक रिसीविंग सेट देहातों में लगाने के लिये दिये जाते हैं और इसके लिये केन्द्र सरकार आधा दाम (१२५ रुपये प्रति रेडियो तक) भी देती है।

सरकारी बस्तियों में दुकानों का नियतन

†२१८५. **श्री राम गरीब :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाये गये सहकारी स्टोरों के लिये दिल्ली की सरकारी बस्तियों में नये बने बाजारों में दुकानें नियत की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस नियतन करने का विशद सिद्धान्त क्या है ; और

(ग) क्या जब तक कि बाजारों में उनके लिये नियतन नहीं होता तब तक सरकारी क्वार्टरों के एक कमरे में सहकारी स्टोरों को चलाने में सरकार को कोई आपत्ति है ?

†मूल अंग्रेजी में

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली की सरकारी बस्तियों में नये बने बाजारों को दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगरपालिका समिति को हस्तांतरित कर देने का निश्चय किया है । अतः सहकारी स्टोरों से दुकानों के नियतन के लिये प्राप्त आवेदनों पर नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जायेगा ।

(ग) जी हां, सामान्यतः ।

देवनगर में सरकारी क्वार्टर

†२१८६. श्री नेक राम नेगी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवनगर के 'ई' टाइप के सरकारी क्वार्टरों के शौचालयों में पानी की टंकी और पानी खींचने वाली जंजीरें नहीं लगी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तिब्बिया कालेज के क्वार्टरों में से शौचालयों के अन्दर वाली पानी की टंकियां निकाल कर इन क्वार्टरों में लगाने में क्या कठिनाई है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) ये क्वार्टर १९४३ में युद्ध-काल में अतिरिक्त आवास की आवश्यकता पूरी करने के लिये बनाये गये थे । मितव्ययता की दृष्टि से स्थायी विशिष्ट विवरण नहीं लिये गये और शौचालयों के अन्दर की पानी की टंकियों और पानी खींचने की जंजीरें उनमें नहीं लगाई गई थीं । फिर भी इन क्वार्टरों में जल द्वारा सफाई की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) तिब्बिया कालेज के अधिकांश क्वार्टर कालेज प्राधिकारियों द्वारा ले लिये गये हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों में जो पानी की टंकियां हैं वे पुरानी हो चुकी हैं और वे इस योग्य नहीं हैं कि उन्हें हटाया जा सके ।

आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास

†२१८७. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये १९६०–६१ में हथकरघा उपकर निधि में से कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा उपर्युक्त काल में कितना व्यय किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कुल राशि	राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि
	राशि रुपयों में	राशि रुपयों में
१९५५–५६	७५,६८,७२६	७०,६०,४८५
१९५६–५७	७८,०८,८३०	५८,७४,८८७
१९५७–५८	७२,९०,१५१	१,१४,००,३३६
१९५८–५९	९०,००,०००	१९५९–६० में किया गया वास्तविक व्यय अभी राज्य सरकार ने नहीं बताया है ।
१९५९–६०	३९,३४,८००	

आन्ध्र प्रदेश में श्रमिक कल्याण के लिए अनुदान

†२१८८. **श्री इ० मधुसूदन [राव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में १९५९–६० में श्रमिक कल्याण सम्बन्धी कार्यों को करने के लिये वहां की सराकर को कुल कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ख) जिन विभिन्न कार्यक्रमों के लिये राशि आवंटित की गई है, वे किस प्रकार के हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) ५४·५७ लाख रुपये ।

(ख) उस राशि में दस्तकारों को प्रशिक्षण, जनशक्ति और रोजगार की व्यवस्था, कल्याण केन्द्र तथा अन्य योजनाओं के लिये व्यवस्था करना शामिल है ।

दिल्ली से सरकारी कार्यों का स्थानान्तरण

†२१८९. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से संघ सरकार के कुछ कार्यालयों को स्थानान्तरण करने में एक करोड़ से अधिक रुपया अतिरिक्त खर्च हुआ है ; और

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

†मूल अंग्रेजी में

चीनी के कारखाने

†२१९०. **श्री आगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने के बारे में मैसूर राज्य की सरकार द्वारा समर्थन किये गये आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से गैर-सरकारी क्षेत्र के कितन आवेदन हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). तीन वप्रस्ताव प्राप्त हुए है ।

टेलीविजन कार्यक्रम

†२१९१. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीविजन कार्यक्रम पर प्रतिमास औसत कितना व्यय होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १९५९-६० में मासिक औसत व्यय लगभग ३२५००.०० रुपये रहा है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†२१९२. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन कितने परिवारों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा मिल रही है ;

(ख) १९६० के अन्त तक कितने परिवारों के शामिल होने की आशा है ; और

(ग) परिवारों को भी शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त व्यय हुआ ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ४·१८५ लाख ।

(ख) लगभग १·९५ लाख ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि परिवारों पर किये गये व्यय के लेखाओं के बारे में अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

दस्तकार

†२१९३. **श्री काशीनाथ पाण्डे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अधीन अब तक कुल कितने दस्तकारों को प्रशिक्षित किया गया है ; और

(ख) इस प्रकार प्रशिक्षित लोगों में से कितनों को काम मिला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) ४०,९७९ ।]

(ख) चूंकि पहले जो दस्तकार थे वे मांगी गई जानकारी नहीं भेजते, इस कारण ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

कर्मचारी भविष्य निधि

†२१९४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यास बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि अधिक व्याज दर प्राप्त करने के लिये अंशदाताओं को जमा की गई भविष्य निधि का ५० प्रतिशत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में लगाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी नहीं, किन्तु बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि इस समय जितना विनियोग किया जाता है उससे अधिक राशि का विनियोग अधिक व्याज मिलने वाली प्रतिभूतियों में किया जाना चाहिये ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राज्य और केन्द्रीय सूचना निदेशकों की बैठकें

†२१९५. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य और केन्द्रीय एककों में समायोजन करने के लिये १९६० में राज्य और केन्द्रीय सूचना निदेशकों की जो बैठकें हुई थीं उनमें क्या निश्चित प्रस्ताव तैयार किये गये थे ; और

(ख) चालू वर्ष में दोहरेपन को कहां तक बचाया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५ ।]**

स्थानीय बोलियों और आदिमजातीय भाषाओं में प्रसारण

†२१९६. **श्री हेम राज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री उन स्थानीय बोलियों और आदिम जातीय भाषाओं के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनमें आकाशवाणी द्वारा १९५९ में प्रसारण किया गया था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६ ।]**

पंजाब में खेल-कूद का सामान बनाने का उद्योग

†२१९७. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के जालन्धर नगर का खेल-कूद का सामान बनाने के उद्योग को सरई और शहतूत की लकड़ी कम मिल रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार काश्मीर सरकार के फालतू स्टाक में उसकी कमी को पूरा करने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां, सरई के सम्बन्ध में ।

(ख) यह कहना सच नहीं है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पास सरई की लकड़ी फालतू है वस्तुतः उस राज्य में सरई का जितना संभरण होता है वह क्रिकेट के बल्ले बनाने वाले उस राज्य सरकार के कारखाने की आवश्यकता पूरी करने के लिये भी अपर्याप्त है ।

आकाशवाणी के कटक केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति

२१९८. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के कटक केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति में आदिवासी सदस्य को मनोनीत करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वह सदस्य मनोनीत कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका नाम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). आदिवासी प्रतिनिधियों के कुछ नाम विचाराधीन हैं और शीघ्र ही एक सदस्य मनोनीत किया जायेगा ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

आसाम की मिज़ो हिल्स जिले में अकाल की स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल पर पत्र रखे जायें ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : श्रीमान्, मैं ने आसाम की मिज़ो हिल्स जिले में अकाल की स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । आप ने उस के बारे में बताया है कि यह कई दिनों से चला आने वाला मामला है । हो सकता है कि यह लगातार चले आने वाला मामला हो परन्तु साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर भूख से कई आदमी मर गए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखता हूं कि माननीय सदस्य हमेशा इस तरह करते हैं । मैं यहां बार बार बता चुका हूं कि जब मैं किसी प्रस्ताव को यहां पर उठाने की अनुमति देने से मना कर देता हूं तो उस को यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिये ।

इस मामले के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ चुका हूं । माननीय सदस्य ने भी अपनी बात की पुष्टि के लिये समाचार पत्र में छपे किसी समाचार आदि का हवाला नहीं दिया है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि "स्थिति खराब नहीं हो रही है बल्कि सुधरती जा रही है ।" यदि इस के बाद भी माननीय सदस्य के पास और कोई प्रमाण पत्र हो तो वह मेरे पास आयें और मुझ से बतायें । निश्चित रूप से मैं उसे यहां उठाने देने की अनुमति देने का प्रयत्न करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद): श्रीमान्, इसी मामले के कारण आसाम के संसदीय सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री हाल में ही वहां गये थे। सत्तारूढ़ दल के संसदीय सचिव ने भी इस्तीफा दे दिया है ; भूख से लोग मर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार यहां पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने से नेफा अथवा आसाम की कोई सहायता नहीं होने वाली है । सब लोग चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूं कि देश में इस प्रकार की कोई घटनायें न हों। मुझे भी लोगों के साथ सहानुभूति है ।

माननीय सदस्य को कोई सूचना मिलती है और वह उसको यहां पर उठाना चाहते हैं तो यदि माननीय सदस्य उस सूचना की पुष्टि किसी समाचार पत्र में छपे समाचार आदि से करते हैं तो मैं माननीय मंत्री से तथ्य बताने को कहता हूं। परन्तु उन्हें कहीं से भी सूचना मिलने पर उसको यहां पर उठाने की यदि मैं अनुमति देने लगूं तो कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि तथ्यों को दबाया जाय और उन्हें उठाने की यहां इज़ाज़त नहीं मिले । मुझे तो एक सन्तुलन रखना है । अगर माननीय सदस्य अपनी बात की पुष्टि समाचार पत्रों में छपी खबरों से कर देते हैं तो मैं माननीय मंत्री से वक्तव्य देने को कह सकता था। हमें यहां इस प्रकार की बातें कर के जनता में डर नहीं फैलाना चाहिये । माननीय सदस्य को कार्यवाही में इस प्रकार बाधा नहीं डालनी चाहिए।

मैं दल नेताओं से अनुरोध करूंगा कि वह इस का ध्यान रखें कि माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस समाचार की पुष्टि के मेरे पास बहुत प्रमाण हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप उन्हें मुझे बाद में दिखा सकते हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम —रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): जब प्रतिरक्षा मंत्री को स्थिति का पता है तो फिर इसको समाचार-पत्रों में आये बराबर ही समझिये।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि संसदीय सचिव ने इस्तीफा दे दिया है और मिज़ो संघ ने सरकार का समर्थन करना समाप्त कर दिया है ।

†**श्री गोरे** (पूना) : आज के समाचार पत्रों में बताया गया है कि भूख से ग्यारह व्यक्ति मर गए हैं । प्रतिरक्षा मंत्री वहां का दौरा कर चुके हैं तथा संसदीय सचिव ने भी इस्तीफा दे दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को समाचार पत्र की कटिंग पेश करनी चाहिये थी।

जो बातें बताई गई हैं उन के आधार पर मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की जांच करें। माननीय मंत्री ने मुझे बताया था कि हालत सुधर रही है परन्तु अब मैं चाहता हूं कि वह सोमवार को एक स्पष्ट वक्तव्य दें।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : इस के बारे में कुछ अल्पसूचना प्रश्न भी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह भी उसी दिन पूछे जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमन्, मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १, दसवां सत्र, १९६० ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४, नवां सत्र, १९५९ ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७, आठवां सत्र, १९५९ ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १४, सातवां सत्र, १९५९ ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २८, चौथा सत्र, १९५८ ।

[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]

हथकरघा उद्योग के बारे में प्रतिवेदन

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं हथकरघा उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप (अध्ययन दल) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी—२१०२/६०]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी—२१०३/६०]

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—२१०४/६०]

———

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि राज्य सभा ने १४ अप्रैल, १९६० को अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये हैं : —

(१) "कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा, छः सदस्यों अर्थात् डा० आर० पी० दुबे, श्री अकबर अली खां, श्री पी० डी० ल्यूबा, श्री आर० एस० डूगर, श्री बी० के० ढगे, तथा श्री जे० बी० के० वल्लभराव की निवृत्ति के फलस्वरूप हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति में छः सदस्य नियुक्त करे और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किए जायें :—

(१) श्री अकबर अली खां
(२) श्री आर० एस० डूगर
(३) श्री राम सहाय
(४) श्री जयराम दास दौलतराम
(५) श्री दया भाई पटेल
(६) श्री पी० राम मूर्ति

(२) "कि दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६० को दोनों सभाओं की ४५ सदस्यों की एक सयुक्त समिति को सौंपा जाये जिस में १५ सदस्य अर्थात्

(१) दीवान चमन लाल
(२) डा० डब्ल्यू एस० बारलिंगे
(३) डा० रघुबीर सिंह
(४) श्री एम० गोविन्द रेड्डी
(५) श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल
(६) डा० नीहार रंजन रे
(७) श्री ए० बलरामी रेड्डी
(८) श्री हीरा वल्लभ त्रिपाठी
(९) श्री विबुधेन्द्र मिश्र
(१०) कुमारी शांता वशिष्ठ
(११) प्रो० ए० आर० वाडिया
(१२) श्री लालजी पेंडसे
(१३) श्री मुकट बिहारी लाल
(१४) मिर्जा अहमद अली
(१५) डा० का० ला० श्रीमाली

इस सभा के हों और ३० सदस्य लोक-सभा के हों ;

---

†मूल अंग्रेजी में

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों तथा रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो सभापति द्वारा किये जायें ; और

कि समिति इस सभा को राज्य सभा के आगामी सत्र के पहले दिन तक अपना प्रतिवेदन देगी ;

कि यह सभा लोक-सभा से सिफारिश करती है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा अपने द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम राज्य-सभा को बताये ।"

प्राक्कलन समिति

चौरासीवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय—सामान्य संगठन, मुख्य श्रम आयुक्त, खानों के मुख्य इन्स्पेक्टर और कारखानों के मुख्य सलाहकार के बारे में प्राक्कलन समिति का चौरासिवां प्रतिवेदन—भाग १ उपस्थापित करता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या १४३० और ९१९ के उत्तरों की शुद्धि

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : प्रश्न संख्या १४३० के एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने बताया था कि एटलस की प्रतियां सलाहकार समिति के सदस्यों को मुफ्त दी गई थीं । जांच करने पर मुझे पता लगा कि वे लोक-सभा तथा राज्य सभा के विभिन्न दलों के नेताओं को ही दी गई थीं ।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि एटलस की प्रतियां अब मुफ्त वितरण के लिये उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वे बेची जा चुकी हैं अथवा वितरित हो चुकी हैं ।

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : नेफा में प्लाईवुड फैक्टरी के बारे में १७ मार्च, १९६० को पूछे गये प्रश्न संख्या ९१९ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि प्रस्तावित सीमित दायित्व समवाय (लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी) की ५१ प्रतिशत पूंजी मंत्रालय की होगी ।

सही स्थिति यह है कि १९५५ में नेफ़ा प्रशासन ने नामसंग बरदूरिया रक्षित वन-क्षेत्र के कुछ भाग को पट्टे पर देने के लिये आवेदन पत्र मांगे थे । इसके बारे में उस समय एक यह भी विचार था कि इसके लिए "एक सीमित दायित्व समवाय बनाया जाना होगा जिसमें नेफ़ा प्रशासन का आदिम जातियों की ओर से ५१ प्रतिशत पूंजी लगाने और प्रबन्ध में हिस्सा लेने का हक रहेगा ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अब आसाम रेलवे एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड ने जिससे प्लाईवुड फैक्टरी बनाने के बारे में बातचीत हो रही है यह प्रस्ताव रखा है क वह पूंजी के ४० प्रतिशत तक "इक्विटी शेयरों या प्रिफ़रेन्स शेयरों में हिस्सा लेने को तैयार है ।

सभा का कार्य

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं सोमवार, १८ अप्रैल, १९६० को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज की कार्य सूची से बचे किसी मद पर विचार ;

(२) अनुदानों की शेष मांगों को मतदान के लिए रखा जाना ;

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :—

(क) बम्बई पुनर्गठन विधेयक, १९६०, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ; और

(ख) वित्त विधेयक, १९६० ।

अनुदानों की मांगें

वित्त मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वित्त मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अपेक्षित चर्चा जारी रखेगी । श्री च० का० भट्टाचार्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर): बंगाल के हिन्दू अविभक्त परिवारों पर इस आयकर अधिनियम से कुठाराघात किया जा रहा है । आयकर अधिनियम की धारा २३ में हिन्दू अविभक्त परिवारों पर करारोपन की प्रणाली निर्धारित की गई है । परन्तु इस धारा के अनुसार कर का अन्दाज लगाते समय अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि हिन्दू अविभक्त परिवार के अर्थ क्या हैं ?

सामान्य विधि के अन्तर्गत अविभक्त परिवार उस परिवार को समझा जाता है जो इकट्ठा हो और कानून में स्पष्टतया लिखे गये कतिपय सम्बन्धी आपस में एक साथ रहते हों । परन्तु बंगाल के हिन्दू परिवार मिताक्षर प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आते ; उन पर दायभाग लागू होता है ।

मिताक्षर प्रणाली के अनुसार जन्म लेते ही एक बच्चा जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है परन्तु दायभाग में ऐसा नहीं है । दायभाग प्रणाली के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद ही लड़कों का हक होता है । इस प्रणाली में सहभागिता नहीं होती । दायभाग प्रणाली जहां लागू हो वहां अविभक्त हिन्दू परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर दूसरों के हिस्सों की वृद्धि नहीं होती । सब निश्चित हिस्सों के मालिक होते हैं । अतः यह गलती है कि बंगाल के परिवार आयकर अधिनियम के उस उपबन्ध के अधीन आते हैं जिसमें अविभक्त परिवारों के बारे में व्यवस्था की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

हिन्दू अविभक्त परिवार के अन्तर्गत मिताक्षर प्रणाली ही ठीक तरह से आ पाती है। दायभाग प्रणाली के अनुसार पिता के रहते पुत्रों का कोई हक नहीं होता ; पिता की मृत्यु के बाद वे इसलिये साथ साथ रहते हैं कि उन्हें उसी तरह से सुविधा प्रतीत होने लगती है। इस कारण ऐसे परिवारों को संयुक्त परिवारों की कोटि में लाना भी ठीक नहीं है। दायभाग परिवारों का विभाजन तो वैसे हुआ ही रहता है क्योंकि हर लड़के के पास अपनी जायदाद अलग अलग हो जाती है ; पर मिताक्षर प्रणाली में यदि किसी संयुक्त परिवार को विभाजित करना हो तो पूरी कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिये सिद्ध हुआ कि दायभाग तथा मिताक्षर परिवारों में बड़ा बुनियादी अन्तर है। जिसे आयकर अधिनियम में नहीं माना गया है। इसी कारण बंगाल के प्रति न्याय नहीं हो रहा है।

वास्तव में बंगाल के हिन्दू परिवारों को अविभक्त हिन्दू परिवार कहना ही गलत है। इस कारण आयकर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके दायभाग परिवारों को धारा २३ के प्रभार से विमुक्त किया जाय। बंगाल की विधान-सभा में इसी बात पर चर्चा हो चुकी है और कृषि आयकर अधिनियम में बंगाल विधान-सभा ने इसी सिद्धान्त को मानकर वहां के अविभक्त परिवारों को इससे छूट दे दी है। दायभाग परिवारों के सदस्यों को व्यक्तियों के रूप में माना जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सरकार बंगाली हिन्दू परिवारों के साथ उचित न्याय करेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : बजट पेश करते समय माननीय वित्त मंत्री ने अपने स्वाभाविक रूखे लहजे में कहा था कि नये कर लगाना बिल्कुल प्राकृतिक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें सभा में कुछ कहने से पूर्व अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए। पिछले वर्ष उन्होंने कहा था कि अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में नये कर नहीं लगाये जायेंगे। परन्तु स्थिति को देखते हुए मैं नये करों का पूर्ण विरोधी भी नहीं हूं। मेरा अभिप्राय केवल इतना ही है कि यदि हम पुरानी नीति को बदलें तो हमें उसके लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना चाहिए।

परिवहन सम्बन्धी नये करों से मुझे किसी प्रकार का हर्ष नहीं हुआ है। सरकार ने यह कर लगाने का कारण यह बताया है कि यह उद्योग करभार सहन कर सकता है। परन्तु यह गलत बात है। दूसरे परिवहन का विषय राज्यों का विषय है। केन्द्र को इस बात का कोई हक नहीं कि वह राज्यों के संसाधनों को अपने उपयोग में ले आए। इस कर का प्रभाग बम्बई या दिल्ली जैसे नगरों में भले ही कुछ न हो परन्तु पिछड़े क्षेत्रों में, जहां परिवहन उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ है, इससे बुरा असर अवश्य होगा।

सड़क परिवहन सम्बन्धी करों के बारे में दूसरी दलील यह दी जाती है कि इससे डीजल की अपेक्षा ज्यादा पेट्रोल का प्रयोग होने लगेगा। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि इससे ऐसा हो भी रहा है। इस जानकारी की पुष्टि मैंने परिवहन मंत्रालय से करना चाही परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। इससे सिद्ध होता है कि माननीय वित्त मंत्री उथली जानकारी के आधार पर करारोपण के प्रस्ताव बनाते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि डीजल की अपेक्षा पेट्रोल के प्रयोग को प्रोत्साहन देने से क्या लाभ है ? डीजल के लाभ आज सर्व विदित हैं, फिर सरकार को क्या जरूरत है कि वह प्रगति को गलत दिशा में मोड़े। इन बातों को देखते हुए हम यह कहेंगे कि पहले तो सारे मंत्रालयों में समन्वय होना चाहिए और उसके बाद हर चीज पूरी खोज और छानबीन के बाद की जानी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक करारोपन प्रणाली का सम्बन्ध है, हमारा विचार था कि इस बार शायद ऐसी चीजों पर कर लगेंगे जो अमीरों के काम आती हैं परन्तु कर लगाया उन चीजों पर गया है जो कि दरमियाने दर्जे के लोगों के काम में आती हैं। यह नीति भी गलत है।

जब हम गांवों में जाते हैं तो लोगों से बताते हैं कि हमारी सरकार इस्पात के कारखाने बना रही है; रेल डिब्बे और बिजली के सामान के बड़े कारखाने हमारे देश में लग रहे हैं। हम उन्हें यह भी बताते हैं कि पहले हमें कपड़े सीने को सुइयां तक बाहर से मंगानी पड़ती थीं। तो वे समझ तो जाते हैं पर एक सीधा सा सवाल पूछते हैं; और वह यह कि यह तो ठीक है देश में इस्पात के कारखाने लग रहे हैं परन्तु हमें तो पीने का पानी चाहिए। पीने का पानी उनके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में, आजादी के बाद कुछ भी नहीं हुआ। आज भी लोग पीने के लिए दूर दूर से पानी लाते हैं। मैंने आयोजना आयोग से पूछा कि राजस्थान की समस्या का अंदाज क्या उन्होंने लगाया है पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इस समस्या का पता भी नहीं है। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

कुल ८/१० करोड़ रुपये से राजस्थान के गांवों में पानी का अभाव दूर किया जा सकता है। यदि उचित रीति से सर्वेक्षण किया जाय तो इस सम्बन्ध में प्रभावपूर्ण योजना बनाई जा सकती है सारे देश में जलपूर्ति की योजनाओं पर मुश्किल से १०० करोड़ रुपया खर्च होगा। इसलिए माननीय मंत्री का कर्तव्य है कि वह जलपूर्ति सम्बन्धी योजना को क्रियान्विति को महत्वपूर्ण स्थान दें।

अभी कुछ दिनों की खबर है कि एक मां अपने नन्हें बच्चों को सदा के लिए समाप्त करने के लिए यमुना में फेंकती हुई पकड़ी गयी। इससे पूर्व तंग आकर एक वैज्ञानिक ने आत्म हत्या कर ली। इन बातों से क्या जाहिर होता है—यही कि देश में अत्यधिक निर्धनता है और दूसरे सरकार इन बेकार लोगों की ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देती। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी बेकारी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है परन्तु इसका मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि हमारे यहां लोग रोटी न मिलने के कारण तंग आकर आत्महत्या करने लगें। हमारा राज्य कल्याणकारी या समाजवादी राज्य कहलाने का हकदार तभी हो सकता है जब इस तरह भूखों मरने वाले लोगों को भी दोनों वक्त नहीं तो कम से कम एक वक्त रोटी मिले। इसलिए सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह एसे निर्धनों को या तो सहायता दे या फिर उन्हें काम दे। उनका गुजारा चलना चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो इसे हकूमत करने या जनता पर कर लगाने का भी कोई अधिकार नहीं है।

अपने पिछले भाषण में मैंने मूल्यों के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे†, मैंने कहा था कि हमारे देश में चीजों के मूल्य बहुत बढ़ हुए हैं इसलिए कम से कम कीमत २५ प्रतिशत तक जरूर गिरनी चाहिएं। मुझ खुशी है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इस समस्या को महत्वपूर्ण बताया है और शायद इस दिशा में कुछ काम भी हो रहा है। पर फिर भी वित्त मंत्री जी को बताना चाहिए कि वे मूल्यों के बारे में किस दृष्टिकोण को उपयुक्त समझते हैं।

इसके पश्चात मैं सरकार को यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि वह लेखापरीक्षा और लेखा-पालन कार्यों को अलग अलग कर दे। इससे ही हमारी भलाई होगी। यह बात एक अर्से से कही जा रही है परन्तु खेद की बात है कि इस चीज़ को क्रियान्वित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त हम यह भी चाहते हैं कि सभा में लेखा-परीक्षक की आलोचना न की जाय। भूतपूर्व वित्त मंत्री को मैंने इसी

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

विषय पर कई पत्र भी लिखे थे और उन्हें इस विषय की महत्ता जतलाई थी परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है । अभी हमें यह बताया गया कि महा लेखा-परीक्षक ने प्रतिरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बड़ी शीघ्रता से सभा के सामने भेज दी और मंत्रालय को स्पष्टीकरण देने का अवसर भी नहीं दिया गया । मुझे इस घटना के तथ्यों का ज्ञान नहीं है इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस घटना पर भी प्रकाश डालें । हम तो यही चाहते हैं कि महा-लेखा-परीक्षक की आलोचना न हो पर उन का आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि किसी को कुछ कहने का साहस ही न हो सके ।

मैं सरकार से यह प्रार्थना भी करूंगा कि वह इस सभा के सदस्यों की आलोचना पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक ध्यान दे । आज देश में प्रशासन की हालत दुखजनक है । बुरे आदमी शासन से नहीं डरते । कर अपवंचक खुल्लम खुल्ला चोरी करते हैं । जब तक शासन का भय सामाजिक-विरोधी तत्वों के हृदयों पर आंकित नहीं हो जाता तब तक शासन नहीं चल सकता ।

लोक-प्रशासन संस्था के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस संस्था को भी एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में समझा जाय । मैं इस संस्था की कार्यपालिका में हूं । मैंने संस्था को सुझाव दिया है कि वह किसी चीज पर भी व्यर्थ खर्च न करें । इस संस्था के कृत्यों के अनुसार हमें इसे बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए ।

माननीय वित्त मंत्री का कथन है कि देश ने काफी उन्नति की है पर आप किसी से भी मिलो वही सरकार से अप्रसन्न है । बड़े कर्मचारी, छोटे क्लर्क, जमींदार, कृषक, दुकानदार, ग्राहक सभी लोग इस सरकार से तंग आये प्रतीत होते हैं । यद्यपि अगले चुनावों में भी जीत कांग्रेस की ही होगी परन्तु मैं अभी से इन्हें चेतावनी देता हूं कि वे जनता की अप्रसन्नता के वास्तविक कारणों को जानें और उनको समझ बूझ कर इस सम्बन्ध में पूरी कोशिश करें ।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : इस मंत्रालय की विश्लेषणात्मक समीक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम आगामी वर्षों में सरकार को होने वाली आय के साधनों को देखें । आगामी वर्षों में पूंजीगत मशीनों, अत्यावश्यक कच्चे माल, खुले पुर्जों तथा खाद्यानों का आयात होगा । पर चूंकि ये आयात सरकार स्वयं करेगी, अतः उन पर अधिक कर लगा कर सरकार लाभ नहीं उठा सकेगी । इसी प्रकार निर्यात शुल्क से होने वाली आय में भी कमी रही है । १९५१-५२ में यह आय १९.७ प्रतिशत थी कुल राजस्व आय की; पर अब यह २ प्रतिशत कम हो गई है । अतः स्पष्ट है कि हम इस आय पर भी तीसरी योजना में विकास कार्यक्रमों के लिए निर्भर नहीं रह सकते ।

उत्पादन शुल्क का जहां तक सवाल है, इसमें बड़ी वृद्धि हुई है । १९५१-५२ में यह आय केवल ६८ करोड़ रु० थी जब कि १९६०-६१ के आय-व्ययक में इसका अनुमान ३८० करोड़ है । यह वृद्धि लगभग ३४७ प्रतिशत पड़ती है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

गत १० वर्षों में उत्पादन शुल्क का क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया था बल्कि उस की दरें बढ़ाई गई थीं । इस साल के आय-व्ययक में ३२ नई चीजों पर उत्पादन शुल्क लगाये गये हैं । इसमें चीनी, तम्बाकू, सूती कपड़ा, आदि वस्तुयें हैं । इनका सामान्य जनता के रहन सहन के स्तर पर

†मूल अंग्रेजी में

बुरा प्रभाव पड़ेगा। २४ करोड़ रु० की आय माननीय मंत्री प्रत्यक्ष करों से कर सकते थे, पर उन्होंने इसके लिए अप्रत्यक्ष करों का सहारा लिया है। इससे सामान्य जनता को कष्ट ह गा। इन करों के भार उत्पादन व विक्रेता सामान्य जनता पर डालेंगे और अन्ततोगत्वा उत्पादन लागत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इसके बाद मैं घाटे की अर्थ-व्यवस्था की बात लेता हूं। हम मुद्रास्फीति को नहीं रोक सके और इसके कारण हमें अनेक काम रोकने पड़े। विचित्र बात है कि हम ने योजना का पूंजी व्यय ४८०० करोड़ रु० से घटा कर ४६०० करोड़ रु० किया पर घाटे की अर्थ-व्यवस्था की राशि १२०० करोड़ रु० हो रही। मेरा कहना है कि जब पूंजीव्यय कम हो गया, तो घाटे की अर्थ व्यवस्था की राशि में भी कमी होनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त हमारा अनुमान था कि दूसरी योजना काल म हम २०० करोड़ रु० पौंड पावने में से निकालेंगे, पर हम ने इस काल में ५३६ करोड़ रु० वहां से निकाला। यह बड़ी चिन्ता की बात है।

एक बात और है हम आज बचत आन्दोलन चला रहे हैं। पर घाटे की अर्थ-व्यवस्था की राशि १२०० करोड़ रु० है। उधर गत ४ वर्षों में मूल्यों में २० प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। अतः लोगों को बचत करने से कोई लाभ नहीं होगा और वे बचत नहीं करेंगे। नये उत्पादन शुल्कों के कारण भी बचत कार्यक्रम को काफी धक्का लगेगा।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था व मूल्यों के बढ़ने के कारण अब हमें ४ उपाय करने चाहिएं : गैर-उत्पादक खर्चों पर कड़ी रोक; ऋण लक्ष्यों में वृद्धि; बचत को प्रोत्साहन; मूल्यों को स्थिर करना। मुझे प्रसन्नता है कि मूल्यों को स्थिर करने के सम्बन्ध में हमारी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। कल राष्ट्रीय विकास परिषद में भी इस बात पर विचार होने वाला है।

गत ४ वर्षों के आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि हमारे राजस्व खाते की आय में बड़ी कमी हो गयी है। इस वर्ष के आय-व्ययक में ६० करोड़ रु० की राजस्व कमी है। इसका मतलब यह है कि हम नये कर लगा कर या खर्च कम करके इस कमी को पूरा करें। राजस्व में होने वाले घाटे की बात घाटे की अर्थ-व्यवस्था से भी अधिक गंभीर है।

इस सम्बन्ध में नये कर लगाने का सहारा हमारी सरकार ले रही है। पर खर्च कम करने की दिशा में कुछ नहीं कर रही है। असैनिक प्रशासन, विविध, प्रतिरक्षा, असाधारण मदें, ऋण सेवा आदि में व्यय बढ़ाया गया है। मेरा कहना है कि प्रतिरक्षा व ऋण सेवा का खर्च तो हमें करना ही चाहिए पर असैनिक प्रशासन, विविध तथा असाधारण मदों के खर्च में हमें कमी कर ी चाहिए। आशा है कि इन मदों में खर्च की कमी करने के प्रश्न पर सरकार विचार अवश्य करेगी।

अब मैं करारोपण जांच समिति की सिफारिशों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। उसने सिफारिश की थी कि कम आय वाले वर्ग की आय की मुक्ति सीमा बढ़ा दी जाये। वास्तव में इन छोटी आय वाले वर्ग के मामलों में कर-निर्धारण तथा वसूली में खर्च अधिक होता है व लाभ कम होता है। त्यागी समिति ने भी यही कहा था कि कर-निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाया जाये। अतः मेरा ख्याल है कि सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी।

व्यय पर नियंत्रण रखने के संबंध में मेरा कहना है कि महा लेखा-परीक्षक इस संबंध में ध्यान रखने के लिए है। प्रतिरक्षा मंत्रालय के संबंध में महालेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन सभा पटल

चौ० रणवीर सिंह]

पर रख !ाया था। उसके संबंध में बड़ा वाद-विवाद पैदा हो गया है। मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठ क नहीं है। महालेखा परीक्षक को अपना काम स्वतंत्रतापूर्वक करने दिया जाये, उसके कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण करना भी बहुत आवश्यक है।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

जीवन बीमा निगम के संबंध में अनेक शिकायतों का उल्लेख करते हुये श्री ए० सुबैय्या ने त्यागपत्र दिया है। उन्होंने विनियोजन की गड़बड़ियों की ओर संकेत किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस संबंध में हम सभी लोगों की गलत फहमी दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

पाकिस्तान के साथ वित्तीय समझौते के संबंध में भी मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री बतायें कि पाकिस्तान का मामला हम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जायेंगे या उसके विरुद्ध व्यापारिक गतिरोध की कार्यवाही करेंगे, अगर पाकिस्तान का रवैया इस मामले में ठीक न रहा।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमें मूल्य स्थिर करने के संबंध में अवश्य ध्यान देना चाहिए यह एक गभीर मामला है।

श्री बांगशी ठाकुर (त्रिपुरा-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि त्रिपुरा में चीनी २ रु० सेर बिक रही है जब कि दिल्ली में १ रु० १ आने सेर बिकती है। इसके संबंध में सरकार का जवाब यही रहा है कि चीनी के दाम निश्चित हैं और वही लिए जाते हैं। मेरा कहना है कि थोक व्यापारियों पर तो नियंत्रण है, पर फुटकर बेचने वालों पर कोई नियत्रण नहीं है। आशा है माननीय मंत्री इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे।

माननीय मंत्री को पता है कि त्रिपुरा में अधिकतर मोटर परिवहन ही हैं। अतः पैट्रोलियम उत्पादों तथा टायरों पर लगाये गये करों से मोटर परिवहन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिक्त त्रिपुरा के चाय उद्योग की दशा भी अच्छी नहीं है। इसके संबंध में भी माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवाओं के संबंध में भी बातचीत चल रही है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि त्रिपुरा निवासियों को पहले की भांति त्रिपुरा से कलकत्ता तक और शेष भारत में भी अखौरा और भैरव बाजार और दर्शना व सियालदह होकर यात्रा करने की सुविधायें मिलनी चाहिएं।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, इस मंत्रालय की खर्च की मांगों पर जो चर्चा हो रही है, उसमें भाग लेने के लिए जो आपने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक और एल० आई० सी० के बारे में ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज से १२–१३ साल पहले इस देश के अन्दर—इसको चाहे लोगों का दबाव कहिये या लोगों की भावना का राज्य के ऊपर असर नहीं होता था, यह कहिये–रिज़र्व बैंक इस तरह से चलता था कि लोगों की परवा ही नहीं करता था। इम्पीरियल बैंक के हिस्से भी जब हमने खरीदे तो जो उनकी फेस वैल्यू थी उसका चार गुना और पांच गुना रूपया दे करके खरीदे थे। यह इसलिए किया गया था कि रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक देश के हित के कार्य करें। मैं मानता हूं कि इन चीज़ों को चलाने के लिए जिस तरह के पहले लोगों के ख्याल हुआ करते थे, उसी तरह से आदमियों की नियुक्तियां होती थीं। पहले बड़ी बड़ी इस्टीट्यूशंस के मुफाद ही मद्देनजर रखे जाते थे और उसी को मद्देनज़र

रखते हुए जो भी बड़े बड़े काम होते थे, किये जाते थे और यह कुदरती बात भी थी। लेकिन आज के बदले हुए ज़माने में तो एसी बात नहीं होनी चाहिये थी। आज भी यही चीज़ होती दिखाई दे रही है। आज भी आप अगर डायरेक्टरशिप को देखें तो आप को पता चलेगा कि एक भी ऐसा आदमी उसमें नहीं है जो देश की ८३–८४ प्रतिशत आबादी के साथ सीधा सम्बन्ध रखता हो या उसका टेढ़ा भी उससे सम्बन्ध हो।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोज़ाबाद) : टेढ़ा भी ?

चौ० रणवीर सिंह : टेढ़ा लूटते के लिए तो हो सकता है, जिसे एक्सप्लायटेशन कहते हैं..

श्री ब्रज राज सिंह : फिर भी आप कांग्रेस में मौज़द हैं ?

चौ० रणवीर सिंह : रिज़र्व बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके मैं नाम आपको बतलाना चाहता हूं। उनके नाम हैं :—श्री कस्तूरभाई लालभाई, श्री बी० एम० बिड़ला, श्री श्रीराम, श्री सी० आर० श्रीनिवास, श्री जे० आर० डी० टाटा, श्री डी० आर० गाडगिल, श्री के० सी० महेन्द्रा, श्री डी० एन० मित्र, श्री बी० एच० जैदी, श्री जी० परमेश्वरन पिल्ले और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से नामिनेटिड हैं। इसी तरह से स्टेट बैंक का भी हिसाब है और उसके डायरेक्टर्स भी इसी तरह के हैं। उसमें भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं। अब आप देखें कि इसका असर क्या पड़ता है? जो असर पड़ता है, वह अगर आप हिसाब किताब को देखें तो साफ ज़ाहिर हो जाएगा। जो नक्शा है, वह साफ ज़ाहिर हो जाता है अगर आप स्टेट बैंक आफ इंडिया के बारे में सैंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट १९५९ के लिए देखें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उस हिसाब के साथ साथ अगर आप देखें कि जो ८० परसेंट से अधिक आबादी देहातों में रहती है, उसे रूरल क्रेडिट के बारे में इसने क्या किया है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लैंड मार्टगेज बैंक्स के डिबैंचर्स खरीदने का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि वह एक नई चीज़ हुई है और वह इसलिए कि स्टेट बैंक पर देश के देहातों के लोगों और उनके नुमाइदों का असर जरूर पड़ा है। लेकिन यह चीज़ कहां तक पहुंच पाई है, इसका आप अंदाजा लगायें। इन डायरेक्टर्स का वास्ता ऐसी कम्पनियों से है जिन के पास कि करोड़ों रुपया दिया गया है। लेकिन यहां पर लोगों के लिए उन की संस्थाओं के इन्होंने .७९ करोड़ ही के डिबैंचर्स खरीदे हैं। जहां तक कोओपरेटिव प्रासेसिंग सोसाइटीज़ का ताल्लुक है, इनको जो पैसा दिया गया है वह २ करोड़ २१ लाख दिया गया है। इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना जरूरी है कि डायरेक्टर्स को बदला जाए। इनको बदलने के लिए अगर हमें कानून में भी तरमीम करनी पड़े तो वैसा करने के लिए भी मेरी राय में वक्त आ गया है।

मैंने अब तक स्टेट बैंक के आंकड़े आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपके सामने रिज़र्व बैंक के आँकड़े रखना चाहता हूं।

श्री त्यागी (देहरादून) : इन आदमियों की वजह से क्या कुछ पालिसी में फर्क पड़ता है?

चौ० रणवीर सिंह : मैंने आपको बतलाया है कि इन डायरेक्टर्स के जिन कम्पनियों में हिस्से हैं, उनको कितना एडवांस किया गया है। आप उसका टोटल कर लीजिये और आपको पता चल जाएगा कि कितना एडवांस उन कम्पनीज को किया गया है। ४३ करोड़ ७८ लाख ७२

[चौं० रणवीर सिंह]

हज़ार ५०० रुपये का एक ही एडवांस मैंने बता दिया है। इसके मुकाबले में मार्टगेज बैंकों के इन्होंने जो डिबेंचर खरीदे हैं वह सिर्फ़ ७९ करोड़ के ही खरीदे हैं। इसी तरह से जो कोओप्रटिव प्रासेसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको दो करोड़ से कुछ अधिक दिया गया है। मैं इन सारी फिगर्स को दुबारा कोट करना नहीं चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि रिज़र्व बैंक का जो खाता है, वह भी कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी इन बड़े बड़े लोगों का असर है। शैड्यूल्ड बैंक्स को जो पैसा एडवांस किया गया है रिजर्व बैंक की तरफ से १९५८–५९ में वह ५१९.५६ करोड़ किया गया है। इसके मुकाबले में तमाम देश के अन्दर स्टेट कोआप्रेटिव बैंक्स जो हैं या दूसरे कोआप्रेटिव बैंक्स हैं, उनको इसी साल में ७५.२८ करोड़ ही एडवांस किया गया है।

†**श्री बी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : आप चाहते हैं कि रिजर्व बैंक कृषि मंत्रालय के साथ हो ?

उपाध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने मुझे एक अच्छी बात की याद दिला दी है। मेरे दिल में यह बात नहीं थी। अब तो एक ही रास्ता मेरी समझ में आता है। पहले मैं समझे हुआ था कि शायद डायरेक्टर्स को बदलने से ही काम चल जाएगा, लेकिन अब शर्मा जी का ख्याल है कि शायद वित्त मंत्रालय से निकाल कर खाद्य और कृषि मंत्रालय के तहत इन दोनों बैंकों को कर दिया जाए, तभी देश का सुधार हो सकता है। यह बात मुझे पहले नहीं सूझी थी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक पैसे का ताल्लुक है हमने यह फैसला कर रखा है कि देहातों में हम उसे सिर्फ कोआप्रेटिव्स की मार्फत ही देंगे और यही हमारी हमेशा कोशिश रहती है। १९५७–५८ में जो जांच की गई थी उस जांच के नतीजे के तौर पर जो चीज़ सामने आई, उसे रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में नोट कर दिया है। उसको भी मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उसमें कहा गया है कि १९५६–५७ में जिन सरकारी समितियों के हिसाब किताब की जांच की गयी उनमें से १६ प्रतिशत समितियां ऐसी थीं, जो बहुत अच्छी तरह चल रही थीं। यह 'ए' और 'बी' श्रेणी की थी। १६ प्रतिशत समितियां 'डी' श्रेणी की थीं। इनकी हालत बहुत खराब थी। अधिकांश समितियां 'सी' श्रेणी की थीं जो मध्यम दर्जे की थीं, जिनके ऊपर बहुत ऋण था तथा जिनका काम ठीक नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज़ मैंने आप को इसलिये पढ कर नहीं सुनाई है कि मुझे कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ कोई शिकायत है। बल्कि मैं समझता हूं कि जब तक इन सोसाइटीज़ को मज़बूत नहीं किया जाता है तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है। कोप्रेशन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में इन सोसाइटीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जो ए० और बी० क्लास की सोसाइटीज़ हैं, उन की तादाद २२,००० है। इन २२,००० सोसाइटीज़ में से कोई ७,००० सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन को कि लार्ज साइज़ कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ कहा जाता है। और जिन में सरकार के भी हिस्से होते हैं। रूरल क्रेडिट सर्वे के बारे में रिज़र्व बैंक की जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि इन के शेयर्स के अन्दर सरकारी पार्टिसिपेशन होना चाहिये, हिस्से सरकार को खरीदने चाहियें ताकि ये सोसाइटीज़ मज़बूत हो सकें, अपने पांवों पर खड़ी हो सकें और देश के अन्दर तेज़ी से काम हो सके। मुझे मालूम नहीं कि प्लानिंग कमिशन जोकि हिन्दुस्तान के लिये बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनाता है, उस की समझ में यह बात क्यों नहीं आई कि इन सोसाइटीज़ के शेयर्स के अन्दर पार्टिसिपेशन हो। उसने कह दिया कि यह चीज़ गलत है और आगे सरकार किसी सोसायटी के हिस्से न खरीदे। उस ने हिदायत दी कि ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती है जिस से कि रिज़र्व बैंक के दिवा-

†मूल अंग्रेजी में

लिया हो जाये और यदि इस तरह की कोई सलाह दे तो उस को कबूल नहीं किया जा सकता है। इस तरह से एक तरफ तो दिवालिये होने का डर दिखाया जाता है और दूसरी तरफ जो सलाह रिज़र्व बैंक की है, उस को भी माना नहीं जाता है। मैं समझता हूं कि २२,००० सोसाइटीज़ में से ७,००० जो हैं वे लार्ज साईज़ सोसाइटीज़ हैं, वे ऐसी हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाये जाने के बाद जिन के शेयर कैपिटल में हिस्से की खरीद की गई है। बाकी जो सोसाइटीज़ बचती हैं वे १३,००० के करीब ही बचती हैं और ये १९१३ से बननी शुरू हुई हैं। इस हिसाब से एक साल के अन्दर एक हज़ार भी सोसाइटीज़ नहीं बनी होंगी। मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि एक हज़ार भी नहीं बल्कि सैंकड़ों ही बनी होंगी जोकि इस लायक हो सकें कि उन को रुपया देना ठीक समझा जा सकता हो।

मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा मंशा क्या है ? देहातों की तरक्की के लिये रुपया रिज़र्व बैंक देना चाहता है या नहीं देना चाहता है ? एक बार तो रिज़र्व बैंक की ही सलाह होती है कि ये सोसाइटीज़ ही इस लायक नहीं हैं कि उन के ऊपर एतबार किया जा सके लेकिन जब दूसरी बार रिज़र्व बैंक की समझ में यह चीज़ आ जाती है कि इन सोसाइटीज़ को कैसे मज़बूत किया जा सकता है, कैसे चालू रखा जा सकता है, कैसे ये एतबार लायक बन सकती हैं और ऐसा करने के लिये प्रोपोज़ल्स सामने रखी जाती हैं, कि सरकार उन के हिस्से खरीदे तो उन प्रोपोज़ल्स को, उस सलाह को प्लानिंग कमिशन मंजूर नहीं करता है। यहां जिस ढंग से कहा गया, उस ढंग से तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि सोसायटियों के नाम पर सोसायटियों को मारने की कोशिश है। अगर हिसाब किताब लगा कर देखा जाय कि आज इस देश के अन्दर जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उन के जो ऐडवान्सेज़ हैं वह कोई ८०० करोड़ से ऊपर के हैं, वह अन्दाजन ९८३ करोड़ रु० के ऐडवान्सेज़ दूसरे सेक्टर को, उनको आप शहर का सेक्टर कहिये, नानऐग्रिकल्चर सेक्टर कहिये, देते हैं। उस के मुकाबले जो देहात का सेक्टर है, ऐग्रिकल्चर सैक्टर है, जो आज देश की एकानमी और इस वित्त मंत्रालय को कामयाबी से चलाने का सब से अच्छा ढंग बन सकता है, उस के लिये एक मीन्स बन सकता है, उस के लिये मैंने आप को दिखलाया कि सिर्फ ७६ करोड़ रु० ही दिये जाते हैं। यहां पर जो शहर का सेक्टर है या नानऐग्रिकल्चर सेक्टर है, उस की इमदाद के लिये तमाम देश के शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, तमाम देश के नानशेड्यूल्ड बैंक्स हैं, इस के अलावा रिज़र्व बैंक का खाता भी आपके सामने पेश किया गया, स्टेट बैंक का खाता पेश किया गया, तो मैं नहीं समझता कि हमारी यह मंशा हो सकती है या वित्त मंत्रालय की यह मंशा हो सकती है कि देहात तरक्की न करें। उस का तरक्की करना बहुत जरूरी है और यह सदन मानता है, वित्त मंत्रालय भी मानता है लेकिन उस को हम आगे कैसे चलायें, इस के ऊपर सोच विचार करना बहुत आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट रखने का जो फार्मूला बनाया वह फार्मूला यह है कि जितना शेअर कैपिटल है या उन का ओन फंड है, रिजर्व फंड वगैरह जो है, उनका पैसा जो है, उस का छःगुना मल्टिपल रिजर्व बैंक कर्ज के तौर पर दे सकता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उस के अन्दर जो देहात की तरक्की में जो बाटलनेक बन गया है वह यह है कि इस का हिसाब जब बैंक लगाता है तब गांव की कोआपरेटिव सोसायटी के हिस्सों व रु० का नहीं लगाती। बल्कि स्टेट कोआपरेटिव बैंक के हिस्सों व रुपयों का हिसाब लगाया जाता है। आंकड़ों के हिसाब से जितनी हमारी देश की कोआपरेटिव सोसायटीज़ हैं उन का शेअर कैपिटल २८.२२ करोड़ रु० का है और जो उन के अपने रिजर्व और अदर फंड्स हैं वह १४.१५ करोड़ हैं। टोटल मिल कर ४२.३७ करोड़ बैठता है और अगर अपने फार्मूले को रिजर्व बैंक बदल दे और उन्हों ने जो लिमिट मुकर्रर की है वह लिमिट ऐवेक्स बैंक का शेअर कपिटल या उन का जो ओन फंड है उस का हिसाब रख कर नहीं करे बल्कि देश के अन्दर जिन को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिन का नाम सर्विस कोआपरेटिज़ है, उन के शेअर कैपिटल और उन के ओन फंड

[चौ० रणवीर सिंह]

के हिसाब से की जाये तो इस देश के अन्दर रिजर्व बैंक अपने उस फार्मूले पर रहते हुए २५४.२२ करोड़ रुपया देश के अन्दर कर्ज बढ़ा सकता है। आप को यह जान कर ताज्जुब होगा कि मीडियम टर्म लोन देने के लिये जो फंड क्रिएट किया रिजर्व बैंक ने, जिस का नाम है नैशनल ऐग्रिकल्चर क्रेडिट लांग टर्म आपरेशन फंड, उस के अन्दर आज ३० करोड़ रु० का क्रेडिट है। ३०करोड़ रु० का क्रेडिट होने के बाद जो आज वहां पर ऐडवान्सेज हैं वह १४ करोड़ रु० से कुछ ऊपर हैं। इसी तरह से जो दूसरा नैशनल ऐग्रिकल्चर क्रैडिट स्टैबिलाइज़ेशन फंड है, जोकि ४६ बी धारा की तहत बना है उस का ३०-६-५९ को ४ करोड़ रु० का क्रेडिट था। लेकिन आज देशके अन्दर मीडियम टर्म लोन. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका समय समाप्त हो गया।

चौ० रणवीर सिंह : मुझे ऐग्रिकल्चर पर बोलने का बहुत कम समय मिला और कोआपरेटिव्ज़ पर बिल्कुल नहीं मिला। मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह बहुत अहम मसला है कि हम कितना पैसा इस के लिये दे और इस से देश की तरक्की हो सकती है, अनाज भी बढ़ सकता है ताकि दूसरे देशों के ऊपर हमें भरोसा ज्यादा न करना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : बढ़ाइये अनाज अगर आप बढ़ा सकें, मैं भी आपको वक्त दूंगा।

चौ० रणवीर सिंह : मैं अर्ज कर रहा था कि मीडियम टर्म लोन जो सन् १९५८-५९ में सैंक्शन हुए वह ४.५२ करोड़ रु० के थे। अब सवाल यह है कि हालांकि उन का फार्मूला है कि छः गुना रुपया देना चाहिये, ४ गुना शार्ट टर्म लोन पर देना चाहिये, एक गुना वीविंग कोआपरेटिव सोसायटीज़ वगैरह के लिये देना चाहिये और १ गुना मीडियम टर्म लोन्स देने चाहिये, अगर उसी हिसाब से चलें, जैसा मैंने कहा कि वह अपेक्स बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स के शेअर कैपिटल को पकड़ कर न चलें, सर्विस कोआपरेटिव्ज़ के कैपिटल को पकड़ कर चलें तो इस देश के अन्दर ४२.३७ करोड़ रु० इस फार्मूले के हिसाब से मीडियम टर्म लोन के रूप में दिया जा सकता है।

इसी तरह से काटेज इंडस्ट्री के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक उस के आगे बढ़ाने का वास्ता इस देश के अन्दर है, मैं कहना चाहता हूं कि हजारों करोड़ों रु० बड़े बड़े कारखानों का सामान खरीदने के लिये या उन को गहने प्लेज करने के लिये दिया जाता है, लेकिन जहां तक काटेज इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, वहां पर सिर्फ ४ या ५ करोड़ रु० दिया गया। आप को उस को भी उसी हिसाब से मानना चाहिये, लेकिन उस में इतना फर्क करें कि सर्विस कोआपरेटिव्ज़ के शेअर कैपिटल, ओन फंड का हिसाब लगाते हुए मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट मुकर्रर करें। ऐसा किया जाता है तो उन को भी ४२.३७ करोड़ रुपया कर्जा दिया जा सकता है। हमारे देश के देहात जो हैं वह वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, आदि के भिखारी नहीं बनना चाहते। वह सिर्फ कर्जा चाहते हैं, जोकि उन का हक है। हमारे देहात भी इस देश के हिस्से हैं। आज देश में कोआपरेटिव बैंक बने हैं। अगर दूसरे तरह के बैंक बनते, शेड्यूल्ड और नान शेड्यूल्ड बैंक्स बनते हैं तो उन में जितना रुपया उन को मिल सकता, कम से कम उतना रुपया पाने के हमारे देहात जरूर मुस्तहक हैं।

इसी तरह मुझे मालूम है कि बम्बई के अन्दर जो शुगर कोआपरेटिव फैक्ट्रीज़ हैं, रिजर्व बैंक उन को बैंक रेट के हिसाब से कर्जा देता है, ४ फीसदी के सूद के हिसाब से कर्ज देता है। २ करोड़ रु० का जो मैक्सिमम क्रेडिट सैंक्शन हुआ है वह सिर्फ बाम्बे स्टेट के लिये हुआ है। अगर रिजर्व बैंक बम्बई स्टेट कोआपरेटिव बैंक को कर्जा दे सकता है तो मुझे मालूम नहीं कि पंजाब को रुपया क्यों नहीं दे सकता। मुझे पता नहीं है कि पंजाब के स्टेट कोआपरेटिव बैंक ने ही कर्ज के लिये अर्जी नहीं दी या कि

पंजाब स्टेट ही इस बैंक को रुपया कर्ज लेना सही नहीं समझती, लेकिन बहरहाल वहां पर जो तीन शुगर कोआपरेटिव फैक्ट्रीज हैं उन को वह सहूलियत नहीं हैं । बम्बई की शुगर फैक्ट्रीज को जो सहूलियतें हैं वह आज पंजाब की शुगर फैक्ट्रीज को मिलनी चाहियें । उन को भी ४ परसेन्ट के सूद पर कर्जा मिलना चाहिये ।

इस के अलावा मैं रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि देश का पार्टिशन हुआ, जाब का सूबा बटा । पंजाब सूबे के बटने से नतीजा यह हुआ कि हमारे पंजाब के अन्दर जो होशियारपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक है उस का काफी सरमाया पाकिस्तान में रह गया । जो भी नतीजा हुआ वह तो एक कुदरती बात थी उस के लिये । उस की मदद के लिये स्टेट बैंक को आगे आना चाहिये ताकि वह अपना काम बढा सके । आप को ताज्जुब होगा कि होशियारपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लोगों को २ परसेन्ट के ऊपर कर्जा देता है जितना कि हमारा रिजर्व बैंक भी नहीं दे सकता । लेकिन अब उस की शक्ति कम है क्योंकि देश का पार्टिशन हुआ । उस का रुपया वहां फंस गया, तब भी जो बैंक अपने मेम्बरों को २ परसेन्ट सूद पर रुपया दे सकता है तो मैं समझता हूं कि देश का बटवारा हो जाने से उस को जो घाटा पड़ा है उस को स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक को सब्सिडी देकर पूरा करना चाहिये, जब भी पंजाब का रुपया उधर से मिले वह उस के खाते में जमा हो जाय लेकिन अब जो घाटा जो हो उस को स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक पूरा करें । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि इस के अन्दर वित्त मंत्रालय का कोई हाथ है या जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं उस का कोई हाथ है । जितनी भी स्कीमें जिन का कि ताल्लुक देहात से है, रूरल वाटर वर्क्स स्कीम के ऊपर जो रुपया खर्च होता है वह फर्स्ट फाइव इयर प्लान में जितना रक्खा गया है वह फर्स्ट फाइव इयर प्लान में खर्च नहीं हुआ और न ही वह सेकेन्ड फाइव इयर प्लान में खर्च होने वाला है । इस तरीके से पंचायत और कोआपरेटिव्स का जितना रुपया सीधा देहात में लगने वाला है तो वह खर्च कम होगा । हो सकता है कि उस में ऐडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का भी कसूर हो लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे कृषि मंत्री महोदय की बात कोई सुनता नहीं है । अब यहां पर बहुत अच्छे और मजबूत फूड एंड एग्रीकलचर के मिनिस्टर हैं लेकिन उन्हों ने भी इस चीज को तसलीम किया कि वे भी कृषि की उन्नति के लिये वित्त मंत्रालय का सहयोग हासिल करने में असमर्थ रहे हैं । अब उन के मुकाबले ; तो यह स्टेट्स मिनिस्टर्स शायद और भी कमजोर हैं और पता नहीं कि उन का कागज प्लानिंग कमिशन में रुक जाता है या वित्त मंत्रालय में आ कर रुक जाता है जोकि रुपया खर्च नहीं हो पाता है . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिये ।

चौ० रणवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बस में एक बात कह कर समाप्त किये देता हूं । स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक बड़े बड़े कारखानों और छोटे छोटे कारखानों की इमदाद के लिये कर्ज देते हैं । देश में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये स्टेट्स गवनमेंटस को कर्जे आदि दे कर प्रोत्साहन दिया जा रहा है । आज पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने एक करोड़ एकड़ जमीन को पानी बढ़ा लिया है। उस के वाटर टेबुल के अन्दर फर्क आ गया है । तीस लाख एकड़ जमीन ऐसी है अर्थात ३३ परसेंट जमीन ऐसी है जिस की कि पदावार के अन्दर फर्क पड़ा है और कम हीं तो मैं समझता हूं कि जैसे और इंडस्ट्रीज के लिये राज्य सरकारों को स्टेट बैंक कर्जा दे रहा है उसी तरह से इस खेती के प्रोत्साहन के वास्ते कर्ज देने की व्यवस्था की जाय और रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक स्टेट गवर्नमेंटस को इस वाटर लौगिंग को रोकने के वास्ते कर्जे देना शुरू करें ।

†**श्री सुगन्धि** (बीजापुर—उत्तर) : मैं केवल भारतीय लोक प्रशासन संस्था के सम्बन्ध में ही अपने विचार प्रकट करूंगा । इस संस्था को ५३ . ३७ करोड़ रु० की राशि दी जा चुकी है और इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुगन्धि]

वर्ष १०,८४,००० रु० देने का उपबन्ध । मैं ने अपने कटौती प्रस्ताव में कहा है कि इस राशि को घटा कर ११,००० रु० कर दिया जाये । यह राशि वहां एक आडोटोरियल बनाने के सम्बन्ध में है। मेरा कहना है कि वहां होस्टल में उन अनेक कमरे खाली पड़े हुए हैं । साथ ही यह संस्था योग्य प्रशासक क्या देगी, हमारा प्रशासन वैसे ही बहुत अच्छा है ।

उस दिन उपमंत्री ने बताया था कि इस संस्था को सरकार ने मान्यता दे दी है । संघ लोक सेवा आयोग की बात से पता लगता है कि उसे मान्यता प्राप्त नहीं है । अतः वहां दो वर्ष का समय विद्यार्थी लोग यों ही बरबाद कर रहे हैं । दो वर्ष का समय बरबाद करने पर उन की आयु भी सरकारी नौकरी के लिये अधिक हो जाती है ।

पदाधिकारी विद्यार्थियों का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य ने इस संस्था का लाभ नहीं उठाया है । मैं नहीं जानता कि इस संस्था पर इतना अधिक धन क्यों बरबाद किया जा रहा है । ? मैं समझता हूं कि सरकार को अपना धन बचाना चाहिये और मेरे कटौती प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिये । यही मेरे कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है ।

अन्त में, मैं अतिरिक्त करों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । डीजल आयल व पानी खीचने के छोटे छोटे पम्पिग इंजनों पर लगे कर से कृषि को हानि होगी । गत वर्ष मूल्य बढने से कृषि को धक्का लगा था । इस वर्ष इन करों से कृषि को और भी अधिक धक्का लगेगा अतः मेरा निवेदन है कि कृषि क्षेत्र पर यह जो कर लगाया जा रहा है, यह किसी न किसी रूप में उसे लौटाया अवश्य जाये, अन्यथा कृषि को बड़ी हानि होगी ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रालय की डिमांड्स फौर ग्रांट्स पर बोलते हुए सब से पहले तो मुझे मंत्री महोदय को कई अच्छी बातों के लिये बधाई देनी है । खास तौर पर उन्हों ने अपने साल रवां के बारे में जो रिपोर्ट पेश की है मुझे खुशी है कि चन्द सफों में ही ५०, ५५ सफों में ही उन्हों ने अपने मिनिस्ट्री की कारगुजारियों के बारे में इतने हालात और इतनी फीगर्स दे दी हैं कि जिस से कोई भी शख्स बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता है कि इस मिनिस्ट्री के पास कितने अहम काम करने को थे और उन अहम कामों को उन्होंने किस तरीके से सरंअंजाम देने की कोशिश की है । जितनी अहम यह मिनिस्ट्री है अच्छा होता कि इस की डिमांडस पर बहस होते वक्त दूसरे मुहकमों के मिनिस्टर सभी यहां पर मौजूद होते और खास तौर पर प्लानिंग मिनिस्टर का होना मेरी राय में बड़ा जरूरी है । अभी तो यह वह यहां पर थे । अब वे चले गये हैं । उन का सबस्टीच्यूट यहां कोई होना चाहिये मैं ऐसा महसूस करता हूं ।

पंडित कृ० चं० शर्मा : (हापुड़) उपमंत्री उपस्थित हैं ।

श्री मू० चं० जैन : डिप्टी मिनिस्टर तो इस मंत्रालय के हैं । मैं इस वजह से उस प्वाइंट को कह रहा हूं कि इस मुहकमे का ताल्लुक तो दूसरे महकमाजात से है और खास तौर पर प्लानिंग के साथ तो बार बार उस का सम्बन्ध आता है । इसलिये यह जरूरी है कि जो भी क्रिटिसिज्म हाउस में हो उस को प्लानिंग के मिनिस्टर अच्छी तरह से सुनें . . . . . .

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : फाइनेंस मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन का मेम्बर होता है ।

श्री मू० चं० जैन : अब इस वक्त मैं इस वहस में नहीं पड़ना चाहता लेकिन मैं ने जो बात कही है उस पर मैं कायम हूं कि प्लानिंग के वजीर को यहां पर जरूर मौजूद होना चाहिये ।

जहां तक कि इस मंत्रालय की रिपोर्ट का ताल्लूक है जैसे मैं ने पहले कहा उस ने बहुत अच्छे ढंग से हर मामले के बारे में आंकड़े दिये हैं गोकि कई बातों के बारे में यह चीज़ नहीं कही जा सकती है । सन् १९५६-५७ की फीगर्स दी हैं लेकिन सन् १९५९-६० की फीगर्स जैसे कि बाकी मुहकमों ने देने की कोशिश की है इस मंत्रालय ने कई जगह पर उन को ओमिट कर दिया है और मैं समझता हूं कि अगर वह यह सन् १९५९-६० की फिगर्स जितनी भी वह इकट्ठा कर के दे सकते थे देते तो ज्यादा अच्छा होता ।

इस के साथ ही साथ इस रिपोर्ट के पढ़ने से जो खास तौर पर मुझे पर असर हुआ है वह यह है कई बातों में और खास तौर पर कुछ अहम मामलात में गोकि सारी गवर्नमेंट और प्लानिंग मिनिस्टरी का भी यह फर्ज है कि देश में प्रोडक्शन बढ़े, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि देश में पैदावार बढ़ाने की दिशा में पिछले चन्द वर्षों में इस मंत्रालय की जो पालिसी रही है वह सही पालिसी रही है और उस से प्रोडक्शन बढ़ा है और खास तौर पर इंडस्ट्रियल सैक्टर में बढ़ा है । लेकिन दूसरे फंक्शन्स जोकि प्लानिंग कमिशन ने और गवर्नमेंट ने इस मंत्रालय को सौंपे हैं जैसे कि रिडक्शन ऑफ डिस्पैरिटीज़ का काम, यह विषमता कम करने का जो काम है उस में मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि जितना काम उस में किया जा सकता था उतना काम नहीं हुआ और उस हद तक वह विषमता कम नहीं हो पाई है ।

अब मैं जरा इस बारे में तफसील से बयान करना चाहता हूं । वैसे इस मुहकमे की कामयाबी और नाकामयाबी का जो दारोमदार है और जो उसकी कसौटी है वह ४, ५ बातों पर निर्भर करती है । नंबर १ जैसा मैंने अभी कहना शुरू किया था कि प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रिब्यूशन आफ वैल्थ और इनकम का माकूल इंतजाम होना चाहिये । जो देश में वैल्थ पैदा हो रही है तो उस वैल्थ की डिस्पैरिटी को कम करने के वास्ते इस मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ? जो नये रिसोर्सेज़ हमारे कंट्री में पैदा होते हैं उन को तकसीम करने में इस मुहकमे की क्या पालिसी रही है ? दूसरी कसौटी इस कामयाबी या नाकामयाबी को टैस्ट करने की यह है कि हमारे देश में जो इतना धन खर्च हो रहा है तो उस में वेस्टेज तो नहीं हो रहा है और वह खर्चा जिस किफायतशारी से किया जाना चाहिये उस किफायतशारी से किया जा रहा है या नहीं ? तीसरी कसौटी यह है कि मुहकमा जो टैक्स लगाता है तो उन टैक्सों के सिलसिले में चोरी तो नहीं हो रही है । यह तीन, चार बातें हैं जिन की कि कसौटी पर उस मुहकमे की कामयाबी या नाकामयाबी को कस कर देखा जा सकता है ।

जहां तक यह डिस्परिटीज़ के रिडक्शन की बात है मैं कहना चाहता हूं कि अगर पिछले ४, ५ वर्ष की इस मुहकमे की कारगुजारी को देखा जाय तो जैसाकि प्लानिंग कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है सन् १९५७ से इस मुहकमे ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ अपना काम किया है । सन् १९५६ में प्लानिंग कमिशन की जो रिपोर्ट थी तो उस समय यह वैल्थ टैक्स., क्सपेंडीचर टैक्स और गिफ्ट टेक्स नहीं थे जिनको कि यह मुहकमा बराबर लगाता गया और यह जो सारे टैक्स इस मंत्रालय ने लगाये उस के लिये मैं बधाई देना चाहता हूं । सन् ५७ और ५८ में यह टैक्स लागू किये गये । सन् १९५८ के बाद इन टक्सों का एनफोर्समेंट कसे हुआ और उस ए नफोर्समेंट के बारे में जो कारगुजारी इस रिपोर्ट में दी हुई है मुझे उस से तसल्ली नहीं हुई है । जहां तक एक्सपेंडीचर टैक्स का सवाल है इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सन् १९५८-५९ में डिस्पोजल के वास्ते ७७७४ एक्सपेंडीचर टैक्स केसेज थे जिन में से कि सिर्फ ५७६८ केसेज का डिस्पोजल हो पाया । सन १९५९-६० की फीगर्स नहीं

[श्री मू० चं० जैन]

दी हैं। सन् ५८, ५९ में १ करोड़ की आमदनी होने का अनमान लगाया गया था लेकिन ६४–६८ लाख रुपया ही कलैक्ट हुआ। इसी तरह से वैल्थ टैक्स केसेज़ जिनका कि डिस्पोज़ल होना था उनकी तादाद ४५,२५० थी लेकिन उनमें से केवल ९४९० केसेज़ का निबटारा हुआ है। २०, २२ परसेंट केसेज़ का डिस्पोज़ल हुआ है। इस के साथ साथ जो पहले कम्पनीज़ पर वैल्थ टैक्स लगाया गया था उस को विदड्रा कर के मैं समझता हूं कि गलती की गई है और कम्पनीज़ पर से यह वैल्थ टैक्स विदड्रा करने का कोई कारण नहीं था। इस के अलावा सन् १९५८ में सितम्बर के महीने में जो हाउस ने स्टेट ड्यूटी अमेंडमेंट एक्ट पास किया उस को पास किये आज पौने दो साल हो गये हैं लेकिन हम देखते हैं कि यह मंत्रालय अभी तक तमाम स्टेटस में इस को लागू कराने का प्रस्ताव पास नहीं करा पाया है। अब शायद मिनिस्टर साहब इस के लिये यह जवाब देंगे कि मैं क्या कर सकता हूं इस का तो स्टेटस से ताल्लुक है। लेकिन स्टेट्स में कोई दूसरी किस्म की गवर्नमेंट नहीं है। जिस पार्टी की सेंटर में गवर्नमेंट है उसी की तमाम स्टेटस में हुकूमत है। जहां तक सिपैरिटी को दूर करने का सवाल है प्लानिंग कमीशन ने और गवर्नमेंट ने इस को अपना आइडियल बनाया हुआ है फिर क्या वजह है कि ऐग्रीकल्चरल लैंड के बारे में आप को स्टेट गवर्नमेंटस से रिजोल्यशन पास कराने में पौने दो बरस लग गये। मुझे यह देख कर बड़ा अफसोस होता है। इस मुहकमे को इस मामले में जितनी जल्दी दिखानी चाहिये थी उतनी इस ने नहीं दिखाई।

इसी तरह से जहां तक गिफ्ट टैक्स का सवाल है. इसमें भी पिछले साल एक करोड़ की आमदनी हुई थी, लेकिन सन् १९५९-६० में ३१ अक्तूबर सन् १९५९ तक इस की आमदनी सिर्फ २३.८० लाख हुई है और जो इस के पास इस के मुतालिलक ४७७८ केसेज़ आये उनमें से सिर्फ १९६३ को डिसपोज़ आफ किया गया है। ये फिगर मैं इसलिये दे रहा हूं कि जहां मैं मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले तीन सालों में देश के टैक्स स्ट्रक्चर को दुरुस्त किया है, वहां मैं इन के एनफोर्समेंट की तरफ भी इन की तवज्जह दिलाना चाहता हुं। चाहिये तो यह था कि पिछले दो बरसों में उन कानूनों में जो नुक्स पाये गये उन को दूर करते। सन् १९५८ में ला कमीशन ने इनकम टैक्स एक्ट के बारे में रिपोर्ट दी उस पर अमल नहीं हुआ। त्यागी कमेटी की रिपोर्ट पर अभी गौर रहा है। मैं चाहता हूं कि इन कानुनों में जो नुक्स में उन को दूर किया जाय और इन का एनफोर्समेंट ठीक तरीके से किया जाय।

मैं डिसपैरिटी के प्वाइंट पर फिर आना चाहता हूं। अभी मेरे दोस्त चौधरी रणवीर सिंह ने इस की तरफ मिनिस्ट्री की तवज्जह दिलायी थी। जैसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा, जहां तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ताल्लुक है, उसमें बहुत तरक्की हुई है, उसमें तो टारगेट से भी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन जहां तक फूड फ्रंट का ताल्लुक है, उसमें हम मिजरेबली फैल हुए हैं। इसका कारण क्या है मैं उसमें इस वक्त नहीं जाना चाहता क्योंकि यह फूड मिनिस्ट्री की डिबेट नहीं है। लेकिन इसका कुछ ताल्लुक फाइनेन्स मिनिस्ट्री से भी है। देश की जो ६०–७० फी सदी आबादी है। जो कि खेती का काम करती है, उसको इस मिनिस्ट्री से मदद ठीक तौर पर नहीं मिल रही है। सरकार करोड़ों रुपया बाहर से अनाज मंगाने पर खर्च कर रही है, लेकिन जब गरीब लोगों को रुपया देने का सवाल आता है, जब कोआपरेटिव सेक्टर को रुपया देने का सवाल आता है तो इस मिनिस्ट्री को मुश्किल मालूम देती है। जो लेंडलैस किसान हैं उनको तो यह कर्ज देता ही नहीं क्योंकि उनके लिए सीक्योरिटी का सवाल आता है। कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी जाए, तो उससे मदद लेने में भी जमानत का सवाल आता है और उसकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट का सवाल उठता है। मैं समझता हूं कि इस मुहकमे को और इस गवर्नमेंट को इस

बारे में कोई फैसला कर लेना चाहिए। वैसे यह आइडिया तो अच्छा है कि आप डिसपैरिटी दूर करना चाहते हैं लेकिन यह कैसे करेंगे इस बारे में फैसला कर लेना चाहिए। आप इस वक्त उनको ही क्रेडिट दे रहे हैं जिनके पास रुपया है। जो बोसियों तरह के फाइनेंस कारपोरेशन बने हैं, और जो इंटरनेशनल फाइनेस कारपोरेशन है, वे उन लोगों को ही रुपया देते ह जो कि सरमाएदार हैं और जिनके पास अपने रिसोर्सेज़ मौजूद हैं। आप जो देते हैं उसका शायद ९० परसेंट ये चार पांच परसेंट सरमाएदार ले लेते हैं। और वह आपको कितनी मदद करते हैं इसका अन्दाजा तो आप स्वतंत्र पार्टी को कारर्वाइयों से लगा ही सकते हैं। आपका उन पर भरोसा करना गलत है। आखिर मैं आपको देश की ८०–९० फीसदी आबादी पर ही भरोसा करना होगा। जो बड़े किसान ह उनको ही कोपरेटिव सेक्टर से क्रैडिट मिलती है और दूसरी चीजें मिलती हैं। लेकिन एक गरीब चमार जूते बनाने का काम शुरू करने के लिए दो सौ और चार सौ रूपए के लिए तरसता है। तो यह चीज आपको देखनी होगी। यह लैंडलैस और छोटा किसान का तबका देश का बहुत बड़ा तबका है और जब तक आप इसको मदद नहीं करेंगे तब तक आप फूड के मामले में स्वतंत्र नहीं हो सकते और यह आपकी इस मामले में दूसरे देशों पर अधीनता खत्म नहीं हो सकती। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बात का फैसला करना चाहिये कि वह रिजर्व बैंक के मारफत या स्टेट बैंक के मारफत या दूसरी बैंकों के मारफत इनको किस तरह से क्रैडिट सप्लाई करे। आज आप जो क्रैडिट सप्लाई करते हैं वह ज्यादातर अमीर लोगों तक ही पहुंच पाता है, आपको यह फैसला करना होगा कि इन गरीब लोगों के हाथ में आप किस तरह से रिसोर्सेज़ दे सकते हैं। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि अब तक जो सलूक गवर्नमेंट का इन लोगों के साथ रहा है रिसोर्सेज़ देने के मामले में, वह निहायत नाकिस रहा है, उनके साथ बिल्कुल सौतेली मां का सा सलूक रहा है। मैं जानता हूं कि हरिजनों के बच्चों को पढ़ने के लिए वजीफ़ों की शक्ल में मदद दी जा रही है। लेकिन क्या गवर्नमेंट समझती है कि इससे उनका सवाल हल हो सकता है। अगर किसी गांव में हरिजनों के सौ घर होंगे तो उनमें से दस पांच लड़के पढ़ते हैं। तो इन वजीफों से उनकी समस्या बहुत ज्यादा हल नहीं होती। जो शिडयूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब वाले हैं उनके साथ साथ ही छोटे जमींदार और छोटे किसान की हालत को सुधारने का काम भी इस मुहकमे को करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन लोगों को जो क्रेडिट के मामले में दिक्कत है, जिसका जिक्र चौधरी रणबीर सिंह जी ने भी किया है, उसको दूर करने की तरफ यह मिनिस्ट्री खास तवज्जह देती।

जहां तक मौजूदा टैक्सेशन का सवाल है। उस पर तो फाइनेंस बिल की बहस के दौरान चर्चा होगी लेकिन इस बारे में मैं दो चार बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। अभी माथुर साहब ने जो रोड ट्रांस्पोर्ट पर टैक्स लगाया है उसका बड़ा क्रिटिसिज्म किया। एक और दोस्त ने भी उसकी क्रिटिसिज्म किया। मैं कहना चाहता हूं कि रोड प्रांसपोर्ट के ऊपर टैक्स पर जो नुक्ताचीनी की गयी है वह बिल्कुल गलत है। दूसरी पंचसाला योजना में रोड ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें बनाने के लिए लगभग २८० करोड़ रुपया रखा गया, यानी ४८०० करोड़ का ५ परसेंट सिर्फ रोड डवलपमेंट के लिए रखा गया, जिसमें से २५० करोड़ के करीब खर्च भी हो चुका है। ये सड़कें ज्यादातर किसके काम आती हैं। यह ठीक है कि मैं भी उन पर चलता हूं लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा प्राइवेट ट्रांस्पोर्ट वाले ही उठाते हैं। वह लोग एम० पीज़ के पास जाकर उनको फिगर देते हैं और कहते हैं कि सन् १९५६ में, सन् १९५७ में, सन् १९५८ में और सन् १९५९ में बराबर उन पर टैक्स लगाए गए हैं यहां तक कि उनको टैक्सों से दबा दिया गया है। मैं कहता हूं कि उनके ये कोटेशन्स गलत हैं। इधर चार पांच सालों में कितनी सड़कें बनी हैं। और जितनी सड़कें बनती हैं उतनी ही ज्यादा उन पर रोड ट्रांस्पोर्ट चलता है और जब वह चलता है तो लोगों को फायदा होता है। हर किसी एम० पी० के नोटिस में यह बात आयी होगी कि जब भी कहीं कोई नई सड़क बनती है तो प्राइवेट ट्रांस्पोर्ट वाले स्टेट गवर्नमेंट के पास परमिट और लाइसेंस लेने के लिए भागते हैं। और

[श्री मू०चं० जैन]

जो रश होता है उससे जाहिर है कि इस इंडस्ट्री में काफी मुनाफा है और अभी यह और भी टैक्स बर्दास्त कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह जो गुड्स ट्रांस्पोर्ट वालों ने सारे देश में हड़ताल की हुई है इसके आगे हमारी मिनिस्ट्री काऊ डाउन नहीं होगी बल्कि अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी रहेगी। और आगे भी इस पर जो टैक्सेशन की गुंजाइश है उसको लगाएगी।

इसी तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज का सवाल है। कहा जाता है कि उन पर टैक्स न लगाया जाए। आजकल यह हो रहा है कि आपस के आदमी कोपरेटिव स्टोर खोल लेते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। दस हजार तक तो टैक्स है ही नहीं और ज्यादातर कोओपरेटिव सोसाइटी इससे ज्यादा इनकम नहीं करती। लेकिन जो बड़ी कोओपरेटिव सोसाइटियां हैं, जैसे पंजाब में ट्रांसपोर्ट कोपरेटिव सोसाइटी, जिसका एक एक मेम्बर दो दो हजार महीने की आमदनी करता है, उस पर टैक्स क्यों न लगाया जाए। मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री इस मामले में साबित कदम रहेगी और बिल्कुल नहीं झुकेगी।

ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री का सवाल है। मालूम पड़ता है कि कुछ अखबारों में शायद कुछ गलत-फहमी की वजह से यह खबर निकल गयी है कि फिल्म इंडस्ट्री को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। जहां तक एजूकेटिव फिल्मों का ताल्लुक है या जहां तक बच्चों की फिल्मों का ताल्लुक है, उनको एग्जेम्प्ट आप बेशक कर दें, और कुछ फिल्मों के दो चार प्रिंट एग्जेम्प्ट कर दें, लेकिन इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा एग्जेम्प्शन देंगे तो आप छोटे टैक्सपेयर के साथ ज्यादती करेंगे जो कि कभी भी इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकता कि गरीबों पर आप टैक्स लगाएं और अमीरों पर न लगाएं जो कि एक एक फिल्म के पचास पचास प्रिंट लेकर काफी रुपया कमा रहे हैं। उनको कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए।

अब मैं लाइफ़ इन्शोरेंस कार्पोरेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। लाइफ़ इन्शोरेंस की नैशनलाइज़ेशन यह ज़ाहिर करती है कि इन दो बरसों में कितना काम बढ़ा है और नैशनलाइज्ड इंडस्ट्री भी किस तरीके से देश के लिए अच्छा काम कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर यह समझता था कि लाइफ़ इन्शोरेंस को नैशनलाइज़ कर के गवर्नमेंट फ़ेल होगी, लेकिन गवर्नमेंट इस में कामयाब हुई और बड़ी शान के साथ कामयाब हुई। आज हम देखते हैं कि प्राइस लाइन का झगड़ा पड़ा हुआ है, वह टिक ही नहीं पाती है। फूड-ग्रेन्ज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बैंकों को भी नैशनलाइज़ कर देंगे, तो फिर अच्छी तरह को-आर्डिनेट कर के प्राइस-लाइन को होल्ड कर सकेंगे।

जहां तक स्माल सेविंग स्कीम का ताल्लुक है, मुझे खुशी है कि स्टेट लैवल पर और सेंटर के केवल पर औरतों के अलग और मर्दों के अलग जो दो बोर्ड बने हुए थे, उन को एमलगमेट कर दिया गया है। इस रिपोर्ट से यह मालूम हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट आरगनाइज़र्स और एजेन्ट्स की ट्रेनिंग का इन्तज़ाम किया गया है। मुझे इस की खुशी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस काम में देरी की गई है। अगर ट्रेनिंग का इन्तज़ाम जल्दी से कर दिया गया होता, तो अच्छा होता। जो इन्तज़ाम इस सिलसिले में किया गया है, वह कतई नाकाफ़ी है। ज़रूरत इस बात की है कि ट्रेनिंग का इन्तज़ाम बड़े पैमाने पर किया जाये। देश के देहातों में स्माल सेविंग की बड़ी गुंजायश है, लेकिन मैल-एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से देहात के लोग नाराज़ हैं। देहात में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, अगर सरकार उस की निकम्मी बातों को दूर करने में मददगार हो, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्माल सेविंग्ज़ की तहरीक बहुत तरक्की करेगी। अलबत्ता सरकार ने जो दस बीस किस्म की स्माल सेविंग्ज़ की स्कीमें निकाली हुई हैं, उन को खत्म कर के सिर्फ़ दो चार स्कीमें ही रखी जायें, क्योंकि इन से देहात के लोगों में कनफ्यूज़न होती है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मिनिस्ट्री की डिमांड्ज़ को सपोर्ट करता हूं।

†श्री बासप्पा (तिपतुर) : देश की जनता प्रति वर्ष आयव्ययक तथा वित्त मंत्री के भाषण को बड़े ध्यान से देखती है। वह चाहती है कि देश का धन ठीक तरह से इस्तेमाल हो; देश का विकास हो। हमारे सामने तीसरी योजना है तथा प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण मामला है। अतः हमारा आय-व्ययक उसी के अनुकूल होना चाहिए। पर मैं देखता हूं कि वैसा नहीं हो रहा है।

मैं देखता हूं कि योजना का लाभ जिन लोगों को होना चाहिए उन्हें नहीं हो रहा है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे आयव्ययक बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गरीब वर्ग को इसका अधिकाधिक लाभ मिले। करारोपण प्रणाली में एक परिवर्तन हो रहा है और अप्रत्यक्ष कर बढ़ाये जा रहे हैं। इस से अमीर लोग अधिक अमीर और गरीब लोग अधिक गरीब होते जा रहे हैं। इन करों से गरीब वर्ग तो वैसे ही बहुत पीड़ित है।

जनता से ऋण उगाने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और मेरा कहना है कि उस धन का बहुत ही सुन्दर व अच्छा उपयोग किया जाये। कभी कभी धन का अपव्यय भी होता है। ध्यान देने की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं इनामी बांड योजना का स्वागत करता हूं।

सरकार अधिकाधिक उत्पादन कर लगा रही है। प्रक्रिया ऐसी बनाई जाये जिससे ईमानदार लोगों को परेशानी न हो। कई बार कर विभाग के पदाधिकारी ईमानदार लोगों को भी बहुत परेशान करते हैं।

विदेशी मुद्रा की बचत के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि हमें विदेशी मुद्रा बचाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। कुछ लोग विदेशों को भेजे जाते हैं। उनसे हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता। अतः हमें बहुत जरूरी मामलों में ही लोगों को विदेश भेजना चाहिए इस सम्बन्ध में व्यर्थ में ही बहुत सी विदेशी मुद्रा व्यय नहीं करनी चाहिए।

उसके बाद गैर-विकास सम्बन्धी व्यय की बात है। अभी भारतीय लोक प्रशासन संस्था का उल्लेख किया गया। इसमें बहुत अधिक धन व्यय हो रहा है जोकि उपयोगी नहीं है। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने भी कहा कि यह संस्था पैसे बरबाद कर रही है। इससे देश को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यहां पर बहुत थोड़े विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जब हम देश का विकास कर रहे हैं, तो हमें ऐसे व्यर्थ के खर्च बन्द कर देने चाहिएं।

हमारे देश में अनेक वित्तीय संस्थायें हैं। उनका विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उद्योगों के विकास में सहायता दें; उनका कमीशन भी कम होना चाहिए और उन्हें विदेशी ऋण प्राप्त करना चाहिए।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है पर अभी कुछ बैंकों का नहीं किया गया है। मैं पूछता हूं कि यह भेद-भाव वाली नीति क्यों बरती जा रही है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से सरकार को बड़े संसाधन मिल जायेंगे, जिनका वह इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक को अपनी शाखायें बढ़ानी चाहिएं।

मैं उत्पादन शुल्कों के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जनता में बड़ी उत्तेजना है। कुछ मंत्रियों ने कहा है कि इन शुल्कों के कारण उनके मंत्रालय सम्बन्धी विकास कार्यों में

[श्री बासप्पा]

बाधा पड़ेगी । अतः एक धारणा है कि कुछ करों को कम कर दिया जाये । माननीय वित्त मंत्री अन्य मंत्रियों की बात सुनें और इस प्रकार कर व्यवस्था करें कि किसी भी मंत्रालय को कठिनाई न हो ।

ट्रैक्टरों पर बड़ा भारी कर लगाया जा रहा है । १२,००० रु० के ट्रैक्टर पर २,५०० रु० कर । आप जरा सोचें कि आप इन ट्रैक्टरों पर इतना कर लेकर कृषि कार्य को कैसे विकसित कर सकेंगे । फिल्म उद्योग के सम्बन्ध में मैं केवल कन्नड़ फिल्मों के सम्बन्ध में बता सकता हूं कि उनके बनाने वालों का कहना है कि इस पर १०० प्रतिशत कर है । अतः माननीय मंत्री उनकी सहायता के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें ।

जहां तक जीवन बीमा निगम का सम्बन्ध है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ सावधानी अवश्य बरतेंगे । हमें इसका कारबार आगे बढ़ाना चाहिए ।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों में बड़ा असन्तोष है । उनका विचार है कि उनकी वरिष्ठता की उपेक्षा की गयी है । आशा है माननीय मंत्री कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

अन्त में, मैं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं नहीं जानता कि उन्होंने अपना प्रतिवेदन इतनी जल्दी क्यों दे दिया । हमें इस बात पर विचार करना होगा कि वास्तव में महालेखा-परीक्षक के वास्तविक अधिकार क्या हैं । इस सम्बन्ध में हमें विधान बनाने की बात पर भी विचार करना चाहिए । प्रतिरक्षा सेवा, १९६०, लेखा-परीक्षण प्रतिवेदन में महालेखा परीक्षक द्वारा कही गयी कुछ बातें बड़ी गम्भीर हैं । मुझे आशा है कि संसद् इस मामले पर ध्यान रखेगी ।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की कर-व्यवस्था उस देश की सरकार की नीति का दर्पण होती है । यदि हम अपने देश की कर-व्यवस्था की जांच करें, तो यह पता लगेगा कि पिछले दस बारह सालों में लगातार हमारे कर का ढांचा प्रत्यक्ष-करों से हट कर अप्रत्यक्ष-करों की तरफ़ जाता रहा है । बात बहुत की जाती है कि पिछले दो तीन सालों में हम ने कुछ प्रत्यक्ष कर लगाये हैं, लेकिन उन प्रत्यक्ष करों से हमें जो धन मिला है, उस की तरफ़ अगर हम ध्यान दें, तो पता लगेगा कि जो प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं, उनका कुछ महत्व नहीं है । दूसरी तरफ़ जो अप्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं, वे लगातार हमें अधिक से अधिक पैसा देते रहे हैं और इस साल के बजट में भी जो कर हमें पैसा देने जा रहे हैं, वे सभी प्रत्यक्ष कर हैं । अप्रत्यक्ष कर निश्चित रूप से जनता पर पड़ने वाले कर हैं और प्रत्यक्ष कर वे ही देंगे, जिनके पास सामर्थ्य होगी कुछ देने की ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहब अगली दफ़ा अपना भाषण जारी रखें । अब सभा गैर सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी ।

वेतन की अधिकतम सीमा (गैर सरकारी क्षेत्र में) विधेयक

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू और काश्मीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गैर-सरकारी नौकरियों में वेतनों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि गैर-सरकारी नौकरियों में वेतनों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये "।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अ० मु० तारिक :** मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनीतिक गति विधिपर प्रतिबन्ध) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा १ अप्रैल, १९६० को श्री नागी रेड्डी द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि कैथोलिक चर्चों के राजनीतिक प्रयोजनों के लिए काम में लाने तथा कैथोलिक चर्च के पादरियों के राजनीतिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री इगनेस बेक** (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस के कई कारण हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य कैथोलिक चर्च के पादरियों की राजनीतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध लगाना बताया गया है। यह विधेयक केरल के चुनावों के हाल ही बाद पेश किया गया है। चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी को करारी हार हुई है। शायद इसके लिए वे कैथोलिक पादरियों को जिम्मेदार मानते हैं ।

लेकिन कैथोलिक चर्च एक विश्वव्यापी संगठन है, और उसका उद्देश्य भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वह एक सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करता है और उसका उद्देश्य ईश्वर और मानवों का आध्यात्मिक सम्बन्ध ही है। दूसरी ओर कम्युनिस्ट हैं जो ईश्वर की सत्ता का राजनीति में कोई भी प्रवेश स्वीकार नहीं करते।

कम्युनिस्ट भाई इसे राजनीतिक समस्या मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह राजनीतिक नहीं है। अपने संगठन के धार्मिक उद्देश्यों और आदर्शों की रक्षा करना कैथोलिक चर्च का धार्मिक कर्त्तव्य है। इसी दृष्टि से पादरी संघ ने अपने अनुयायियों को कम्युनिस्टों का समर्थन न करने का परामर्श दिया था।

वह राजनीति में भाग लेना नहीं था। कैथोलिक चर्च के नियमों के अनुसार भी पादरी लोग राजनीति में भाग नहीं ले सकते। वैसे व्यक्तिगत रूप से विश्व भर में कैथोलिक लोगों को पूरी आजादी है अपनी पसन्द के राजनीतिक दल के सदस्य बनने की। श्री मणियंगाडन कांग्रेस के सदस्य हैं, और मैं झारखण्डी दल का सदस्य हूं। हम दोनों ही कैथोलिक हैं। लेकिन हम किसी ऐसी अनीश्वरवादी, शुद्ध भौतिकतावादी, क्रान्तिकारी पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते, जो कैथोलिक चर्च के आदर्शों और उद्देश्य से पूरी तौर पर विमुख हो। इसीलिए कैथोलिक लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने से रोका जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इगनेस बेक]

लेकिन कैथोलिक चर्च के पादरी संघ के अधिकारीगण किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते । हां, नागरिक अधिकार उनके भी होते हैं, और इसीलिए वे निजी तौर पर, व्यक्तिगत रूप में, किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत राय रख सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कैथोलिक लोग राष्ट्र विरोधी हैं, या सरकार की नीति के विरुद्ध चलते हैं । कम्युनिस्ट लोग जरा अपनी तरफ तो देखें । क्या भारत-चीन सीमांत के विवाद में उन्होंने राष्ट्र-विरोधी रुख नहीं अपनाया ।

कैथोलिकों को राष्ट्र-विरोधी सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि वे गर्भ-निरोध की सरकारी नीति के विरुद्ध हैं । यदि संयम और ब्रह्मचर्य के तरीके से अधिक बच्चे पैदा करने पर नियंत्रण किया जाये, तो हम उसके पक्ष में हैं । हम नहीं चाहते कि अंधाधुंध ढंग से बच्चे पैदा होते जायें । लेकिन हम कृत्रिम उपायों से गर्भ-निरोध के तरीकों को अनुचित मानते हैं ।

और, यह भी कहा गया है कि कैथोलिक पंडित नेहरू के खिलाफ़ बोलते रहे हैं । सभी कैथोलिक मानते हैं कि पंडित नेहरू ने एक महान् व्यक्ति हैं। लेकिन आखिर हैं तो वह व्यक्ति ही, ईश्वर तो नहीं । अन्य व्यक्ति उनसे असहमत भी हो सकते हैं । असहमत होने वाले व्यक्तियों को राष्ट्र-विरोधी तो नहीं कहा जा सकता । यह तर्क ग़लत है ।

साथ ही, मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में श्री नियोगी के प्रतिवेदन का बड़ा ढोल पीटा गया है । हर चीज़ के दो पहलू होते हैं । सचाई जानने के लिए हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए । श्री नियोगी ने प्रतिवेदन में धर्म-परिवर्तन को बड़ा बुरा बताया है, लेकिन अब उन्होंने स्वयं अपना धर्म-परिवर्तन कर दिया है, बौद्ध हो गये हैं ।

फादर मेंन्डोज़ा का दृष्टांत देकर कई बातें सिद्ध करने की कोशिश की गई है । फादर मैन्डोज़ा को पादरी संघ से निकाल दिया गया है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर वह पादरी संघ के विरुद्ध बोलेंगे ही ।

जहां तक विदेशी धन की बात है, वह तो आता है । लेकिन क्या कभी उसका दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो इसके प्रमाण दिये जायें ।

विदेशी धन आना तो कोई बुरी बात नहीं । सवाल तो यह है कि उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए । कैथोलिकों के पास जो विदेशी धन आता है वह शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों और पूर्तसंस्थाओं पर ही खर्च होता है । वह देश के हित में लगता है ।

कम्युनिस्ट सदस्यों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि कैथोलिक मिशन शिक्षा-पद्धति के नियत्रंण को बड़ा महत्व देते हैं । यह सही है । इसका कारण यह है कि वे शिक्षा के जरिये ईसाई धर्म के सिद्धान्तों की दीक्षा देना चाहते हैं, जिससे कि हर देश में ईश्वर के भक्त जन नेता पैदा हों ।

कम्युनिस्ट देशों में भी तो कम्युनिज्म के सिद्धान्तों से युवकों को दीक्षित करने के लिए शिक्षा का इतना ही कड़ा नियंत्रण किया जाता है । फिर, उन्हें आपत्ति क्यों ? इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं। ज्यादा अच्छा होता, यदि इसकी व्यवस्थायें मस्जिदों और मंदिरों पर भी लागू की जातीं। चर्च ने आरम्भ से ही हमारे देश की राजनीति का नियंत्रण करने की कोशि की है। धार्मिक संस्थाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करते की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पश्चिमी बंगाल में हमने मुस्लिम लीग का शासन देखा है। कैथोलिक चर्च से हमारे देश को और भी बड़ा खतरा इसलिए है कि वह एक विदेशी संस्था है।

१८५७ के ग़दर के समय, इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री ने कहा था कि समूचे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना हमारा कर्त्तव्य ही नहीं, हमारे अपने हित की बात भी है। लार्ड हैलीफैक्स ने एक बार कहा था कि ईसाई धर्म के प्रचार से हमारे साम्राज्य की नींव मज़बूत होगी। इससे उनका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अंग्रेज़ शासन-काल में इन मिशनरियों को राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसकी आवश्यकता तो देश स्वतंत्र होने के बाद ही पड़ी है।

इसका उदाहरण लीजिये। १९५२ में पूर्वी एशिया के चर्च सम्बन्धी अध्ययन सम्मेलन में, लखनऊ में, यह घोषित किया गया था कि चर्चों को यह स्वीकार करना चाहिए कि मुख्यतया राजनीतिक कार्यवाही के जरिये ही समाज के ढांचे में परिवर्तन होता है, इसलिए चर्च को सामाजिक न्याय के प्रतिष्ठापन के लिए राजनीतिक सक्रियता की आवश्यकता भी स्वीकार करनी चाहिए। और कलिमपोंग तथा काश्मीर में हम देख ही चुके हैं कि कितने मिशनरियों ने जासूसी का काम किया है। केरल में हमें इसका अनुभव हो चुका है कि रोमन कैथोलिक और प्रोस्टेटेंट दोनों ही किस तरह राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं।

चर्चों के जरिये हमारे देश में जनवरी १९५० से लेकर जून १९५४ तक २९,२७,३९,००० रुपये विदेशी धन के रूप में आये हैं।

इसलिए सरकार को इन से सावधान रहना चाहिए। ईसाई चर्चों को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। श्री इगनेस बेक ने कहा है कि कैथोलिकों को क्रांतिकारी सस्थाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं है। यूरोप का इतिहास इसका साक्षी है कि ईसाइयत के प्रचार के लिए कितना रक्त बहाया गया है। ईसाई धर्म को मानने वाले कुछ देश अब भी अन्य देशों का शोषण कर रहे हैं।

†**श्री वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस विधेयक पर तीन दृष्टियों से विचार किया जा सकता है।

सब से पहला प्रश्न तो यह है कि क्या धार्मिक स्थानों को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करने देना सिद्धान्त की दृष्टि से उचित है? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कैथोलिक चर्च ने राजनीतिक प्रचार के मामले में अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा अधिक हानिकारक आचरण किया है?

और तीसरा प्रश्न यह कि पूजा-स्थान की पवित्रता की परिभाषा क्या है?

सिद्धान्त की दृष्टि से यह बिलकुल उचित है कि धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाये रखने के लिए उनका इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हर नागरिक को अपनी पसन्द का धर्म मानने और धार्मिक स्थानों में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। साथ ही, हर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

नागरिक को अपनी पसन्द के राजनीतिक दल में शामिल होने का पूर्ण अधिकार है। संविधान ने हर नागरिक को ये दोनों मूलभूत अधिकार दिये हैं। लेकिन इन अधिकारों के प्रयोग के स्थान भी भिन्न-भिन्न हैं।

राजनीतिक प्रचार का मंच बनाने से, पूजा के स्थान को पवित्रता नष्ट होती है। इसलिए गृह-कार्य मंत्री यदि देश में शान्ति बनाये रखना चाहते हैं और सुचारु प्रशासन चाहते हैं, जनता के सभी भागों में सामंजस्य चाहते हैं, तो उन्हें स्वयं एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए जिसके जरिये पूजा और प्रार्थना के स्थानों को राजनोतिक प्रचार के लिए प्रयुक्त करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

पिछले सौ साल का हमारा इतिहास इसका साक्षी है कि राजनोतिक हितों को साधने के लिए पूजा और प्रार्थना के स्थानों को राजनोतिक प्रचार के लिए किस बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया है। उनको विभिन्न दलों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसलिए, माननीय गृह-कार्य मंत्री को इस विधेयक का सिद्धान्त स्वोकार करना चाहिए।

यह विधेयक बड़ी जल्दबाजी में तैयार किया गया है। इसमें दी गई परिभाषायें बड़ी ढीली-ढाली हैं। चर्च परिसर में कब्रिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। इसी तरह राजनीतिक गतिविधि की परिभाषा कुछ ऐसी है कि किसी भी कार्यवाही को राजनीतिक माना जा सकता है। व्यक्ति के राजनीतिक रूप और धार्मिक रूप में कोई विभेद नहीं रखा गया है। साथ ही, इस विधेयक में केवल कैथोलिक चर्च को क्यों लिया गया है, अन्य धार्मिक सस्थाओं को क्यों नहीं ? कैथोलिक चर्च ने कुछ बड़े अच्छे काम भी किये हैं। कुछ पादरी बड़े सराहनीय हैं। वे आखिर हैं तो भारतीय नागरिक ही।

इसलिए श्री विठ्ठलराव को यह विधेयक वापस लेकर, एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें इसके मूलभूत सिद्धान्तों का विस्तार हो।

†**श्री केशव** (बंगलौर नगर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इस विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि कैथोलिक चर्च और पादरी संघ राजनीतिक कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। लेकिन यह नहीं बताया गया कि वे राजनीतिक कार्यवाहियां हैं क्या। प्रस्तावक को किन कार्यवाहियों से शिकायत है, यह स्पष्ट नहीं होता। कैथोलिक चर्च तो इस देश में सैकड़ों साल से मौजूद हैं। असल में इस विधेयक का मूल कारण चुनाव है।

भारतीयों के रक्त-मांस में धर्म रमा हुआ है। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है, इस विधेयक का आधारभूत सिद्धान्त बड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन इसे प्रस्तुत करने के लिए बड़ा गलत समय चुना गया है। केरल के चुनावों के हाल ही बाद इसे प्रस्तुत किया गया है।

†**श्री नारायणन कुट्टि मेनन** : (मुकुन्दपुरम्) : यह विधेयक केरल के चुनावों के पहले पुरःस्थापित किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री केशव** : केरल के चुनावों को आते देख कर ही । केरल में कैथोलिकों के रवैये को देखकर ही इसका पुरःस्थापन किया गया था ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद २५ ने सभी के लिए पर्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था कर दी है । किसी विधान द्वारा उस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं ।

अनुच्छेद के दूसरे भाग में यह भी कहा गया है कि धार्मिक आचरण के नाम पर कोई आपत्तिजनक कार्यवाही, अवैध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी । यदि कैथोलिक इसका उल्लंघन करेगा, तो मैं इस विधेयक का समर्थन करने वाला पहला व्यक्ति होंऊगा । लेकिन चुनावों के दौरान में ऐसी सभी आपत्तिजनक कार्यवाहियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में पूरी-पूरी व्यवस्था की गई है । उसके लिए याचिका दी जा सकती है और चुनाव अवैध घोषित कराया जा सकता है । इसलिए इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं ।

इसलिए माननीय प्रस्तावक को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए ।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुज़ा) : मैं इस विधेयक के बारे में एक यह ग़लतफ़हमी भी दूर कर देना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य कैथोलिक चर्च पर अलग से कोई आक्षेप करना है ।

हम पूर्ण धार्मिक स्वतत्रता के पक्ष में हैं । हर व्यक्ति को, कैथोलिकों को भी, अपनी पसन्द का धर्म मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

उसमें हस्तक्षेप का प्रश्न तो तभी खड़ा होता है जबकि धर्म राजनीति में दखल देने की कोशिश करता है । हम विरोध इस बात का करते हैं कि धर्म एक संगठित रूप में राजनोतिक झगड़े में उतरे और उसका नियंत्रण करने की कोशिश करे । धर्म को यह शक्ति नहीं देनी चाहिए कि वह राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को आदेश दे सके ।

इस विधेयक में नाम लेकर कैथोलिकों का उल्लेख इसी लिये किया गया है कि हमारे देश में कैथोलिक चर्च ही एक ऐसा संगठित धर्म है जो राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेता है । कैथोलिक पादरी कहते हैं कि कैथोलिकों को अमुक राजनीतिक दलों में शामिल नहीं होना चाहिये । चुनावों में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक दल विशेष को मत न दिये जायें ।

इसका हमारी धर्म-निरपेक्ष लोकतांत्रिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यदि सभी धर्म आदेश देने लगें कि किस दल को मत दिये जायें और किसे नहीं, तो हमारा धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र कहां रहेगा ?

मैं स्वयं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, पर मैं धर्म का सम्मान इसलिये करता हूं कि करोड़ों व्यक्ति उसमें आस्था रखते हैं । मुझे उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिये ।

चर्च के अपने अधिकार हैं । मैं उनको प्रतिबन्धित नहीं करना चाहता । लेकिन जब वह अपने अनुयायियों को एक निश्चित राजनोतिक दृष्टिकोण अपनाने के लिये कहता है, तब वह निश्चय ही हमारे संविधान को भावना का उल्लंघन करता है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट व्यवस्था है कि ईश्वरीय कोप का भय दिखाकर जनता पर राजनीतिक प्रभाव डालना अवैध है, अपराध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम्) : तब फिर इस विधेयक की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री पुन्नूस** : क्या उनका मतलब यह है कि कैथोलिक पादरी इस ढंग से, इतनी चतुराई से, काम करते हैं कि उन्हें पकड़ना कठिन है ? मैं मानता हूं। एक बार त्रावनकोर-कोचीन या केरल में कैथोलिक पादरियों ने कांग्रेसी गुट का साथ दिया था।

श्री मणियंगाडन ने श्री नारायणन् कुट्टि मेनन से पूछा था कि कैथोलिक आर्कबिशप को यह पता कैसे चलेगा कि अमुक कैथोलिक ने अमुक दल के लिये मतदान किया है। स्पष्ट है कि पादरी उनसे स्वीकारोक्ति के लिये कह सकते हैं। और जब पोप का आदेश एक दल विशेष को मतदान करने का होगा, तब कैथोलिक लोग स्वयं ही पादरी के सामने जाकर स्वीकार करेंगे कि उन्होंने किसे मत दिया है। यदि उसने किसी दूसरे दल को मत दिया हो, तो उसे बहिष्कृत किया जा सकता है। फिर भी माननीय सदस्य पूछते हैं कि अलग से विधेयक रखने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने पूछा है कि क्या कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे सदस्य को निकाल नहीं देगी जिसने विरोधी पार्टी को वोट दिया हो ? ठीक है। लेकिन कैथोलिक चर्च तो एक धार्मिक संस्था है, राजनीतिक दल तो नहीं। कैथोलिक अपने दोनों हाथों में लड्डु चाहते हैं। उनको धार्मिक सस्थाओं की सुविधायें भी रहें और राजनीतिक संस्थाओं के अधिकार भी।

हम यही नहीं चाहते। संगठित धार्मिक संस्थाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। कैथोलिक आज कांग्रेस के पक्ष में गये हैं, कल स्वतंत्र पार्टी के पक्ष में भी जा सकते हैं। अंग्रेज़ शासन काल में संगठित धर्म ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। कुछ छिट पुट ईसाई नेता और कुछ समूह राष्ट्रवादी थे, लेकिन संगठित धार्मिक संस्था अंग्रेज़ शासन के पक्ष में ही थी।

इसलिये लोगों को इस ग़लतफहमी में नहीं पड़ना चाहिये कि कम्युनिस्ट पार्टी कैथोलिक विरोधी है। हम तो धर्म-निरपेक्ष लोकतंत्र की रक्षा करने के उद्देश्य से ही यह विधेयक रख रहे हैं।

यहां यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि चर्च से बहिकृत होने का मतलब हो जाता है समाज से बहिकृत होना। यह सर्वथा अनुचित है। इसे रोकना ही देश और लोकतंत्र के हित में है।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस बिल की भावना का स्वागत करता हूं। मैं नहीं समझता कि कोई भी धार्मिक गिरोह या ग्रूप किसी तरह से, संगठित रूप में राजनीति में हिस्सा ले सकता है, खास तौर से एक ऐसे देश में जिस देश की राजनीति साफ तौर से सेकुलर या धर्म निरपेक्ष कही जाती है। मैं अकेले कैथोलिक चर्च के सम्बन्ध में ही कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जब मैं इस बिल की भावना का स्वागत करता हूं तो मेरा यह मतलब है कि किसी भी धर्म को संगठित रूप से राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये, और इस का एक स्वभाविक परिणाम यह होगा कि जो धार्मिक पूजा के स्थान हैं, उन पूजा के स्थानों को राजनीतिक कार्यों के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। यदि कैथोलिक चर्च भी धार्मिक पूजा के स्थानों को इस्तेमाल करता है किसी राजनीतिक काम में तो फिर वह भी एक ऐसी चीज है जिस की आज्ञा नहीं दी जा सकती। मुझ को जान कर आश्चर्य होता है कि कैथोलिक चर्च में सम्भवत : अब भी ऐसा है कि यदि पोप चाहें कि किसी देश में किस व्यक्ति को वोट दिया जाये तो वह इस तरह के आदेश दे सकते हैं और उस आदेश के बारे में यह अपेक्षा की जाती है कि कैथोलिक चर्च को मानने

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वाले उस को मानेंगे। यह साफ तौर से हमारे अन्दरूनी मामलों में एक तरह का दखल है और इस तरह के दखल को कोई भी स्वतंत्र राष्ट्र बर्दाश्त नहीं कर सकता।

इस के कतई यह माने नहीं हैं कि मैं किसी दूसरे धर्म के लिये यह कहूंगा कि उन की पूजा के जो स्थान हैं उन को इस्तेमाल राजनीतिक कार्यों के लिये हो सकता है। हमें मालूम है कि देश का बटवारा भी कुछ इसी भावना के कारण हुआ कि एक धर्म की पूजा के स्थान राजनीतिक कार्यों के लिये इस्तेमाल हो रहे थे। सन् १९४७ का हिन्दुस्तान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक धर्म के लोगों ने अपनी पूजा के स्थानों में तरह-तरह की मीटिंगें कीं और वहां पर इस तरह के संस्थान बने जिन के लोग इस बात की मांग करते थे कि हिन्दुस्तान का बटवारा किया जाना चाहिये। यदि पूजा के स्थानों का राजनीतिक प्रयोग होने के कारण देश की इतनी हानि हो सकती है, इतना घातक परिणाम हुआ है, तो मुझे खतरा है कि भविष्य में भी यदि किसी पूजा के स्थान को राजनीतिक कार्यों के लिये कोई गिरोह प्रयोग करता है तो उस का नतीजा अच्छा होने वाला नहीं है। जब मैं यह बात कहता हूं तो मेरा ध्यान सिर्फ केरल की तरफ नहीं है। केरल में कैथोलिक चर्चा के मानने वालों ने किसी को वोट दिया, इस से भी मुझे मतलब नहीं है और न मैं समझता हूं कि इस से किसी को कोई मतलब होना चाहिये। लेकिन हमें इस से मतलब जरूर होगा कि यदि हमारे देश के बड़े हिस्सों में विचार स्वातन्त्रय के नाम पर और किसी धर्म के नाम पर यह मांग की जाय कि हम अलग होना चाहते हैं इस देश से, इस राष्ट्र से अलग हो कर कोई नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही खतरनाक बात होगी। मैं इशारे के तौर पर कहना चाहूंगा कि नागलैंड की जो मांग को जा रही है, उस के पीछे भी यही भावना है। इस लिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे, सिर्फ कैथोलिक चर्च के लिये नहीं, चाहे हिन्दुओं के पूजा के स्थान हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे बुद्धिस्ट्स के हों, चाहे सिखों के हों, चाहे जैनियों के हों, किसी भी धर्म के मानने वालों के जो पूजा के स्थान हैं, उन का प्रयोग केवल पूजा के लिये ही किया जाना चाहिये।

मैं जानता हूं कि जो अल्प मत में होते हैं उन्हें कुछ खतरे हुआ करते हैं। वह हमेशा सोचते हैं कि उनके धर्म को कोई नुक्सान न पहुंच जाय, इस लिये वे विशेष सुविधायें चाहते हैं। मैं यह बात चाहूंगा और कहूंगा कि यदि किसी तरह की विशेष सुविधाओं की जरूरत है अल्पमत वालों को, चाहे कैथोलिक चर्च हों, चाहे मुसलिम हों, चाहे बुद्धिस्ट्स हों, चाहे जैन हों, चाहे कोई हो, उन सब को विशेष सुविधायें दी जानी चाहियें। इस बात की गारेन्टी जरूर की जानी चाहिये कि जहां तक उन के धार्मिक कार्यकलापों का ताल्लुक है, उन्हें पूरी आजादी है और उस में कोई भी दखल नहीं दे सकता। लेकिन किसी पूजा के स्थान में कोई गुप्त मीटिंग हों, कोई गुप्त सभायें की जायें जो कि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हों तो उन से हमेशा राष्ट्र के लिये खतरा हुआ करता है। मुझे भय है कि जैसे भूतकाल में हुआ वैसे ही भविष्य में भी हो सकता है वर्तमान में भी हो सकता है यदि जो पूजा के स्थान हैं उनमें गुप्त मीटिंग्स और राजनैतिक मीटिंग्स करने की इजाजत दी जाती है। अब एलेक्शन के टाइम यह आर्डर दिया जा सकता है आज्ञा प्रसारित की जा सकती है कि वे अमुक लोगों और पार्टी के उम्मीदवारों को वोट न दें तो में इस तरह की आज्ञा को गलत मानता हूं यदि रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा केरल के उम्मीदवारों को ऐसी आज्ञायें दी गई हैं तो उसको अनुचित समझता हूं यह लोकतांत्रिक प्रजातन्त्र के अनुरूप नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान ने हर एक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया हुआ है कि वह अपने मत का स्वतंत्रतापूर्वक और बगैर किसी दबाव के उपयोग करे। मैं जब यह कहता हूं तो इसका यह अर्थ न लगाया जाय

[श्री ब्रजराज सिंह]

कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कोई प्रशंसक हूं। मैं तो चाहता हूं कि हिन्दुस्तान से कम्युनिज्म खत्म हो जाय लेकिन कम्युनिज्म को खत्म करने का यह तरीका नहीं है कि कैथोलिक चर्च लोगों को यह आदेश दे कि वे कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में मत न दें और इसके लिए उन पर तरह-तरह के दबाव डालें। कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करने के लिए हमको देशव्यापी प्रचार करना होगा और जनता को शिक्षित करना होगा कि किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी हमारे देश के हित में नहीं है और इस तरह जनमत को उसके विरुद्ध करना होगा। लेकिन रोम कैथोलिक चर्च ने जो इस तरह की आज्ञा निकाली और एलेक्शन के समय वोटरों पर और तरह-तरह के दबाव डाले जिससे कि वे कम्युनिस्ट पार्टी को वोट न कर सकें तो यह आपत्तिजनक बात है और इस तरह की आपत्तिजनक चीज को कम से कम आज के हिन्दुस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान ने हर एक आदमी को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करे और हर एक देशवासी को नागरिक स्वतंत्रता दी गई है। अब इस मुल्क में यदि कोई घोषणा करे कि अमुक शख्स ट्रेटर है, गद्दार है तो उस से तो हम भुगतेंगे लेकिन इस तरह कि हम जनता को यह अधिकार देंगे कि वह उस गद्दार से भुगत ले। आज यही बात हो रही है। कुछ लोग हमारे मुल्क में हैं जो कि चीन द्वारा हमारी सीमाओं पर जो अतिक्रमण हुए हैं और आक्रमण किये जा रहे हैं उनको वे आक्रमण नहीं समझते हैं। अब ऐसे लोगों से मुल्क भुगतने के लिए तैयार है लेकिन वोटरों पर इस परह से दबाव डालना और उनको आज्ञा देना कि वे कम्युनिस्ट पार्टी को वोट न करें गलत चीज होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक किसी धार्मिक स्थान को किन्हीं राजनैतिक कार्यों के लिए प्रयोग करने का सवाल है उस पर रोक लगनी चाहिए। अब वह रोक किस तरह लगाई जाय यह विवरण की बात है। मैं नहीं समझता कि वह इस बिल के द्वारा लगाई जा सकती है लेकिन जहां तक कि इस बिल की भावना का सम्बन्ध है वह सही है और उस भावन का आदर और स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार को यह विचार करना चाहिए कि क्या अब समय नहीं आ गया है जब कि किसी पूजा के स्थान को राजनैतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लग दी जाय। मैं चाहता हूं कि सरकार रोमन कैथोलिक चर्च के सम्बन्ध में और दूसरे जो धार्मिक स्थान हो सकते हैं उन के बारे में गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करके कोई उपयुक्त कानून लायेगी।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पीछे भावना तो बड़ी मजबूत दिखाई देती है लेकिन जरा इस बात के ऊपर गौर किया जाय कि किस तारीख को श्री विट्ठल राव ने इस बिल को भेजा है। १३ जुलाई सन् १९५९ को उन्होंने यह बिल भेजा था तो क्या इससे पहले उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का ज्ञान ही नहीं हुआ था? उन्हें यह बिल भेजने की तब आवश्यकता महसूस हुई जब विमोचन समिति ने वहां पर कम्युनिस्ट राज्य को हटाने के लिए सत्याग्रह किया, कम्युनिस्ट सरकार को हटाने के लिए जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो उन्हें शायद इस बात का ज्ञान हुआ कि यह खतरनाक है। अब अगर इस देश के मायने सिर्फ केरल स्टेट है तो उन्होंने जो यह रोमन कैथोलिक चर्च पर प्रतिबन्ध लगाने की बात कही है वह समझ में आ सकती है लेकिन यह केवल एक रोमन कैथोलिक चर्च का ही मामला नहीं है बल्कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस देश में धर्म के नाम पर कितना बावेला हुआ है। खास तौर से जिस प्रदेश से आप और हम आते हैं वहां धर्म के नाम पर काफी बावेला हुआ है। इसी धर्म के नाम पर हमारे यहां एक दफा १०,००० आदमी जेल चले गये और दूसरी दफा फिर १०,००० आदमी इस धर्म के नाम पर जेल गये। श्री ब्रजराज सिंह ने ठीक ही कहा कि मस्जिदों का इस्तेमाल

राजनैतिक कार्यों के वास्ते किया गया और आखिर में धर्म के नाम पर ही इस देश का बंटवारा हुआ। इसलिए यह कोई नई बात नहीं थी।

दूसरी बात यह कही गई कि अमरीका से पैसा आता है तो पैसा तो यहां कई जगह से आता है और अपने अपने खयालात को बढ़ावा देने के लिए आता है। कोई मजहब के खयालात को बढ़ावा देने के लिए आता है तो कोई खास पोलीटिकल खयालात को बढ़ावा देने के लिए आता है। अब मेरी राय में जो पोलीटिकल खयालात को बढ़ावा देने के लिए रुपया देश में आता है वह अवश्य खतरनाक है क्योंकि उससे देश की इंटैगरिटी को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अब बाकी रही यह बात कि धर्म स्थानों का या धर्म संस्थाओं को गलत रूप में या राजनैतिक कार्यों के वास्ते इस्तेमाल करने की कोशिश की गई हो और उनको पिछले १२, १३ साल में रोकने की कोशिश न की गई हो जैसा कि इस बिल के प्रस्तावक महोदय की मंशा है तो वह समझ में आ सकती है और उस हालत में इस तरह के बिल लाने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है और धर्म संस्था के बाहर जो लोग जाते थे उनको गिरफ्तार किया जाता था क्योंकि वह केवल एक धार्मिक संगठन था। मुझे याद है और आप भी जानते हैं कि कितने पादरी ऐसे हैं जिनको कि पिछली दफा जेल के अन्दर नजरबंद रखा गया था क्योंकि उनके बारे में सरकार का खयाल था कि वह देश की इंटैगरिटी की मुखालफत करते हैं। सरकार ने इस बात का सदैव ध्यान रखा है कि अगर कोई धार्मिक संस्था देश के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो उस पर रोक लगाई गई है और उसका इंतजाम किया गया है। अब मैं समझता हूं कि हमारे कम्युनिस्ट भाइयों की इस रेजोलूशन लाने के पीछे जो भावना है वह किसी कदर समझ में भले ही आ जाये लेकिन उनका वह गलत बावैला है और उसकी पर्वाह नहीं करनी चाहिए। उनकी मंशा इस तरह का बावैला करने से यह भी है कि वहां पर लोग जो कि रोमन कैथोलिक के हक में हैं उनको अपने हक में करें। मैं समझता हूं कि कोई भी धर्म इस तरह से कर नहीं सकता और न ही किया होगा। हां जिस तरह से हम स्वतंत्रतापूर्वक राय दे सकते हैं और अपने पक्ष का जनता में प्रचार कर सकते हैं उसी तरह से दूसरे मत वाले भी अपने लिए प्रचार कर सकते हैं और रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को भी यह स्वतंत्रता है कि वे अपनी राय प्रकट करें और जनता में उसका प्रचार करें। इसी तरह कोई आर्य समाज का लीडर अथवा मास्टर तारासिंह भी अपनी अपनी राय आजादी के साथ जनता के सामने प्रकट कर सकते हैं और इस देश में आप जानते हैं कि राजनैतिक संस्थाएं तो चुनाव लड़ती ही हैं लेकिन हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद और मुस्लिम लीग सरीखी कम्युनल और धार्मिक संस्थाएं भी राजनीति में हिस्सा लेती हैं और चुनाव लड़ती हैं। जहां तक इस बिल के पीछे यह भावना है कि धार्मिक स्थानों व संस्थाओं का राजनैतिक कार्यों के लिए प्रयोग न किया जाय, यह भावना तो अच्छी है लेकिन भावना के पीछे जो जड़ है वह अच्छी नहीं है और वह एक सियासी नुक्तेनिगाह से यह मांग की जा रही है कि रोमन कैथोलिक चर्च पर प्रतिबंध लगाया जाय क्योंकि हमारे दोस्तों को इसका भय है कि कहीं जो बचाखुचा जनमत है और जो कि अभी भी केरल में उनके साथ है वह भी आगे चल कर उनसे विमुख न हो जाय।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक तो यह है कि यूनाइटड स्टेट्स आफ अमरीका का प्रेसीडेंट रोमन कैथोलिक नहीं हो सकता हालांकि वहां पर ईसाइयों की तादाद ९९ प्रतिशत है। इसी तरह इंग्लैंड का कोई राजा अथवा रानी रोमन कैथोलिक नहीं हो सकते . . . . . .

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : सारे के सारे प्रोटैस्टेंट्स हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : आप मेरी ही बात का यह कह कर समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए मुझे बीच में टोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इंग्लैंड में यह परम्परा हो गई है कि इंग्लैंड के तख्त पर सिंहासन पर वही शख्स बैठ सकता है जो कि रोमन कैथोलिक न हो। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में भी यह कानून है कि कोई रोमन कैथोलिक वहां का प्रेसीडेंट नहीं हो सकता। यदि आप नवीं शताब्दी से लेकर अट्ठारहवीं शताब्दी के योरप और वैस्ट का इतिहास देखेंगे तो आप पायेंगे कि वह सारा इतिहास रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स इन दोनों के संघर्ष का इतिहास है और एक रक्तमय इतिहास है। यह संघर्ष इस कारण हुआ कि रोमन कैथोलिक विश्वास करते हैं कि इस दुनिया में किसी दूसरे धर्म के लिए स्थान नहीं है। उनके उदार विचार नहीं हैं और वे समझते हैं कि जब तक मनष्य बाइबिल पर विश्वास नहीं करता चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो कितना भी सात्विक क्यों न हो और कितना भी सच्चा क्यों न हो, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। यूरोप में इसी कारण इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ। आज हम देखते हैं कि यही कारण है कि अमरीका में प्रोटेस्टेंट्स हैं। रोमन कैथोलिक के साथ प्रोटेस्टेंट्स नहीं रहना चाहते थे उन्होंने यूरोप को छोड़ दिया और जाकर अमरीका आबाद किया, आस्ट्रेलिया आबाद किया और साउथ अफ्रीका आबाद किया। मैं एक नया उदाहरण देता हूं। आस्ट्रेलिया में कानून बनाया गया है कि एजूकेशन सिक्यूलर होगा। उनका कानून है कि किसी धार्मिक संस्था को शिक्षा के लिए कोई सहायता नहीं देंगे, चाहे वह रोमन कैथोलिक हों, या प्रोटेस्टेंट हों या कोई और हों, क्योंकि धर्म और राजनीति का स्थान अलग अलग है। हिन्दुस्तान में भी धर्म का स्थान अलग है और राजनीति का स्थान अलग है। जब भी यहां धर्म और राजनीति को मिलाने का प्रयास किया जायेगा तो यहां पार्टीशन की स्थिति पैदा हो जायेगी जो कि पहले भी पैदा हो चुकी है।

रोमन कैथोलिकों का एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एशिया में आजादी के पश्चात् आप देखें कि बर्मा में केरन एरिया में और हिन्दुस्तान में नागा क्षेत्र में रोमन कैथोलिक लोग अधिक संख्या में हैं। उसका परिणाम यह है कि बर्मा में आज केरन विद्रोह हो रहा है। वह कहते हैं कि उनका अलग राज्य होना चाहिए। इस कारण उनका बर्मा के लोगों के साथ संघर्ष चल रहा है। अभी चार पांच रोज की बात है कि शायद बर्मा के प्रधान मंत्री श्री ऊ ने एक भाषण में कहा है कि हम लोग यह सोच रहे हैं कि बर्मा को बुद्धिस्ट स्टेट बना दें। थाईलैंड ने अपनी स्टेट को बुद्धिस्ट डिकलेअर कर दिया। आज बर्मा भी यही सोच रहा है क्योंकि उसके सामने केरन लोगों की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसी तरह से आज हिन्दुस्तान में भी नागा एरिया की समस्या है। खैर इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो इस बिल की स्प्रिट है वह बहुत अच्छी है।

अभी हमारी श्रीमती उमा नेहरू माता जी ने मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया। जब जापान और रूस का युद्ध चल रहा था उस समय वहां धर्म राजनीति का सहायक हो रहा था। वहां के धार्मिक नेताओं ने कहा कि जो बुद्ध की प्रतिमाएं तांबे की बनी हैं उनकी धातु की तोपें बनायी जायें और जो मूर्तियां सोने की बनी है उनका सोना लड़ाई के लिए खर्च किया जाये। यह वहां इसलिए हो सका कि धर्म राजनीति में सहायक था। ऐसी स्थिति में देश की उन्नति होती है। लेकिन जहां धर्म राजनीति को नीचा दिखाना चाहता है, जैसा कि केरन एरिया में हो रहा है या जैसा कि नागा एरिया में हो रहा है, तो उससे हमको सावधान हो जाना चाहिए। हमारी सिक्यूलर स्टेट है। हमने यह बात अपने संविधान में कही है कि सब लोग बराबर हैं,

सिक्यूलर स्टेट का अर्थ है कि धर्म का स्थान धर्म की जगह है और राजनीति का स्थान राजनीति की जगह है। जब दोनों को मिलाने की कोशिश की जाती है तो संघर्ष पैदा होता है। मैं तो कहता हूं कि कोई धर्म स्थान, चाहे वह मन्दिर हो या मल्जिद हो या चर्च हो, वहां बैठ कर राजनीति की बातें नहीं की जानी चाहिए। धर्म के स्थानों में बैठकर सियासत की बात करना बिल्कुल अनुचित है और सिक्यूलर स्टेट में यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आस्ट्रेलिया ने जो उदाहरण हमारे सामने रखा है उससे हमको सबक लेना चाहिए और इसी प्रकार का प्रावीजन अपने कांस्टीट्यूशन में भी करना चाहिए कि चाहे कोई धार्मिक संस्था हो उसको अपने धार्मिक स्थानों में राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री मू० चं० जैन : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम यह कि इस विधेयक की शब्दावली बहुत त्रुटिपूर्ण है विधेयक के खंडों में जो परिभाषायें दी गई हैं वे अस्पष्ट और द्विविधात्मक हैं।

दूसरा कारण यह है कि यह विधेयक पक्षपातपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा केवल ईसाई धर्म पर, चर्चों का राजनैतिक कार्यों के लिए दुरुपयोग करने पर रोक लगाई गई है। अन्य धर्मों को इस में स्पर्श नहीं किया गया है। वस्तुतः सभी धर्म अपनी धार्मिक संस्थाओं और उपासना-गृहों का राजनैतिक मंच के रूप में प्रयोग करते हैं। सिख गुरुद्वाराओं का हिन्दू मन्दिरों का तथा मुसलमान मस्जिदों का इस कार्य के लिए उपयोग करते हैं। अतः उन पर रोक लगाई जानी चाहिए थी।

तीसरे यह कि इस विधेयक के द्वारा खण्ड ३ के उपखण्ड (२) के द्वारा गिर्जे के कई अधिकारियों यथा कार्डिनल, आर्कविशप, विशप इत्यादि पर राजनैतिक कार्यों में भाग लेने पर पाबन्दी लगा दी गई है। मेरे विचार से यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है।

इसके अलावा उक्त संस्थाओं का राजनैतिक कार्यों के लिए उपयोग करने पर सरकार से प्रतिबन्ध लगाने को कहा गया है। मेरे विचार से यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम जनमत को इस बात के लिए तैयार करें कि पवित्र स्थानों का ऐसे कार्यों के लिए दुरुपयोग न किया जाये। वस्तुतः यह दायित्व जनता के प्रतिनिधियों का है कि वे इस सम्बन्ध में जनता को उचित शिक्षा देवें।

अतः विधेयक के उद्देश्य से सहमत होते हुए भी मैं इस विधेयक का वरोध करता हूं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद २५(२) के अन्तर्गत किसी और विधान की आवश्यकता है ? अनुच्छेद २५ में दिया गया है कि सब व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा। उसका खण्ड (२) इस प्रकार है :

> "इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने में रुकावट न डालेगी जो—
>
> (क) धार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो;"

इसलिए अब प्रश्न यह है कि इस विधेयक में उल्लिखित कैथोलिक समुदाय ने क्या इसका उल्लंघन करते हुए ऐसे कुछ काम किये हैं कि संसद् उनकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने के लिए अलग से कोई विधान बनाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दातार]

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाइयों की संख्या ८०–८५ लाख है। उन में से लगभग आधे कैथोलिक है। अब प्रश्न यह है कि क्या भारत के ५० लाख रोमन कैथोलिकों ने कोई ऐसा अपराध किया है कि संसद् उनकी गतिविधियों को प्रतिबन्धित करने के लिए कोई विधान बनाये ?

इस विधेयक के प्रस्तावक ने अपने भाषण में केरल राज्य के कैथोलिकों के ही उदाहरण मुख्यतः पेश किये है। नैल्लोर ज़िले के पादरी के एक परिपत्र का उल्लेख ही केरल से बाहर का था।

अब अगर कुछ देर के लिए मान भी लिया जाये कि केरल के पिछले चुनावों में माननीय प्रस्तावक के हल को कैथोलिकों का थोड़ा भी समर्थन प्राप्त नहीं हो सका तो क्या इसका मतलब यह है कि समूचे देश के कैथोलिकों को ऐसे विधेयक की दण्डकारी व्यवस्थाओं के अधीन लाया जाये ? कैथोलिक लोग तो केरल से बाहर भी रहते हैं। सभी कैथोलिकों पर ऐसे प्रतिबन्ध लादना कहां तक उचित है ? क्या उन सभी ने ऐसा कोई काम किया है जो भारत के हितों के प्रतिकूल हो ? हमें इस प्रश्न पर पूरे देश के हित की दृष्टि से ही विचार करना पड़ेगा।

और व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए तो विभिन्न अधिनियमों की व्यवस्थायें मौजूद ही हैं। चुनावों के सिलसिले में यदि कोई प्रतिबन्ध किसी व्यक्ति पर लगाना आवश्यक हो तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। मैंने इस सम्बन्ध में कई विनिर्णय देखे हैं। उन में मुझे कई ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि यदि कोई मतदाता अपने अन्तः-करण से यह समझता है कि कोई उम्मीदवार ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो वह धर्म को बीच में ला सकता है, धर्म के नाम पर उस उम्मीदवार को मतदान न करने के लिए कहा जा सकता है। एक विनिर्णय में कहा गया है :

> "सभी प्रकार का धार्मिक या आध्यात्मिक प्रभाव अनुचित नहीं है। पादरी और पुजारी लोग अपने उचित प्रभाव का प्रयोग करते हुए, अपने धर्म-स्थानों में भी अपने अनुयायियों के सामने विभिन्न उम्मीदवारों की नीतियों के बारे में भाषण कर सकते हैं।
>
> "वे अनुयायियों को परामर्श दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं कि उनका नैतिक कर्त्तव्य क्या है, वे उन्हें समझा सकते हैं कि एक उम्मीदवार दूसरे की अपेक्षा क्यों अच्छा है।"

यह निर्णय उच्चन्यायालय का है। अन्य विनिर्णय भी हैं।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

मैं चाहता हूं कि माननीय प्रस्तावक इस विनिर्णय को भी देखें :

> "यदि पादरी लोग यह समझें कि किसी राजनीतिक दल विशेष में कुछ ऐसी बातें हैं, जो उनके चर्च, धर्म या पादरी संघ की भावना की एकदम विरोधी हैं, और उनसे उनके धर्म को खतरा है, तो वे अपने धर्म का उचित सम्मान बनाये रखने तथा उसकी प्रतिष्ठा के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकते हैं और अपने अनुयायियों

के सामने उचित शब्दों में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कि उस चलने वाली राजनीतिक होड़ में धर्म से सम्बन्धित कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण मसलों का सवाल भी पेश है।"

इसलिए हमें इस प्रश्न पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि क्या कैथोलिक चर्च की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने का समय आ गया है ? एक माननीय मित्र ने कैथोलिक चर्च के बड़े से बड़े धर्माधिकारियों के आदेशों और निदेशों के उद्धरण देकर बताया है कि संसार के सभी कैथोलिकों के राजनीतिक हितों और राज्य के मामलों से बिलकुल अलग रहना चाहिए; कभी भी, कई लोगों के अनुरोध पर भी, नागरिक कार्यों के प्रशासन में दखल नहीं देना चाहिए।

सिद्धान्ततः मैं मानता हूं कि पूजा-प्रार्थना के स्थानों में राजनीति मामलों जैसे विवादग्रस्त विषय पर बिलकुल भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाये कि ईसाई धर्म के मूल सिद्धान्तों, उसके जीवन-दर्शन का प्रश्न ही खड़ा हो जाये, तो ? माननीय मित्र की पार्टी का भी एक अपना जीवन-दर्शन है। कई कैथोलिकों का विचार है कि कम्युनिज्म की विचार-धारा जिस जीवन-दर्शन को लेकर चलती है, वह उनके राजनीतिक ही नहीं, धार्मिक हितों के भी विरुद्ध है, क्योंकि वह जीवन-दर्शन अन्तःकरण के विरुद्ध है।

अब प्रश्न यह है कि कैथोलिक ने किया क्या है ? जितने भी उदाहरण दिये गये हैं उनसे यही पता चलता है कि उन्होंने कुछ निदेश जारी किये हैं जिनमें कैथोलिकों को कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को वोट न देने के लिये कहा गया है। और चुनावों के बाद, उन्होंने निदेश जारी करके कम्युनिस्टों को वोट देने वालों को बहिष्कृत कर दिया या ऐसा ही कुछ किया है।

यह स्पष्ट है कि इन कैथोलिक पादरियों ने मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने के लिये नहीं कहा था। उन्होंने केवल इतना कहा था कि कम्युनिस्टों को वोट न दो।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** यह ग़लत है। त्रिवेन्द्रम के बिशप ने जिस पत्र में बहिष्कृत करने की बात कही है, उसमें कहा गया .....

†**श्री दातार :** मैं बता रहा हूं। माननीय सदस्य के अनुसार, उस आदेश में कहा गया था कि जिन कैथोलिकों ने आदेश का उल्लंघन किया है उन्हें बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

केरल के रोमन कैथोलिकों के सामने यही परिस्थिति थी। अभी हमें उसके राजनीतिक पहलू से सरोकार नहीं। अब प्रश्न यह है कि यदि कुछ रोमन कैथोलिकों का यह विश्वास हो कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कार्यवाहियां कर रही है और जिस विचारधारा का अनुसरण कर रही है वह उनके धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है, तो उन्हें उसका विरोध करना चाहिये या नहीं ? इस प्रश्न पर ठंडे दिल-दिमाग़ से विचार किया जाना चाहिये।

भारतीय संविधान ने हमें कुछ भूलभूत अधिकार प्रदान किये हैं। ये अधिकार काफी सोच-समझ कर रखे गये हैं।

यह सही है कि हमारा राज्य पूर्णतः धर्म-निरपेक्ष है। धर्म-निरपेक्षता का मतलब क्या है ? उसका सब से पहला मतलब यह है कि राज्य को सभी धर्मों, दलों या समुदायों के सदस्यों के प्रति समान भाव रखना चाहिये। किसी भी धर्म को ऊंचा या नीचा, या हीन या श्रेष्ठ नहीं समझा जाना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

चाहिये। हमारे देश में कई धर्म हैं। लेकिन सभी धर्मावलम्बियों के राजनीतिक या नागरिक अधिकार समान हैं।

श्री रघुनाथ सिंह ने कुछ अन्य देशों के कुछ उदाहरण दिये थे। हमारे देश में तो किसी भी लिंग, जाति या समुदाय या धर्म का अनुयायी राष्ट्रपति बन सकता है। धर्म-निरपेक्षता का यही सबसे बड़ा लाभ है।

धर्म-निरपेक्षता की दूसरी बड़ी शर्त यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इंगलैण्ड जैसे देशों की भांति, हमारा राज्य किसी भी एक धर्म को देश का संस्थापित धर्म नहीं मानता। उनकी भांति हम ऐसा कोई विभेद नहीं करते। मान्यता तो हम सभी धर्मों को देते हैं, लेकिन सरकार के प्रशासन का अपना कोई धर्म नहीं है।

इसी सिद्धान्त के अनुसार, हमारे धर्म-निरपेक्ष राज्य ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह अपनी पसंद के किसी भी धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। हमने इसी तरह धर्म की श्रेष्ठता या धार्मिक अपेक्षा के सिद्धान्त और धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त—इन दोनों सिद्धान्तों के बीच सामंजस्य स्थापित किया है।

ऐसी परिस्थिति में, किसी चर्च विशेष, या सामान्यतया रोमन कैथोलिकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये या नहीं? माननीय प्रस्तावक ने "राजनीतिक" शब्द की एक बड़ी भौंड़ी सी परिभाषा की है। उन्होंने सरकार के पक्ष या उसके विपक्ष को राजनीतिक माना है। क्या राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन के बीच विभेद की कोई रेखा खींची जा सकती है? धर्म की सामान्य धारणा है कि धर्म के उच्चतम सिद्धान्तों को हमारे पूरे जीवन पर लागू होना चाहिये। श्री नागी रेड्डी की शिकायत है कि रोमन कैथोलिक धर्म अपने अनुयायियों के समूचे—जन्म से मृत्यु पर्यन्त—जीवन का नियंत्रण करता है। धर्म का काम तो यही है।

मैं तो कहता हूं कि धर्म का उच्चतम स्वरूप, धर्म का सार-तत्व आत्मा की उदारता और समानता पर आधारित होता है। मैं उच्चतम धर्म की भावना की बात कर रहा हूं, संकीर्ण, साम्प्रदायिक धर्मों की भावना की नहीं, जो अपने धर्म को श्रेष्ठ और अन्य धर्मों को हीन मानती है। इसलिये यदि कोई समुदाय यह महसूस करता है कि उसके हित किसी दल विशेष के अधीन सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो उसे किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में प्रचार करना चाहिये या नहीं? कैथोलिकों ने इससे अधिक कुछ नहीं किया।

सही स्थिति यही है। माननीय प्रस्तावक को असल में यह बात सता रही है कि वे मतदाताओं के मत प्राप्त नहीं कर सके।

मैं पहले बता चुका हूं कि मैं चाहता यह हूं कि किसी भी धर्म के अनुयायी संगठित रूप में, अपनी संस्था के रूप में राजनीति में भाग न लें, विशेषकर विवादास्पद राजनीति में। बात बिल्कुल सही है। माननीय सदस्य ने उदाहरण पेश किये हैं कि कुछ कैथोलिकों को बहिष्कृत किया गया है। चुनावों के पहले और उसके बाद के कुछ निदेशों का उदाहरण देकर इसे सिद्ध किया गया है। बहिष्कार के प्रश्न के सिलसिले में हमें दो बातें देखनी चाहियें। पहली यह कि यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप में बहिष्कार किया गया हो, तो वह भारत की सामान्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकता है। बम्बई जैसे कुछ राज्यों में एक विशेष अधिनियम

पारित किया गया है जिसके अनुसार किसी मठ विशेष का महन्त किसी भी आधार पर अपने अनुयायी को बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसलिये कि मठ का सदस्य होना केवल एक धार्मिक नहीं बल्कि, नागरिक अधिकार भी है। गुजरात में ऐसे बहिष्कार के कुछ मामले हुए थे। उनके तुरन्त बाद बम्बई सरकार ने यह विधि पारित की थी।

हमारी सामान्य व्यवहार विधि के अनुसार बहिष्कृत व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता सकता है। लेकिन यदि चुनावों के दौरान में कोई बहिष्कार किया गया हो, तो वह "अनुचित प्रभाव" डालना माना जायेगा। माननीय प्रस्तावक ध्यान से सुनें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा १२३ के अन्तर्गत "अनुचित प्रभाव" की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार या किसी मतदाता को या किसी ऐसे व्यक्ति जिसमें उम्मीदवार या मतदाता दिलचस्पी रखता हो; को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी दे, जिसमें सामाजिक बहिष्कार करना और जाति या समुदाय से निकालना भी शामिल है।

इसलिये ऐसे मामलों में की जाने वाली शरारत को रोकने के लिये भारतीय विधि की व्यवस्थायें पर्याप्त हैं। यदि ऐसा अनुचित प्रभाव किसी व्यक्ति पर डाला गया हो तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है; और यदि ऐसा अनुचित प्रभाव बहुत अधिक व्यक्तियों पर डाला गया हो तो इसे सिद्ध करके चुनावों को रद्द कराया जा सकता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पूरे कैथोलिक चर्च ने ऐसा कोई अपराध किया है? माननीय प्रस्तावक ने इस विधेयक को केवल केरल या आन्ध्र प्रदेश तक सीमित नहीं रखा है। मध्य प्रदेश के बारे में तो हमारे सामने कोई स्पष्ट प्रमाण हैं ही नहीं। अभी कल ही एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या इन दो प्रतिवेदनों के संबंध में भारत सरकार को कुछ लिखा गया है। उसके उत्तर में बता दिया गया था कि बिलकुल नहीं। इसलिये कुछ छिट-पुट समाचारों के आधार पर ही कुछ नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित कर देना अनुचित होगा। माननीय प्रस्तावक ने ऐसा करने का जो प्रस्ताव रखा है वह कुछ राजनीतिक कारणों से ही किया है। उन्हें निराशा इस बात से हुई कि एक इतने बड़े समुदाय ने उनके दल को सत्ता से उखाड़ दिया है।

यह विधेयक उस समय पुरःस्थापित किया गया था जब केरल राज्य में कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध जोरों से प्रचार चल रहा था। शायद १३ जुलाई को यह पुरःस्थापित किया गया था। इसके तीन सप्ताह बाद ही, राष्ट्रपति को राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेना पड़ गया था। राज्य की परिस्थिति इतनी बिगड़ गयी थी।

फिर माननीय प्रस्तावक भी तो यह नहीं कहते कि कैथोलिक चर्च के सभी २० लाख अनुयायियों ने एक ही ढंग से काम किया था। इसके भी कुल दो उदाहरण दिये गये हैं। यह नहीं कहा गया है कि लोगों का वास्तव में बहिष्कार हुआ। किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध कोई कदम उठाने के लिये पर्याप्त आधार तो होना चाहिये, सबूत तो हों। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था पर तभी प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं जब कि उसके किसी काम का अनौचित्य सिद्ध हो जाये। लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये विनियम राजनीतिक सक्रियता के समय प्रयुक्त नहीं किये जा सकते और न राज्य धर्म की आड़ में विध्वंसकारी कार्यवाहियां चलने दे सकती है।

कुछ दलों या व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण ही, एक समुदाय को तो इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

[श्री दातार]

इस विधेयक में "राजनीतिक सक्रियता" की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार तो कक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ किसी राजनीतिक विषय पर बात करना तक कठिन हो जायेगा। सरकार के पक्ष या विपक्ष की बात करना राजनीतिक सक्रियता मान ली गई है।

अन्तःकरण और आस्था से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों को संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से पेश करने की अनुमति रहनी चाहिये। शांतिपूर्ण ढंग से, संविधान की सीमाओं में रहते हुए, प्रचार-आंदोलन भी किया जा सकता है।

इस विधेयक की परिभाषा मानकर चलने पर तो रोमन कैथोलिक स्कूलों में राजनीति के प्रोफेसर भी उनकी अपनी पसंद के नहीं रखे जा सकेंगे। यह ग़लत है। राजनीतिक दलों को प्रचार-आंदोलनों का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। उससे डरना नहीं चाहिये। कम्युनिस्ट लोग आंध्र और केरल में जनता का समर्थन इसीलिये प्राप्त नहीं कर सके कि उनके काम के तरीक़े ग़लत हैं, उनकी विचारधारा त्रुटिपूर्ण है। उसके लिये अकेले रोमन कैथोलिकों को दोष देना ग़लत होगा।

रोमन कैथोलिक लोग केरल और आन्ध्र से बाहर भी तो रहते हैं। सभी पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है।

इसीलिये मैं समझता हूं कि जब तक कोई बहुत ठोस आधार न हो, यथेष्ट प्रमाण न हों, तब तक किसी ऐसे धार्मिक संगठन को विध्वंसकारी कार्यवाहियों के लिये उत्तरदायी नहीं कहा जा सकता और उस को इतने एक महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

इसीलिये मेरा अनुरोध है कि यह विधेयक वापस ले लिया जाये। मैं जानता हूं कि माननीय प्रस्तावक इसे वापस नहीं लेंगे ; पर मैं उन से अपील करता हूं कि वह इस विधेयक की व्यवस्थाओं के गम्भीर परिणामों को सोचें। इसलिये कि आगे चल कर मुस्लिम समुदाय और कभी हिन्दू समुदाय के लिये भी ऐसे विधेयक लाये जा सकते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि ये सभी समुदाय रोमन कैथोलिकों के इस सिद्धान्त पर अमल करें कि सभी अपने को राजनीतिक हितों से बिलकुल ही अलग रखें। उन्हें इस प्रकार की सक्रियता में तभी पड़ना चाहिये जब उन के अन्तःकरण की आस्था के विरुद्ध कोई चीज़ सामने आये। तब वे लोगों के विचार अपने पक्ष में करने के लिये शांतिपूर्ण और वैधानिक ढंग से प्रचार कर सकते हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** माननीय मंत्री ने बताया है कि बम्बई राज्य ने सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध एक अधिनियम पारित किया था। उस की आवश्यकता तो तभी महसूस हुई जबकि देश की सामान्य विधि में इस की पूरी व्यवस्था नहीं थी। और यदि यह सही है, तो फिर अकेले बम्बई ही क्यों, सारे देश के लिये ऐसी व्यवस्था क्यों न की जाये? क्या माननीय मंत्री बम्बई (बहिष्कार का निरोध) अधिनियम को अनावश्यक, या संविधान की शक्ति से परे मानते हैं?

†**श्री दातार :** कभी-कभी विधानमंडल अत्यधिक सतर्कता या सावधानी रखने के विचार से भी कुछ विधियां पारित करते हैं। उस का मतलब यह तो नहीं होता कि देश की सामान्य विधियां अपर्याप्त हैं, या उन में वैसी कोई व्यवस्था नहीं है।

†**सभापति महोदय :** सभा को काल्पनिक प्रश्नों पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : मैंने माननीय सदस्यों और मंत्री के भाषण ध्यानपूर्वक सुने हैं। मैं इस विधेयक को वापस लेने का उन का अनुरोध मानने के लिये तैयार नहीं।

माननीय मंत्री ने इस विधेयक का प्रयोजन समझा ही नहीं। यह विधेयक न तो कैथोलिकों के विरुद्ध है और न कैथोलिक चर्च के। विरोध तो इस बात का है कि चर्च एक संगठित रूप में राजनीति में हस्तक्षेप करे।

मैं धार्मिक उपदेशों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं चाहता। पुजारी, मुल्ला या बिशप लोग व्यक्तिगत रूप से राजनीति में भी भाग ले सकते हैं। लेकिन वे राजनीतिक हितों को साधने के लिये अपने-अपने धार्मिक संगठनों का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं सिर्फ यही चाहता हूं।

मैं हिन्दू हूं और कम्युनिस्ट भी। कम्युनिस्ट बनने के बाद मैंने हिन्दू रीति से विवाह किया था, पर किसी भी पुजारी ने इस पर आपत्ति नहीं की।

लेकिन कैथोलिक चर्च उन लोगों को अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार सामाजिक कृत्य नहीं करने देता जो चर्च द्वारा समर्थित राजनीतिक कार्यक्रम या दल का समर्थन न करते हों।

क्या यह राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है ? तब फिर धर्म-निरपेक्षता कहां रही ?

मन्दिरों को भी राजनीतिक कार्यवाही के लिये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मन्दिर सार्वजनिक सम्पत्ति है। पर कैथोलिक चर्च खुले आम ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति एक खास राजनीतिक कार्य में सम्मिलित होगा उस का बहिष्कार कर दिया जायेगा, न उस के बच्चों का बपतिस्मा किया जायेगा, न चर्च में शादी-विवाह करने की इजाजत होगी और न उसे दफनाने के समय चर्च का कोई पादरी जायेगा। क्या यह धार्मिक हस्तक्षेप एक तानाशाही नहीं है ?

माननीय मंत्री शायद यह भूल गये हैं कि बिशप मेरिया डौस ने न्यायालय में गवाही देते हुए कहा था कि यदि पोप ऐलान कर दें कि भारत के कैथोलिकों को प्रधान मंत्री नेहरू के पक्ष में मतदान नहीं करना है, तो उस का पालन करना सभी कैथोलिकों का परम कर्त्तव्य होगा। अगर यह राजनीति में हस्तक्षेप करना नहीं है, तो क्या है ? बात बिलकुल साफ है। आज अगर कैथोलिक कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, तो कल कांग्रेस के खिलाफ भी हो सकते हैं। **टाइम्स आफ इंडिया** के एक समाचार के अनुसार, चुनाव के दिन गिरजों के घंटे बजाकर कैथोलिकों को गिरजों में इकट्ठा किया गया था और उन के हाथों में बाइबिल की प्रतियां पकड़ा कर उन का जुलूस मतदान के स्थान तक ले जाया गया था।

†**श्री दातार** : क्या आप की पार्टी ने इस के विरुद्ध निर्वाचन विधि के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री नागी रेड्डी** : हम क्यों करें ? सरकार को खुद देखना चाहिये। उस के पास अपना गुप्तचर विभाग मौजूद है। समाचारपत्रों में इस के सबूत भरे पड़े हैं।

एक दूसरा उदाहरण देखिये। ४ दिसम्बर, १९५८ को बंगलौर में कैथोलिक बिशपों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। **इंडियन एक्सप्रेस** के समाचार के अनुसार, उस सम्मेलन ने पचास घण्टों की अपनी चर्चा का अधिकांश समय इस बात की चर्चा में लगाया था कि भारत को कम्युनिज्म से कितना खतरा है ! जैसे कि यह धर्म सम्बन्धी कोई विषय हो।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दातार** : यदि वे महसूस करते हैं कि कम्युनिज्म उन के धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध है, तो क्या वे उस पर चर्चा नहीं कर सकते ?

†**श्री नागी रेड्डी** : तब फिर उन्हें एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आना चाहिये । मुस्लिम लीग जिस ढंग से खुल कर सामने आई थी ।

'दीपिका' के २ जून, १९५९ के अंक का एक समाचार देखिये । चर्च के घंटे बज उठे और लोग बाढ़ में आई नदी के पानी की तरह फावड़े, चाकू और कुदालियां वग़ैरह लेकर इकट्ठे होने लगे । सरकार को इस की जानकारी नहीं है ? ' दीपिका' तो कैथोलिकों की अपनी पत्रिका है ।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य ने 'दीपिका' की प्रति पटल पर नहीं रखी है, इसलिये उस का उल्लेख न किया जाये ।

†**श्री मणियंगाडन** : 'दीपिका' कैथोलिक पत्रिका नहीं है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : सरकार का कर्त्तव्य है कि वह धर्म को इस प्रकार संगठित रूप में राजनीतिक हस्तक्षेप न करने दे । हिन्दू धर्म संगठित होते हुए भी, इस तरह का हस्तक्षेप नहीं करता । कैथोलिक चर्च की यह प्रवृत्ति देश के लिये बड़ी खतरनाक है । कल वह दूसरी पार्टियों के विरुद्ध इस प्रकार खड़ा हो सकता है । इसलिये मैं इस विधेयक को वापस नहीं लेता ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कैथोलिक चर्चों के राजनीतिक प्रयोजनों के लिये काम में लाने तथा कैथोलिक चर्च के पादरियों के राजनीतिक कार्यों में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जो माननीय सदस्य इस के पक्ष में हों, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जायें ।—पक्ष में केवल आठ सदस्य हैं ।

जो माननीय सदस्य इस के विपक्ष में हो, अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जायें ।—विपक्ष में भारी बहुमत है ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**श्री त० ब्र० विट्ठलराव** (खम्भभ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि मूल विधेयक की धारा ७ का नये खण्ड ७क के द्वारा संशोधन किया जाय जिससे कि यदि मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि पर अविश्वास हो जाय तो उसको वापस बुला लिया जा सके ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस विधेयक को प्रस्तुत करने में मेरा उद्देश्य यह है कि जनता की सही इच्छा कायम रहे । इसलिये मैंने इस विधेयक में यह व्यवस्था की है कि यदि कोई प्रतिनिधि जनता का विश्वास खो देता है तो उसे जनता के प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः मतदाताओं को यह करने का अधिकार दिया जाय कि वे उसे वापस बुला सकें । और उसके स्थान पर दूसरा प्रतिनिधि भेज सकें। मेरे विचार से यदि कोई प्रतिनिधि अपने मतदाताओं का सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और अपने चरित्र या कार्यों से उनकी इच्छाओं का विरोध करता है तो उसे प्रतिनिधि बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । यह व्यवस्था भारत के संविधान के लिये कोई नई नहीं है । रूस और अमेरिका के संविधान में भी इस तरह का उपबन्ध है .यूरोप में स्वीटजरलैण्ड के संविधान तथा युद्धकालीन जर्मनी में न केवल निर्वाचित प्रतिनिधि को ही वापिस बुलाने का उपबन्ध है अपितु पूर्ण विधान सभा यहां तक कि राष्ट्रपति भी वापस बुलाया जा सकता था ।

यह तर्क करना गलत है कि लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करने लगेंगे । वस्तुतः दुरुपयोग को रोकने के लिये ही मैंने यह व्यवस्था की है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने के लिये कम से कम दो तिहाई बहुमत से विरोधी उम्मीदवार की विजय होनी आवश्यक है । इससे इस व्यवस्था का सरलता से दुरुपयोग नहीं होने पायेगा ।

हमारे यहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गिरिगिट की तरह रंग बदलते हैं वे जिस दल के राजनैतिक उम्मीदवार के रूप में चुने जाते हैं वे उसे छोड़ कर दूसरे दल को अपना लेते हैं । ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बने रहने का कोई अधिकार नहीं है । मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसने तीन वर्षों की अवधि में ६ बार राजनैतिक दल बदले हैं जब उस व्यक्ति से उस राजनैतिक दल ने, जिसने उसे उम्मीदवार खड़ा किया था, पुनः चुनाव लड़ने के लिये कहा तो उसने अस्वीकार कर दिया । पश्चिम बंगाल के एक मन्त्री ने दूसरे मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तदनन्तर उसने न केवल मन्त्री पद से स्तीफा दे दिया अपितु उस दल की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया तथापि जब उसने पुनः चुनाव लड़ा तो काफी बहुमत से उसकी विजय हुई । तथापि जिस मन्त्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उसने पद त्याग नहीं किया यदि उसके मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होता तो उसे अवश्य वापस बुला लिया जाता ।

यदि प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता तो, केरल की जनता उन चार या पांच निर्वाचन क्षेत्रों से उन प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती थी जहां उनका प्रतिनिधियों पर अविश्वास था । इस प्रकार सारी विधान सभा भंग न करनी पड़ती और न राष्ट्रपति को वहां का शासन भार सम्भालना पड़ता ।

इस प्रकार यदि हम मतदाताओं को अवधि के पूर्व अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार दे देवें तो इससे संसद तथा विधान सभाई सदस्यों में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरुकता बढ़ेगी । वे अपने मतदाताओं की सेवा लगन से करेंगे उन पर आये दिन एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में जाने पर प्रतिबन्ध लगेगा तथा इस प्रकार दलबन्दी की भावना पर रोक लगेगी ।

इस विधेयक को राज्य सभा में श्री भूपेश गुप्त ने प्रस्तुत किया था। मन्त्री महोदय तथा सदस्यों ने यद्यपि इस विधेयक का विरोध किया तथापि वे कोई ठोस तर्क नहीं रख पाये। इस सम्बन्ध में संविधान सभा में भी चर्चा हुई थी तथा श्री के० टी० शाह ने इसके समर्थन में जोरदार तर्क पेश किये थे तथापि अल्पमत के कारण उनकी विजय नहीं हो सकी। अतः यदि आप चाहते हैं कि देश में लोकतन्त्रात्मक प्रणाली को बल मिले और जनता के प्रतिनिधि अपने कर्तव्यों के प्रति सचेते रहें तो आपको चाहिये कि मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को उनकी अवधि से पूर्व वापस बुलाने का अधिकार दिया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं इस जटिल विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता हूं कि यह विधेयक संविधान के प्रतिकूल है या नहीं तथापि क्योंकि यह विधेयक ग्राह्य हो गया है अतः संविधान के अनुकूल ज्ञात होता है। अतः मैं इसी आधार पर तर्क करूंगा।

जो लोग एक दल को छोड़ कर दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं उनका मामला स्पष्ट है, तथापि उन लोगों का क्या होगा जो कि स्वतन्त्र उम्मीदवारों के रूप से चुने जाते हैं तथा चुन लिये जाने के पश्चात वे मतदाताओं का उचित तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं या निष्क्रिय बैठे रहते हैं। वस्तुतः ऐसे प्रतिनिधियों को वापस बुलाने यहां तक कि उन्हें उनके कार्यों के लिये उचित दण्ड देने की व्यवस्था होनी चाहिये। अधिकांश यह होता है कि उम्मीदवार मत प्राप्त करने के लिये झूठे वचन देते हैं और एक बार चुन लिये जाने पर पांच वर्ष के लिये चुपचाप बैठ जाते है। अतः कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिससे इसका उपचार किया जा सके।

तथापि इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि प्रस्तावक महोदय इसे फिलहाल वापस ले लें। तत्पश्चात् सरकार इस सम्बन्ध में व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे साथ ही मेरा सुझाव है कि दो तिहाई बहुमत की जो शर्त रखी गई है वह वापस ले ली जाय अन्यथा विधेयक का प्रयोजन ही असफल हो जायगा। तीसरा मेरा सुझाव यह है कि उम्मीदवार को अपने व्यक्तिगत मत को बदलने का अधिकार होना चाहिये तथापि उसे चाहिये कि वह अपने सम्पूर्ण मतदाताओं के मत को बदलने का प्रयत्न करे। केवल इस कारण कि कोई प्रतिनिधि अपने सिद्धान्तों में परिवर्तन कर देता है, मतदाताओं को उसे वापस बुला लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये। सम्भव है कि देश की स्थिति को देख कर उसे अपने सिद्धान्त बदलने पड़ें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

संविधान संशोधन विधेयक

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति

पचासवां प्रतिवेदन

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार १८ अप्रैल, १९६०/२९ चैत्र, १८८२ (शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

शनिवार, १६ अप्रैल, १९६०
२७ चैत्र, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	५४८३—५५०६
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१५१५	तृतीय पंचवर्षीय योजना	५४८३—८६
१५१६	स्ट्रैप्टोमाइसीन और डिहाइड्रो-स्ट्रैप्टोमाइसीन का आयात	५४८६
१५१७	सिसिरगंज में उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्र .	५४८७–८८
१५१८	पाकिस्तान द्वारा जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सम्पत्ति का नीलाम	५४८८—९०
१५२१	समुद्रयानों के डीजल इंजन	५४९०—९३
१५२२	कालकाजी में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती	५४९३
१५२६	औद्योगिक डिजाइन संस्था	५४९३–९४
१५२९	लद्दाख में चीनियों का अनाहूत प्रवेश	५४९४–९५
१५३०	दिल्ली के दुकानदारों के काम के घंटे .	५४९५–९६
१५३३	दिल्ली में अनुसूचित जाति के शरणार्थियों की बस्तियां	५४९६—९८
१५३४	भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम	५४९९
१५३५	कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड	५४९९—५५०१
१५३६	नेफा में प्लाईवुड का कारखाना	५५०१—०३
१५४०	अमरीका को निर्यात	५५०३—०४
१५४१	मोटर-साइकिलों का निर्माण	५५०४—०६
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	५५०६—३२
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१५१९	डनलप टायर	५५०६
१५२०	डाक तथा तार कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये पेशगी धन देना	५५०६—०७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
१५२३	दिल्ली में श्रमजीवी लड़कियों का होस्टल . . .	५५०७
१५२४	केन्द्रीय भेषज पुनर्नियंत्रण संस्था	५५०७
१५२५	बम्बई गोदी श्रमिक बोर्ड	५५०७–०८
१५२७	सिन्द्री में रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन	५५०८
१५२८	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह .	५५०८
१५३१	रंग का कारखाना	५५०८–०९
१५३२	तृतीय पंचवर्षीय योजना	५५०९
१५३७	सरकारी क्वार्टरों का दिया जाना	५५१०
१५३८	मद्रास के गोदी श्रमिकों के लिय मकान .	५५१०
१५३९	भारतीय डाकुओं का पाकिस्तान से धावा .	५५१०–११
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१४८	आन्ध्र प्रदेश में हाथ के बने कागज का निर्माण	५५११
२१४९	शिक्षित बेरोजगार .	५५११
२१५०	प्रकाशन विभाग	५५१२
२१५१	विदेशों में भारतीय योगी . .	५५१२
२१५२	कागज खरीदने के लिये स्टर्लिंग	५५१२
२१५३	राज्य व्यापार निगम .	५५१२
२१५४	उत्तर प्रदेश में श्रमिक कल्याण . .	५५१३
२१५५	उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग . . .	५५१३
२१५६	उत्तर प्रदेश में मध्यम आय वर्ग आवास योजना	५५१३
२१५७	शिमला में भारत सरकार का मुद्रणालय . . .	५५१३–१४
२१५८	ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण	५५१४
२१५९	समवाय सचिवों के लिये डिप्लोमा कोर्स .	५५१४
२१६०	दिल्ली में उद्योगों के लिये अनुसंधान केन्द्र .	५५१४–१५
२१६१	विभाजन समिति . .	५५१५
२१६२	दण्डकारण्य योजना . .	५५१५
२१६३	फेनिल एक्टिक एसिड . . .	५५१६

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१६४	बेन्जिल क्लोराइड . .	५५१६
२१६५	वाइट्रियस एनामल्स . . .	५५१६–१७
२१६६	डियोसजेनिन	५६१७–१८
२१६७	सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड .	५५१८
२१६८	कच्चे मैंगनीस का निर्यात . .	५५१८
२१६९	मूंगफली के तेल और खली का निर्यात . . .	५५१९
२१७०	निर्यात लाइसेंस .	५५१९
२१७१	कत्थे का आयात	५५१९
२१७२	मूल्यांकन बोर्ड . . .	५५१९–२०
२१७३	हिमाचल प्रदेश में तैयार किये गये कम्बल . . .	५५२०
२१७४	गन केरज फैक्टरी, जबलपुर . . .	५५२०
२१७५	कलकत्ता गोदी मजदूर बोर्ड . .	५५२१
२१७६	जिलों का पुनर्गठन . .	५५२१–२४
२१७७	पेनिसिलिन का मूल्य	५५२४
२१७८	पश्चिम यूरोपीय देशों में भारतीय व्यापार शिष्टमंडल .	५५२४–२५
२१७९	ग्राम आवास परियोजनाओं की योजना . .	५५२५
२१८०	पोलो की गेंद . .	५५२५
२१८१	पाकिस्तानियों द्वारा आक्रमण . .	५५२६
२१८२	राजनयिक पारपत्र . . .	५५२६
२१८३	निम्न आय वर्ग आवास योजना	५५२७
२१८४	सस्ते रेडियो सेट	५५२७
२१८५	सरकारी बस्तियों में दुकानों का नियतन .	५५२७–२८
२१८६	देवनगर में सरकारी क्वार्टर . . .	५५२८
२१८७	आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास	५५२८–२९
२१८८	आन्ध्र प्रदेश में श्रमिक कल्याण के लिये अनुदान .	५५२९
२१८९	दिल्ली से सरकारी कार्यों का स्थानान्तरण	५५२९
२१९०	चीनी के कारखाने . .	५५३०
२१९१	टेलीविज़न कार्यक्रम . . .	५५३०
२१९२	कर्मचारी राज्य बीमा योजना . .	५५३०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२१९३ दस्तकार ५५३०–३१

२१९४ कर्मचारी भविष्य निधि . . ५५३१

२१९५ राज्य और केन्द्रीय सूचना निदेशकों की बैठकें . . ५५३१

२१९६ स्थानीय बोलियों और आदिम जातीय भाषाओं में प्रसारण ५५३१

२१९७ पंजाब में खेल-कूद का सामान बनाने का उद्योग . ५५३१–३२

२१९८ आकाशवाणी के कटक केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति . ५५३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५३४

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिय गये आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ दसवां सत्र, १९६०

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ नवां सत्र, १९५९

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ७ आठवां सत्र, १९५९

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १४ सातवां सत्र, १९५९

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या २८ चौथा सत्र, १९५८

(२) हथ करघा उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप (अध्ययन दल) के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७८ की एक प्रति ।

(४) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ९ अप्रैल, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४०२ की एक प्रति ।

राज्य-सभा से सन्देश ५५३५

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

एक) कि राज्य-सभा १४ अप्रैल, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गई है कि वह छै सदस्यों की निवृत्ति के फलस्वरूप हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये समवाय

विषय पृष्ठ

राज्य सभा से संदेश---जारी

(संशोधन) विधेयक १९५९ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में काम करने के लिये ६ सदस्य नियुक्त करे और उस ने उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये छः सदस्य मनोनीत कर दिये हैं ।

(दो) कि राज्य-सभा ने १४ अप्रैल, १९६० की अपनी बैठक में दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६० को दोनों सभाओं की पैंतालीस सदस्यों की एक संयुक्त समिति को, जिस में राज्य सभा के १५ सदस्य और लोक-सभा के ३० सदस्य हों, सौंपने के लिये एक प्रस्ताव पारित किया है और लोक-सभा से सिफारिश की कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन---उपस्थापित . . . ५५३६

चौरासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य ५५३६–३७

(१) वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने चीनी भारतीय सीमा विवाद के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १४३० के अनुपूरक प्रश्न के १२ अप्रैल, १९६० को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

(२) वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) ने उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में प्लाइवुड कारखाने के बारे में श्री हेम बरुआ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१९ के अनुपूरक प्रश्न के १७ मार्च, १९६० को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

अनुदानों की मांगें ५५३७–५४

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक---पुरस्थापित . . . ५५५४–७०

(१) श्री अ० मु० तारिक का वेतन की अधिकतम सीमा (गैर-सरकारी क्षेत्र में) विधेयक, १९६० ।

(२) श्री चपलकान्त भट्टाचार्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६० (अनुच्छेद ३४३ का संशोधन)

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत . . . ५५७१–७२

श्री नागी रेड्डी के कैथोलिक चर्च परिसर और पादरी संघ (राजनैतिक गतिविधि पर प्रतिबन्ध) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा आरम्भ हुई। कुछ चर्चा के बाद श्री नागी रेड्डी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . ५५७२—७४

श्री त० ब० विट्ठल राव ने प्रस्ताव किया कि लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५९ (नई धारा ७क का रखा जाना) पर विचार किया जाय। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ५५७५

पचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सोमवार, १८ अप्रैल, १९६०/२९ चैत्र, १८८२ (शक) के लिए कार्यावलि

वित्त मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा मतदान और अणुशक्ति विभाग, संसद् कार्य विभाग, लोकसभा, राज्यसभा तथा उपराष्ट्रपति के सचिवालयों की मांगों पर मतदान।